छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 01, शक सम्वत् 1940)

[अंक 14]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 1, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सत्तारूढ़ दल एलर्ट है, अनुपस्थिति के कारण प्रश्नकाल स्थगित करने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक ।

रायगढ़ कोतरा रोड़ में रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज निर्माण

1. (*क्र. 1095) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रायगढ़ जिले के अंतर्गत रायगढ़ कोतरा रोड बाईपास मार्ग में रेलवे फाटक के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारंभ कर लिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जी हां. निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रायगढ़ जिले के अंतर्गत रायगढ़ कोतरा रोड बाईपास मार्ग में रेलवे फाटक के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारंभ कर लिया जावेगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में ही बता दिया था कि स्वीकृति मिल चुकी है, जी हां और तारीख के लिए पूछा गया तो निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है, प्रक्रियाधीन है, मैंने माननीय सदस्य को यह जानकारी दे दी है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार इसमें निविदा खुल गयी है और एक पी.आर.एल. प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसमें क्वालिफाई किया है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि काम कब तक चालू हो जाएगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि सी.आर.एफ. योजना के तहत इसकी स्वीकृति हुई थी और इसका निविदा भी जारी हो गया था, निविदा खोलने की तिथि 31.08.2018 थी, उसके बाद इस प्रकरण में एक आवेदक कोर्ट में चला गया और कोर्ट में प्रकरण लंबित रहा, कोर्ट से फैसला आ चुका है और जो ठेकेदार कोर्ट में गया था, उसको स्टे के बाद रिजेक्ट कर दिया गया है और इसी बीच फिर से इस प्रकरण में एक शिकायत आ गई, उस शिकायत में यह था कि ज्यादा दर की शिकायत थी और उसका परीक्षण किया जा रहा है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, हम लोग तत्काल आगे कार्यवाही करेंगे ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दर ज्यादा की बात आ रही है, उसमें कार्यपालन अभियंता का स्पष्ट अभिमत है कि यह पुराने रेट में है और इसका जो निर्माण होगा, वह टी आकार का होगा और कार्यपालन अभियंता ने चिट्ठी जारी कर दी है कि इस रेट में और कोई काम नहीं कर सकता इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक काम चालू करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रायगढ़ की बहुप्रतीक्षित मांग है, जनता के हित से ये मामला जुड़ा हुआ है और इसको शीघ्र ही चालू करना जरूरी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसको कब तक चालू कर देंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य की मंशा है कि शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाए और चूंकि शिकायत हुई है इसलिए उसका निराकरण जरूरी है और जैसे ही विभाग उसका निराकरण करके अंतिम निर्णय कर लेगा, हम लोग कार्य प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय-सीमा जानना चाहता हूं । इसमें जो शिकायत थीं, वह दूर हो गई हैं और रेट संबंधी बात थी, वह भी दूर हो गई है तो समय बता दें 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, कब तक शुरू हो जाएगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा विलंब करने की नहीं है इसलिए तो टेण्डर लगा चुके थे, फिर टेण्डर ओपन हो चुका था । चूंकि मामला कोर्ट चला गया, इसलिए वह रूका है और कोर्ट का निर्णय भी हमारे पक्ष में आ गया, उसके बाद फिर एक शिकायत आ गई तो वह शिकायत अलग-अलग दर का है तो विभाग उसका परीक्षण कर रहा है औरजैसे ही रिपोर्ट आएगी, हम उसमें तत्काल कर लेंगे, इसमें कोई विलंब नहीं होगा ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, मैं समय-सीमा जानना चाहता हूं, ये जनहित का मुद्दा है । चूंकि सामने फिर चुनाव है तो जल्दी काम चालू हो जाएगा और आगे बरसात भी आ जाएगी तो समय बता दें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनहित के लिए प्रश्न नहीं है, चुनाव के लिए प्रश्न है इसलिए आप दूसरे प्रश्नकर्ता का नाम पुकारिए । सदन चुनाव के लिए नहीं है, सदन लोकहित के लिए है, जनहित के लिए है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये जनहित का मुद्दा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि चुनाव है, मैंने थोड़ी कहा ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे भूल हो गई, मैं माफी चाहता हूं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- कहने का आशय आचार संहिता से था ।

श्री अमरजीत भगत :- आपके पार्टी जैसा थोड़े ही हैं, हम चुनाव में वादा करके भूल जायें । मैंण्डेट मिला है तो हम वादा पूरा करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सीधे ख़ड़े हो जाओ, बढ़िया पूछो, आराम से ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हों तो दे ।

अध्यक्ष महोदय :- समय दे दें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जल्द से जल्द करेंगे, परीक्षण करके जानकारी आ जाये । एकदम ऐसा नहीं बताया जा सकता कि कल या परसों करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई भी विषय आता है तो आप कहते हैं कि माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं । विशेष स्नेह का कोई कारण है तो थोड़ा सा बतायेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्रियों को तो उत्तर देने की बाध्यता है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- जांच हो गई है । समय है ।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बता देते हैं ।

<u>भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आमदी नगर हुडको क्षेत्र में सड़क नाली सीवरेज लाईन एवं भूमिगत पेयजल पाईपलाईन का संधारण</u>

2. (*क्र. 775) श्री देवेन्द्र यादव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित आमदी नगर हुडको क्षेत्र में स्थित सड़क, नाली, सीवरेज

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लाईन एवं भूमिगत पेयजल पाईपलाईन के संधारण एवं संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ? और पेयजल हेतु जल की आपूर्ति कहां से की जा रही है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित आमदी नगर में सड़कों, नाली का संचालन/संधारण नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है. सीवरेज लाईन एवं भूमिगत पेयजल पाईप लाईन का संचालन भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किया जा रहा है. जनहित में मांगआने पर संधारण नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जाता है. पेयजल हेतु जल की आपूर्ति भिलाई इस्पात संयंत्र से की जा रही है.

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित आमदी नगर हुडको क्षेत्र में स्थित सड़क, नाली, सिवरेज लाईन, एवं भूमिगत पेयजल पाईप लाईन के संधारण एवं संचालन, किसके द्वारा किया जा रहा है, पेयजल हेतु जल की आपूर्ति कहां से की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- यह तो आपका प्रश्न है । उत्तर भी दिया हुआ है, उत्तर को देखकर आप प्रश्न करिये ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने दिया था, उसका उत्तर मुझे मिल गया है । मैंने उसका उत्तर भी पढ़ा है । इसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न इस पर यह है कि मुझे जवाब मिला है, उससे यह जानकारी मिलती है कि लगभग 11 करोड़ के काम नगर निगम द्वारा वहां सड़क, संधारण एवं अन्य डेवलपमेंट में, अधोसंरचना मद में, खर्च किया गया है । चूंकि हुडको की जमीन है, वह नजूल जमीन कहलाती है, क्या नगर निगम को अधिकार है कि नजूल जमीन में
यह खर्च कर रही है वह विधिवत है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, हुडको का जमीन है, वह नजूल का नहीं होता । जो जमीन आवासीय होता है....।

श्री अजीत जोगी :- आप तो खुद ही मेयर हो, मालिक हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेयर साहब को मंत्री से पूछना पड़ रहा है कि उनका क्या अधिकार है ? यह तो बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है । मेयर साहब को अपने कार्यकाल की जानकारी तो होनी चाहिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पंचायत में तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि एजेण्डा बनायेंगे, अधिकार देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आज एक ही दिन में दिख गया कि स्थानीय संस्थाओं को क्या अधिकार है ? आपके साथ पूरी सहानुभूति है, आप पूछिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्यों को पूरा विषय समझ में नहीं आया है । मैं जो बोल रहा हूँ, उसको शायद समझ नहीं पाये, इसलिए दूसरे दिशा में जा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदन को बताना चाहता हूॅ कि हुडको की जो जमीन है, वह भिलाई स्टील प्लाण्ट की जमीन थी, उस पर भिलाई स्टील प्लाण्ट ने पहले लोगों को एलाट किया । 24 लोगों को लीज दी गई । उसके बाद तत्कालीन मध्यप्रदेश की सरकार ने 1998 में एक आदेश देती है, जो लीज वहां पर लोगों को दी जा रही थी, उसको रोका जाता है । इसके बाद 2000 क्वार्टर बीएसपी ने बनाये थे, तब से लेकर अभी तक की स्थिति वैसी ही रहती है और इसके बाद वर्ष 2008 में अचानक से राज्य शासन भिलाई स्टील प्लाण्ट कलेक्टरेट को लेटर देता है कि जमीन राज्य शासन को दे दी जाये । बिना विधिसम्मत कार्यवाही किये, वह जमीन नजूल घोषित हो जाती है, उस नजूल की जमीन में पिछले 10 वर्ष से नगर निगम खर्च कर रहा है । 11 से ज्यादा करोड़ रूपये हम लोगों ने खर्च कर दिया है । मेरी जानकारी के अनुरूप हम लोग नजूल की जमीन पर अधोसंरचना मद में नगर निगम या नगर निगम अपना पैसा खर्च नहीं कर सकता । दूसरा, वहां की पेयजल व्यवस्था, सम्माननीय मंत्री जी की तरफ से जवाब आया कि पेयजल व्यवस्था जो दी जा रही है, वह भिलाई स्टील प्लाण्ट दे रहा है, क्या पिछले 10 वर्षों का जो पैसा जो पेयजल के लिए लग रहा है, बीएसपी प्लाण्ट अगर नगर निगम से मांग ले, हमसे मांग ले, चूंकि मैं महापौर हूॅ तो इस बात की मुझे भी तकलीफ है, अगर बीएसपी हमसे मांग लेता है तो उसको कैसे दिया जा सकेगा ? आपने जो जवाब दिया कि पानी की व्यवस्था...।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न मंत्री जी के सर के ऊपर से निकल गया, अध्यक्ष महोदय । बैठे-बैठे पूछ रहे हैं कि क्या है ?

श्री शिवकुमार डहरिया :- आप बीच में मत खड़ा हुआ करो । वह प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब मैं दूंगा । उस दिन बोला भी था, बीच में फिर टपक जाते हो । नये सदस्य हैं, पूछने तो दो । उनको पूछने दीजिए, जवाब मैं दूंगा ना ।

अध्यक्ष महोदय:- आप पाईन्टेड प्रश्न करिये ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप बीच में मत खड़े हुआ करो, वह प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब मैं दूंगा। उस दिन बोला भी था कि आप बीच में फिर टपक जाते हो। उनको पूछने तो दो, नये सदस्य हैं। जवाब मैं दूंगा ना।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके सर के ऊपर से निकल गया, उसको बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पाईंटेड प्रश्न करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर ये जवाब आया है कि पिछले 10 वर्ष से जल आपूर्ति का काम भिलाई स्टील प्लांट कर रहा है। चूंकि वह नजूल की जमीन है तो भिलाई स्टील प्लांट यदि उस जल का पैसा मांग लेता है तो उसे सरकार देगी क्या?

श्री अजीत जोगी :- हॉ, अब आपने पूछा। बिल्कुल सही।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हुडको जो है, उसे अर्बन हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा भिलाई स्टील प्लांट ने 2008 में बनाया था। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट वहां के रहवासियों के लिए नाली, सड़क, पानी, बिजली का काम ठीक से नहीं कर पाता था और हमारे जनप्रतिनिधि मांग करते थे कि हमारे नाली की सफाई होनी चाहिए, बिजली और सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। तो राज्य शासन ने 20-10-2006 को उसको नगरीय निकाय भिलाई को इन कामों के संधारण के लिए अनुमति दी है। और हमने बी.एस.पी. से मांगा भी था कि हम इसको करना चाहते हैं इसे हमें दे दिया जाए लेकिन उसने 2006 में नहीं किया और 2014 से उनके संधारण का कार्य नगरीय निकाय कर रहा है। उसमें 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 तक इसमें लगभग 528 करोड़ रूपये हम लोगों ने व्यय किया है। वहां पर स्थिति ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि वहां पेयजल व्यवस्था हेतु भूमिगत पेयजल पाईप लाईन भिलाई स्टील प्लांट ने बनाया है और उसका संधारण भी वही कर रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वह नजूल की जमीन नहीं है, जहां मकान बना हुआ है उसका पर्पस बदल गया है, अब नजूल नहीं है, आवासीय जगह है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कालोनी तो भिलाई स्टील प्लांट की है, हम लोगों ने सिर्फ संधारण का काम लिया हुआ है। वहां पेयजल की आपूर्ति करने की व्यवस्था उन्हीं की व्यवस्था है और वह उसके लिए पैसा नहीं मांगेगे। यदि वह पैसा मांगेंगे तो उनको जवाब दे दिया जायेगा कि कालोनी आपकी है और आप पैसा हमसे क्यों मांगेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से 15-07-2008 के बाद ये 70 हेक्टेयर भूमि राज्य शासन को प्रदान कर दी गई थी और इसके बाद राज्य शासन द्वारा इसे नजूल घोषित कर दिया गया था और मेरी जानकारी के हिसाब से चूंकि मैं महापौर भी हूं और यह मेरे लिए एक विधिसम्मत प्रश्न भी हो जाता है, अभी भी वहां के जो दो हजार रहवाशी हैं, जिन लोगों को लीज पर उस जगह को लेना था, जिनको वह मकान मिला था आज तक उनकी न रजिस्ट्री हो पा रही है, न उन्हें लीज मिल पा रहा है। राज्य सरकार ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण वहां के हितग्राही और रहवासी अत्यधिक परेशान हैं। चूंकि वहां पर नगर निगम भी लगातार कार्य करता है तो मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जो रोड, नाली और जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर हम लोग डेव्हलप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं क्या उसे नगर निगम को हस्तांतरित किया जायेगा क्या?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हस्तांतरण की प्रक्रिया अलग है। वह कालोनी भिलाई स्टील प्लांट का हुडको ने बनाया था, और भिलाई स्टील प्लांट चाहे तो वह दे सकती है। चूंकि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम हमारा है, अगर बी.एस.पी. नहीं करती है तो हमको करना पड़ता है, पहले हमारे विधायकगण ने भी मांग की थी, हमारे पार्षदों ने भी मांग की है इसलिए हमको जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए वह काम हम करते हैं। हस्तांतरण के लिए अगर वह करना चाहें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसको दिखवा लेंगे, और नजूल के संबंध में आपकी जो भी समस्या है, नजूल वाला कोई प्रकरण हमारे पास नहीं आया है, अगर आप बोल रहे हैं तो उस मामले को दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इतनी गंभीर समस्या है, माननीय मंत्री जी से समय लेकर उनके साथ बैठिए और उसको दूर करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित योजनाएं

3. (*क्र. 1132) श्री धरमलाल कौशिक: क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग के अंतर्गत 25.01.2019 की स्थिति में श्रम कार्ड बनाने हेतु कुल कितने आवेदन लंबित हैं? जिलेवार जानकारी देवें. लंबित आवेदन का निराकरण कब तक किया जायेगा? (ख) पंजीकृत श्रमिकों हेतु कौन सी योजनाएं संचालित हैं?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) श्रम विभाग के अंतर्गत 25.01.2019 की स्थिति में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 5909 तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में 74685 आवेदन श्रम कार्ड बनाने हेतु लंबित है. इस प्रकार कुल 80594 आवेदन श्रम कार्ड बनाने हेतु लंबित हैं. जिलेवार जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. लंबित आवेदनों के निराकण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा. छ.ग. श्रम कल्याण मंडल में श्रम कार्ड बनाने का प्रावधान नहीं है. (ख) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब", प्रपत्र "स", एवं प्रपत्र "द" अनुसार है.

---

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह श्रमिकों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है और यदि उनका पंजीयन समय पर हो जाए तो उन सब श्रमिकों को योजना के अंतर्गत उसका लाभ मिलेगा। मैंने प्रश्न किया था कि लंबित कितने हैं तो उसमें मंत्री जी का जवाब आया है कि 80594 हजार लंबित हैं। मैं मंत्री जी से इस विषय में पूछना चाहता हूं कि जो आपके पास लंबित हैं, उसमें मंत्री जी का जवाब आया, 80 हजार लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में पूछना चाहता हूं कि जो आपके पास लंबित है, उनका पंजीयन कार्ड कब तक बन जायेगा। उसको बताने की कृपा करें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो लंबित कार्य हैं, जब आचार संहिता लगा था उस समय के लंबित मामले हैं। इनका निराकरण कर लिया गया है और 80 हजार श्रमिक कार्ड लंबित थे उसको पूरा खत्म कर दिया गया है। सिर्फ 2,429 मामले अभी लंबित हैं, बाकी सभी का निराकरण कर दिया गया है। ये 80 हजार में मात्र 2,429 मामले लंबित हैं, हमने अधिकारियों को पहले निर्देश दिया था कि ये इतने मामले लंबित नहीं होने चाहिए। उन लोगों ने उनका पूर निराकरण कर दिया है। कुछ 2,429 मामले हैं उनका भी निराकरण जल्द ही कर लिया जायेगा। उनके कुछ कागज उपलब्ध नहीं थे, जो कागज उपलब्ध कराया जाना था जो संलग्न में होना चाहिए था या जिनके उम्र ज्यादा हो गये थे या जिनकी पात्रता नहीं आ रही थी। ऐसे लोगों ने भी आवेदन किया था, इसलिए लंबित है। उसको भी दिखवा के जल्दी ही निराकरण कर लिया जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी पात्रता नहीं है, वो अपने आप निरस्त हो जायेगा। पात्रता है वही लंबित रहेगा, आप जो बता रहे हैं बाकी 80 हजार में 2,429 मामले बचे हुए हैं, ये जो बचे हुए हैं उनका पंजीयन कब तक हो जायेगा।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिशीघ्र करवा देंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी एक महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्य योजना बनवाने का है। इस योजना के अंतर्गत में क्या लाभ मिलता है आप बतायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- ये तो प्रश्न में नहीं दिख रहा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैंने योजना का नाम पूछा है। उस योजना के अंतर्गत में इन्होंने बताया है। उसी से ये प्रश्न उद्भूत हुआ है। इसमें आप क्या लाभ दिलवाते हैं? मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्य योजना से मजदूरों को क्या लाभ मिलता है बतायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- ये तो आपके प्रश्न में ही नहीं दिख रहा है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आपके प्रपत्र में जो जवाब दिया है उसमें आप देख लीजिए। उस प्रपत्र में उसका उल्लेख है। इसलिए मैंने ये आपसे प्रश्न किया है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्य योजना, जो रेलगाड़ी में जो यात्रा करते हैं, उनके लिए टिकट कार्ड का है। माननीय नेता जी आधे लाईन को छोड़ दिये थे। इसलिए उसका उत्तर नहीं आ रहा था। इसमें रेलगाड़ी में यात्रा करने वाल पंजीकृत हितग्राहियों को 150 किलोमीटर तक मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्य योजना में लगने वाले व्यय मंडल द्वारा देय होता है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस के पूर्व जो पंजीकृत होते हैं, उन लोगों को दिया जाता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ये योजना चालू है न।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, हां, बिल्कुल चालू है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को इसलिए आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि 15.10.2015 को इस योजना को समाप्त कर दिया गया है। यदि समाप्त कर दिया गया है तो इस योजना को ...।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो ये योजना चालू है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कन्फर्म कर रहा हूं। मेरे पास है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं, चालू है तो अच्छी बात है। मैं केवल आपसे जानना चाह रहा हूं।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बता दिया चालू है। कोई आवेदक है तो उनको भेज देना, लाभान्वित भी करायेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मेरे पास आदेश है उस आदेश को देखकर मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर तरफ देखते हैं..।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, नहीं, श्री अजय चंद्राकर तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं। यदि चालू है तो अच्छी बात है।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर जी का इसादी ही है, सबको गुमराह करने का, वो पूरा विपक्ष को गुमराह कर देते हैं।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता जी अभी इसमें अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। संख्या निरंक है। कोई लाभ लेना चाहते हैं तो भेज दीजिए, मुझे खुशी होगी।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को पूछ रहा हूं कि निरंक कैसे रहेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, किसी ने आवेदन ही नहीं दिया।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि चालू है ठीक है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, किसी श्रमिक ने आवेदन ही नहीं किया। आवेदन करेंगे तो उसको लाभान्वित किया जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं आदेश की बात कर रहा हूं। इस आदेश के बाद में श्रमिकों ने आवेदन देना बंद कर दिया है। ये मेरी जानकारी में है। आपके जानकारी में नहीं है, नहीं है तो उसको दुरूस्त करो, या मुझे उससे अपग्रेड कराओ कि ये मेरे जानकारी में नहीं है। चालू है तो आप बताये मैं संतुष्ट हूं।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, चालू है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये श्रमिकों के पंजीयन का विषय है। सरकार शायद इन्हीं लोगों के लिए असली काम करती है। बड़ी संख्या में चुनाव के कारण लंबित रहे और कुछ हजार में 2400 कुछ उन्होंने बताया है। जितने अभी 2400 लंबित हैं, उसके कारण क्या हैं ? और उसमें शासन के क्या निर्देश हैं कि एक मजदूर को आवेदन की तिथि के बाद कितने दिन में कार्ड बनना है, एक और उसी से लगा हुआ प्रश्न ये है कि कार्ड बनाना लोक सेवा गारण्टी अधिनियम में शामिल है और यदि है तो क्या उस समयावधि में कार्ड बना है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी समयावधि 15 दिनों में पंजीयन करने की व्यवस्था है। यदि 15 दिनों में नहीं होता तो पात्रता नहीं है तो वैसे ही निरस्त हो जाता है और जिन लोगों के ऐसे आवेदन आये हैं 15 दिन के भीतर जो 2400 लंबित हैं, हम पुराने सभी प्रकरण निराकृत कर दिये हैं और अभी 2429 बचे हैं, उन लोगों के लिए प्रमाण पत्र की कमी है और वह प्रमाण पत्र आ जाएगा तो उसको भी कर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लोक सेवा गारण्टी का पूछा है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं आपके बता रहा हूँ कि 15 दिन का समय है। लोक सेवा गारण्टी में 15 दिन की अवधि है कि 15 दिनों के अंदर करना है तो उसको शामिल कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताने का कष्ट करेंगे कि कितने आवेदन हैं जो 15 दिन में जिसकी पात्रता है और वह 15 दिन में बन गये? कितने 15 दिनों के अंदर कार्यवाही पूरी की गई और कितने नहीं की गई या जमी है? ये श्रमिकों का मामला है। ये रेक्टेविजम का मामला नहीं है कि आपने कितने आवेदनों को 15 दिनों के अंदर निराकृत किया है और बाकी लोग कितने हैं जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निराकृत नहीं हुए ? मैं यही तो पूछ रहा हूँ और नहीं किये हैं तो आपने किसी के ऊपर क्या कार्यवाही की है ? श्रमिकों को उनका लाभ पहुँचे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था ही है कि 15 दिनों के अंदर उसका निराकरण करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। किसी के ऊपर 15 दिनों से कार्यवाही नहीं हुई। मेरे पास जानकारी है कि 15 दिनों के बाद के भी आवेदन लंबित हैं।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हजारों राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी में लंबित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही कीजिए, सबको मत जोड़िए। आप कार्यवाही कीजिए। आप रोज जांच करवाईये, रोज एक एस.आई.टी.बनाईये, उससे समस्या नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2429 प्रकरण हैं हम एक सप्ताह के अंदर, उसका निराकरण कर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। एक सप्ताह, मेरा विषय वह नहीं है। जब आप 15 दिन लोक सेवा गारण्टी में बता रहे हैं तो लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत 15 दिन से ज्यादा के आवेदन लंबित हैं उसमें आपने क्या कार्यवाही की है ? आज तक कितने लोगों के ऊपर कार्यवाही की है जब 80 हजार से 2400 तक आ गये। किसी के ऊपर कोई कार्यवाही हुई है क्या ? मजदूर उतने जागरूक नहीं है हमको कार्यवाही करनी पड़ेगी जो मजदूर हितों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप ये बताने का कष्ट करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिन से अधिक किसके प्रकरण लंबित हैं स्पेसिफिक बता दें। कोई एकाध इनके पास है जनरल भाषण देने से थोड़ी होता है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका तो मनगढंत रहता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस भाषा से आपत्ति है। मैं आसंदी की ओर देखकर बात कर रहा हूँ। ये आपत्तिजनक ईशारा और आपत्तिजनक उत्तर है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कोई स्पेसिफिक प्रकरण है ? 2429 प्रकरण बचे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिन से अधिक किसके प्रकरण लंबित हैं, वे थोड़ी बतायेंगे। आवेदन आपके पास लंबित हैं आपके विभाग में लंबित हैं आप बतायेंगे या हम बतायेंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो उत्तर दे रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपत्तिजनक बात है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पहले बताया कि चुनाव के पहले का है और आचार संहिता में वह प्रकरण रूक गया था। (व्यवधान) हम कैसे बतायेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में तो उत्तर दे रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पर इस तरह की बात नहीं होगी ये दूसरी बार है उस तरह की भाषा आयी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों में बहुत कॉम्पिटिशन है कि नेता कौन है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सदन के उपाध्यक्ष बनने वाले हैं चलिये।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संतुष्ट होने के बाद में आपको देखकर उत्तर दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं इनको बताया कि जो 80 से ज्यादा प्रकरण लंबित है, वह आचार संहिता के कारण लंबित थे। हमने उसका निराकरण कर दिया। 2429 प्रकरण बचे हैं उसका निराकरण भी एक सप्ताह में हो जाएगा। 15 दिनों से ज्यादा लंबित रखने का प्रावधान नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि 15 दिन से किसके लंबित है, आप स्पेसिफिक प्रकरण बता दें तो उसको करवा देंगे। जितने ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊंगा ही। लेकिन मैंने जो पूछा है ये पूछा है कि आपने 15 दिन के बाद के प्रकरण है, आपने किसी के ऊपर कार्यवाही की है क्या ? उनसे पूछने के बजाए, उसका हां या नहीं बता देंगे ? कार्यवाही नहीं की है तो नहीं की है और कार्यवाही की है तो की है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके प्रमाण पत्र हम एकदम से निरस्त नहीं करते। ऐसे जो आवेदन आते हैं गरीब लोग हैं उनके आवेदन में कहीं कमी है तो उसको दिखवा लेते हैं और उनका निराकरण कर देते हैं। अगर निरस्त कर देंगे तो फिर दुबारा आवेदन करने की प्रक्रिया आएगी। फिर वही ऑन लाईन ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आरोप है। 15 दिनों के अंदर किसी भी श्रमिकों के कार्ड नहीं बन रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डरवाने का ठीक नहीं है। आप जो डरवाने की कोशिश करते हैं इनका नाम शिव डहरिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अंदर हो जाता है आपको मालूम नहीं है कोई है तो मुझे आप बताईये ?आप मुझे एक प्रकरण बताईये। इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष महोदय की तरफ देखिए। मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अंदर नहीं होता। 15 दिन के अंदर कौन से प्रकरण का नहीं होता, आप बता दें हम उसका निराकरण कर देंगे। 15 दिन के अंदर सबका हो जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि 80 हजार आवेदन लंबित थे और अभी 2400 आवेदन लंबित हैं। लोक सेवा गारण्टी में 15 दिनों के अंदर पंजीयन करना, कंपलसरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 74000 आवेदनों का निराकरण किया, उसमें 15 दिन के अंदर कितने आवेदनों का निराकरण हुआ और 15 दिन के बाद कितने आवेदनों का निराकरण हुआ, यह स्थिति क्लीयर करें?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय यह कहां का प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों उद्भूत नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय :- दलेश्वर साहू।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे उद्भूत नहीं होता है? आप स्वयं बता रहे हैं कि इतने पंजीयन हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उसका विस्तृत उत्तर आ चुका है। श्री दलेश्वर साहू।

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में वृहद पुल पुलिया निर्माण की लंबित प्रशासकीय स्वीकृति

श्री दलेश्वर साहू :- क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के कितने वृहद पुल पुलिया निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित हैं ? उक्त निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी ? (ख) डोंगरगांव से बरगांव वृहद पुल निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि का कार्यादेश किस दिनांक को जारी किया गया ? वर्तमान स्थिति में कार्य की अद्यतन स्थित एवं पूर्णतः की तिथि, ठेकेदार को भुगतान की राशि की जानकारी देवें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) 04. निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं. (ख) रुपये 390.15 लाख. दिनांक 28.04.2016. अपूर्ण (बंद). पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं. रुपये 186.20 लाख.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब मिला है और मेरे प्रश्न (क) के दोनों प्रश्नों का जवाब दिया गया है कि निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि डोगरगांव से बरगांव वृहद पुल के निर्माण के लिए 14-09-2015 को प्रशासकीय स्वीकृति मिली और कार्यादेश 28.04.2016 को जारी किया गया, मतलब 6 महीने के बाद तो इसका टेन्डर लगा, अगर 6 महीने के बाद किसी को प्रशासकीय स्वीकृति मिलती है और अनुबंध होता है और अनुबंध होने के बाद कुछ पैसा भी दे देते हैं, आप 12 महीने के बाद बता रहे हैं कि कार्य अपूर्ण और बंद है, यह उत्तर देना कि कार्य की पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है, मेरे को आश्चर्य लगता है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि निर्माण कार्य में विलंब होने का क्या कारण है? जांच कराकर दोषी अधिकारी और ठेकेदारों के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी उसके अनुसार 'क' का उत्तर दे दिये थे कि जितने कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है और यह भी बता दिया था कि निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रकियाधीन है। 'ख' के विषय में जिसकी ओर माननीय सदस्य ईशारा कर रहे हैं डोंगरगांव से बरगांव मार्ग पर स्थिति सूखा नाला पर उच्च स्तरीय पुल का है, उसके विषय में माननीय सदस्य को विस्तृत जानकारी दे देना चाहता हूं। इसकी लागत बताना चाहता हूं क्योंकि प्रश्न में आया है कि कितनी राशि ठेकेदार को दी गई और कितना शेष है, इसकी लागत 390 लाख है और कार्यादेश 28.04.2016 को जारी किया, वर्तमान में लगभग 47 प्रतिशत काम हो चुका है। कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि 27.01.2018 दी गई थी, अभी तक उस पर 186 लाख व्यय हो चुका है। कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा था इसलिए दिनांक 31.01.2019 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अपूर्ण और बंद जो उत्तर में बताया गया है, उसका कारण है कि उसका अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और शेष काम के विषय में माननीय सदस्य जानकारी चाह रहे हैं, उसमें लगभग 265 लाख का काम शेष है। हम लोग रि-टेन्डर करेंगे। चूंकि अभी 31.1.2019 को ही अनुबंध निरस्त हुआ है तो नये सिरे से हमको टेन्डर करना पडेंगा और नये सिरे से टेन्डर करके उस काम को पूरा करेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगर प्रश्न नहीं लगाता तो तो यह रि-टेन्डर की बात ही नहीं आती। जब मेरा प्रश्न लगा तभी इनने कार्यवाही किया। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाह रहा हूं कि अगर मेरा प्रश्न नहीं लगता तो शायद आप इतनी कार्यवाही नहीं करते, आप यह बता दीजिए कि आप कब तक इसको पूर्ण करा देंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी करके टेन्डर लगा देंगे। चूंकि काम अधूरा है इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि समय न लगे। और हम जल्दी से जल्दी टेन्डर करके, जल्दी अनुबंध करके जल्दी से जल्दी काम शुरू कर उसको पूरा करना चाहेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ तो पेनाल्टी लगाये होंगे। इतनी लापरवाही किया है तो कहीं न कहीं तो आपने कार्यवाही किया होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय दलेश्वर जी, आप लाख प्रश्न कर लें, आपको कोई आश्वासन नहीं मिलने वाला है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इतना विलंब हुआ, 6 महीने तक बंद पड़ा हुआ है तो मैं यह चाह रहा हूं कहीं न कहीं ऊपर पेनाल्टी लगती, क्योंकि समयावधि में 12 महीने बीतने के बाद कार्य पूर्ण नहीं किये तो उनके ऊपर तो पेनाल्टी बनती है और उसमें कार्यवाही होनी चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी ने कहा इसलिये मुझे जवाब देना भी पड़ेगा कि हम लोग जितना वसूली करेंगे, मैं उसका बता देता हूं और माननीय सदस्य का भी प्रश्न है तो मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जितने का अनुबंध होता है और जितने का काम हुआ भुगतान कर दिये और जो शेष राशि है उसका 10 प्रतिशत उससे वसूली की जाती है जो हम करेंगे । दूसरा विलंब हेतु अलग से जो दण्ड का प्रावधान है वह भी ठेकेदार से हम लोग करेंगे । तीसरा बिंदु सुरक्षा निधि जो उनकी जमा रहती है वह राजसात करने का नियम है वह भी हम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपका सब हो गया ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 5 वृहद् पुल का लंबित है उन पर मैं आश्वासन चाहूंगा । 5 वृहद् पुल निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उस लंबित प्रशासकीय स्वीकृति को बहुत जल्द आश्वासन मिलेगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हमारे पास जो पूरी की पूरी सूची है और जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी करके उसको हम लोग प्रशासकीय स्वीकृति के लिये भेजेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपके आश्वासन में आ गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर :- जल्दी से जल्दी करने के लिये पूछिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- वो पुराना सदस्य है, तें बतात जाबे ता पूछही का ? ओला पूछे बर नइ आय का ? (हंसी)

बालोद जिलांतर्गत पर्यटन हेतु चिन्हांकित स्थल

5. (*क्र. 1157) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बालोद अंतर्गत धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों में कौन-कौन से स्थल चिन्हांकित हैं ? विकासखण्डवार बतावें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : बालोद जिले के अंतर्गत चिन्हांकित धार्मिक पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी विकासखंडवार †[2] संलग्न परिशिष्ट में संधारित है.

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय संस्कृति मंत्री जी से यह था कि बालोद जिला अंतर्गत धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों में कौन-कौन से स्थल चिन्हांकित हैं तो उसका जवाब मुझे मिल चुका है लेकिन मैं इन पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के अलावा जिले में और भी जो पुरातात्विक और धार्मिक स्थल हैं जिसमें कलंकपुर स्थित जोगी मठ, अर्जुंदा मटेवा स्थित योग नाला और मोंहदीपाट में मोंहदीपाट बाबा का धाम इन स्थलों में भी महाशिवरात्रि में भव्य मेलों का आयोजन होता है यहां विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मंदिर प्रतीक्षालय एवं सामाजिक भवन का निर्माण किया गया है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि क्या इसे पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल घोषित करने की कृपा करेंगे?

श्री अजीत जोगी :- जोगी मठ को जरूर कर दीजियेगा । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- जोगी मठ ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न माननीय निषाद जी ने पूछा है और मैंने अपने विभाग के बजट के दरमियान भी इस बात का उल्लेख किया था कि जैसे ही सत्र के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता लगेगा तो सभी विभागों का धर्मस्व, धार्मिक न्यास, संस्कृति-पर्यटन, पुरातत्व इसका कलेक्टरों के माध्यम से, पटवारी से और जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत के सचिवों से हर गांव की जानकारी मंगवाने की बात मैंने यहां कही है । मैं माननीय निषाद जी से कहूंगा कि वे मुझे लिखकर दे दें निश्चित तौर पर अधिकारी भेजकर सर्वे कराके जो ऐतिहासक महत्व

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का है उसको उसमें, पुरातत्व को, सांस्कृतिक को जो जिसमें आयेगा निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि इस पूरे प्रदेश में धर्मस्व का, धार्मिक न्यास का, संस्कृति, पर्यटन, पुरातत्व जहां-जहां भी मिलेगा चिन्हांकित करेंगे, सम्मिलित करेंगे, उसके रखरखाव की व्यवस्था करेंगे । मेला स्थल के विकास की भी सारी चीज करना चाहते हैं, इस विभाग को थोड़ा आगे करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जानकारी दे दें । चूंकि पूरे प्रदेश के 90 माननीय विधायक यहां बैठते हैं और पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्तव करते हैं तो मैं सभी विधायकों से भी निवेदन करूंगा कि उनके क्षेत्रों में जहां भी आपको लगता है कि एतिहासिक है, पुरातत्व का कुछ चीज मिल सकता है, धार्मिक न्यास की बात है, धर्मस्व की बात है जहां मेला लगता हो, जहां मंदिर हों आप सब अपने क्षेत्र की दे दें तो मुझको ज्यादा सुविधा मिलेगी मैं श्री कुंवर निषाद जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने लगाया ताकि मुझे सबको करना पड़े । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका तो सब आ गया ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक और निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कल वहां दौरा था, गौरेया धाम में गये थे और वहां की स्थिति से पूरा अवगत करा दिया गया है अत: माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक-बार समय निकालकर जरूर गौरेया धाम जाईये चूंकि वहां का पुरातात्विक इतिहास है । उसको वहां जो संरक्षण और संवर्धन मिलना चाहिए था उस हिसाब से उसको नहीं मिल पाया और वहां लगभग 130 प्राचीन काल की मूर्तियां हैं, जो कल्चुरी वर्ष के हैं वे आज वैसे ही पड़े हुए हैं । मैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप एक-बार जरूर जाईये और कृपया मुझे भी आपके साथ चलने का अवसर मिले ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र समाप्त होने के बाद आदरणीय निषाद जी के साथ बैठकर, तारीख तय करके तत्काल जाना चाहूंगा । मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुल-पुलिया, सड़क, भवन निर्माण की स्वीकृति</u>

6. (*क्र. 899) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2015-16 से 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक कुल कितने सड़क, पुल-पुलिया एवं भवन निर्माण/मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की गई ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध

करायें ? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य के प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2015-16 छुइहा से बलौदाबाजार नगर तक आने वाली नहर पर सड़क निर्माण कार्य आज तक प्रारंभ क्यों नहीं हुआ और बलौदाबाजार बायपास रोड लगभग डेढ़ किलोमीटर आज तक क्यों नहीं बना ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरी जानकारी मांगी है । प्रश्नांश (क) और (ख) की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मंत्री महोदय, आपके द्वारा दी गई जानकारी में ही दूसरे नम्बर पर छुइहा से बलौदाबाजार तक आने वाली नहर पर सड़क का निर्माण कार्य लगभग 3-4 वर्षों से अप्रारंभ क्यों है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- कौन से क्रम का ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- दूसरे नम्बर का ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सिनोधा से भंवरगढ़ ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं । छुइहा से बलौदाबाजार नगर तक आने वाली नहर पर सड़क निर्माण कार्य 2.40 किलोमीटर, अप्रारंभ ।

अध्यक्ष महोदय :- दूसरे नम्बर पर है, छुइहा से बलौदाबाजार नगर आने वाली।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी मैंने दे दी है कि भूअर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और एलानमेंट परिवर्तन हेतु कलेक्टर द्वारा नोटशीट अनुमोदित कर दी गयी है । जल संसाधन विभाग को अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि एक समय सीमा बता दें कि यह कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय विधायक जी को जानकारी देना चाहूंगा कि अलग अलग विभागों से जानकारियां आनी होती हैं और संबंधित होता है हमारी ओर से कोई विलम्ब नहीं है । जल संसाधन विभाग से आ जाए और कलेक्टर से उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो हम लोग प्रारंभ कर देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन था, बलौदाबाजार बायपास वाला, जो डेढ़ किलोमीटर की रोड बची है, यह कार्य भी पूरा नहीं हुआ है । जबकि बायपास रोड विगत 4 साल से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बनी हुई है, केवल डेढ़ किलोमीटर का काम नहीं होने के कारण पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है । मंत्री जी से निवेदन है कि बचे हुए डेढ़ किलोमीटर की रोड का काम भी जल्द से जल्द पूरा करवा दें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय विधायक जी के साथ बैठकर उनको पूरा डिटेल बता दूंगा । जो उनकी जानकारी के लिए होगा, मैं तुरंत अधिकारियों से जानकारी लेकर दे दूंगा । वैसे इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- धन्यवाद् ।

प्रश्न संख्या : 7 XX XX

<u>बस्तर जिले अंतर्गत होटल/मोटल से प्राप्त आय</u>

8. (*क्र. 1091) श्री दीपक बैज : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत पर्यटन विभाग के द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 में कितने व कौन-कौन से होटलो/मोटलों का निर्माण किया गया है ? होटल/मोटल स्वीकृत वर्ष, कार्य स्थल, कार्य की भौतिक स्थिति लागत राशि सहित विकासखंडवार जानकारी दी जाये ? (ख) प्रश्नांश (क) निर्मित होटलों/मोटलों से प्रतिवर्ष शासन को कितनी आय प्राप्त हो रही है ? होटल/मोटल का नाम सहित वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) वर्तमान में उक्त होटलों/मोटलों में प्रतिदिन का निर्धारित शुल्क या किराया कितना-कितना है ? होटल/मोटल का नाम एवं किराया राशि सहित जानकारी दी जावें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) बस्तर जिले के अंतर्गत पर्यटन विभाग के द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 में कोई भी होटल/मोटल का निर्माण नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न "ख" उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न "ग" उपस्थित नहीं होता.

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बस्तर संभाग के अंतर्गत होटल/मोटल के संबंध में पूछा था । मंत्री जी का जवाब आया है कि कोई निर्माण नहीं किया गया है । दरअसल में इसमें रिसॉर्ट के बारे में जानना चाह रहा था । अगर मंत्री जी कहें तो आगे प्रश्न पूछता हूं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जी पूछिए ।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, मेरे चित्रकूट में पर्यटन विभाग के द्वारा अभी तक कितने रिसॉर्ट बनाए गए हैं और उक्त रिसॉर्ट में से कितने रिसॉर्ट वर्तमान में शेष हैं तथा उक्त रिसोर्टों के निर्माण की क्या लागत है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट में एक दंडामी लग्जरी टूरिस्ट रिसॉर्ट बनाया गया है, बाकी सब दूसरी जगहों पर है ।

श्री दीपक बैज :- वर्तमान में अभी कितने रिसॉर्ट हैं । इसको बाद में उपलब्ध करा दीजिएगा । अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान में कितने रिसॉर्ट का काम चल रहा है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, बस्तर जिले के अंतर्गत पर्यटन विभाग के द्वारा जो होटल मोटल का प्रश्न है, उसमें मैं पूरक जानकारी में बताना चाहूंगा हालांकि उस सन् में जिस सन् का माननीय सदस्य ने कहा उसमें नई निर्मित है। एक है गोरगा टूरिस्ट काटिस्ट तीरथगढ़ में। दूसरा है दण्डामी लग्जरी टूरिस्ट रिसोर्ट चित्रकूट में और पारथ टूरिस्ट रिसोर्ट आसना है। इस प्रकार से हमारे वहां पर रिसोर्ट हैं और अलग-अलग किसी को होटल या मोटल का ऐसा नाम भी उसमें रखा गया है। यदि छत्तीसगढ़ के पूरे का है तो उसकी भी जानकारी मेरे पास है।

श्री दीपक बैज :- चित्रकूट में जो रिसोर्ट बनाया गया है, उक्त रिसोर्ट का आपने कितना किराया तय किया है और साल में सरकार को उससे कितने राजस्व की प्राप्ति होती है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, दण्डामी लग्जरी रिसोर्ट जो है, उसका चित्रकूट में उसका किराया 2700 रूपया है। सिंगल आक्यूपेसी मतलब एक आदमी अगर ठहरता है तो और 4100 रूपया डबल मतलब दो आदमी ठहरते हैं और एक्स्ट्रा और होते हैं तो 5200 रूपया उसका किराया है।

श्री दीपक बैज :- सालभर में कितना आया है, उसको नहीं बतायेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- वर्ष 2016-17 में हमको किराया में जो आय हुआ था, उसमें अलग से सालभर के किराये का 2016-17 में 1 करोड़ 1 लाख 45 हजार 487 रूपये आया। वर्ष 2017-18 में 1 करोड़ 2 लाख 74 हजार 717 इस प्रकार से आय है।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उक्त रिसोर्ट को वर्तमान में किसी प्राइवेट या निजी एजेंसी को देने की चल रही है या विभाग ही चलाएगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अभी एक टेंडर निकाला गया था, जिसमें वर्तमान सरकार आने के बाद जो परीक्षण किया गया है। काफी जो होटल मोटल का निर्माण किया गया है, उसमें कुछ मोटल जो हैं, बंद पड़े हुए हैं। इसलिए यह तय किया गया कि हम उसको टेंडर निकालकर अनुबंध के आधार पर हमारे जो टर्मस कंडीशन हैं, उसके हिसाब से, जिसमें विभाग को नुकसान न हो तो टेंडर निकाला गया है। करीब-करीब 10-12 लेने के लिए तैयार हैं। कुछ अभी बचा हुआ है तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा कि कौन-कौन सा मोटल के लिए टेंडर जो आया हुआ है, वह स्वीकृत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो गया है। कौन सा बचा है? और जो कम है उसको फिर टेंडर करना चाह रहे हैं। विभाग के द्वारा उसकी जानकारी लेकर मैं बता दूंगा।

श्री दीपक बैज :- नहीं, माननीय मंत्री जी, मोटल तो ठीक है। क्योंकि पिछले सरकार ने मोटलों को पूरे रोड में बना दिया और वह जर्जर स्थिति में है। वह तो ठीक है। लेकिन मेरा वही कहना है। जैसे चित्रकूट रिसोर्ट में माननीय मंत्री जी, उसमें क्या है, वहां पर लोकल स्टाफ काम कर रहे हैं और उनका डर यह है कि चित्रकूट अगर पर्यटन स्थल की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम उनको प्राइवेट को दें तो हम लोगों को वहां पर बेरोजगार होना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में अगर आप सोच भी रहे हैं तो उसको कम से कम प्राइवेट को न दें। इसमें मेरा एक निवेदन है कि इसमें आप क्या विचार कर रहे हैं?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्मानीय अध्यक्ष जी, जो स्थानीय कर्मचारी काम रहे हैं, उसके लिए माननीय सदस्य की चिंता है और यह चिंता सही भी है क्योंकि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यह मंशा रहती है। तो मैं जानकारी ले लूंगा कि वर्तमान कंडीशन क्या है और यह सुनिश्चित तो जरूर है कि आपसे चर्चा करके विभाग से चर्चा करके कि हमारे स्थानीय कर्मचारियों का नुकसान न हो, ऐसी चर्चा करके निर्णय लेंगे।

<u>बस्तर जिले में सड़कों के मरम्मत हेतु व्यय राशि</u>

9. (*क्र. 497) श्री बघेल लखेश्वर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015 से जनवरी 2019 तक बस्तर जिले में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कें हैं ? कितनी-कितनी दूरी की हैं ? सड़कों के मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी †[3] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2019 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत कार्य संबंधित। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुल 2015 से 2019 तक 164 सड़कें मरम्मत कार्य संबंधित दर्शाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता कि चित्रकूट के उक्त सड़कों के मरम्मत कार्यों की सूची वर्षवार उपलब्ध करवा दें, यह पहला प्रश्न। दूसरा, क्या उक्त सड़क नया बनाने के बाद या मरम्मत के बाद फिर अगला मरम्मत करना है, उसके लिए कोई मापदण्ड है ?

---

[3] परिशिष्ट "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सड़क निर्माण होता है, उसके अनुबंध में रहता है कि ठेकेदार कितने वर्ष तक उस सड़क का मरम्मत कार्य करेगा। अगर उस अवधि के अंदर सड़क खराब होता है, तो उसके मरम्मत का काम उस ठेकेदार से कराया जाता है। जिस सड़की बात, चित्रकूट-बारसूर की बात कही गई है, उसकी लंबाई 45 किलोमीटर और चौड़ाई साढ़े पांच मीटर है। उसके चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत हो गया है। उसमें कार्य प्रारंभ किया जाना है। 35 करोड़ 90 लाख रूपये उसकी लागत है। तो यह चौड़ीकरण का काम चालू होगा।

श्री दीपक बैज :- मतलब यह नई स्वीकृति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि उक्त सड़क बनने के बाद मरम्मत हुआ है। तो उस सड़क को कितनी बार मरम्मत किया गया है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क को कितनी मरम्मत कराया गया है, मैं यह तो तुरन्त उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। क्योंकि उसकी अवधि होती है। हो सकता है कि कोई सड़क का मरम्मत एक बार हुआ हो, दो बार हुआ हो। परन्तु वर्ष 2015-16 में 11 किलोमीटर डामर रिनीवल पूर्ण किया गया था। 104लाख रूपये व्यय हुआ था। वर्ष 2016-17 में भी 12 किलोमीटर सड़क मरम्मत का डामर रिनीवल हुआ था, 347 लाख व्यय हुआ था। इसी प्रकार से क्रम चलते रहता है।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जगदलपुर से चित्रकूट मार्ग का मरम्मत कराया। फिर भी आज उक्त सड़कों में चोंडीगुड़ा, गुठ्ठागुड़ा, पोट्टानार, देउरगांव, टेकामेटा, करंजी पुल के पास आज भी गड्ढे बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहता हूं कि आप मरम्मत करा रहे हैं और पीछे गड्ढे छूट रहे हैं। क्या आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे, उन गड्ढों को भी ठीक करा दें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिन सड़कों के विषय में उल्लेख किया है, मैं अपने विभाग के अधिकारियों को यहां से सूची लेकर दे दूंगा, ताकि उनको जाकर देख लें। यदि मरम्मत योग्य है, ठेकेदार के अनुबंध सीमा के अंदर है तो उनसे करा लें। यदि नहीं होगा तो हम अपने विभागीय मद से उनको मरम्मत के लिए जरूर निर्देश करेंगे।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न है कि चित्रकूट से बारसूर मार्ग, 36 किलोमीटर, लागत 04 करोड़ 55 लाख 74 हजार रूपये है। आपने कुछ महीने पूर्व ही उसका मरम्मत कराया है। बड़ी मुश्किल से 3 से 4 महीने हुए होंगे। उसके बाद आपने फिर से उस सड़क को नया बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दिए। तो सीधे-सीधे सरकार के पैसे का नुकसान हो रहा है। सरकार का मापदण्ड क्या है, क्या चाह रहे हैं ? तीन महीने पहले उसका मरम्मत कार्य कराया गया है और उसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

साढ़े चार करोड़ रूपया चला गया और उसके बाद फिर नया बना रहे हैं। तो इस पर क्या विचार कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, इसमें क्या कहेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, मरम्मत कार्य अलग है और चौड़ीकरण का कार्य अलग है। दोनों अलग-अलग है। यदि मरम्मत वाले कार्य में माननीय विधायक जी को कहीं संदेह हो कि काम ठीक नहीं हुआ, या राशि का दुरूपयोग किया गया है, कम कार्य है और अधिक राशि स्वीकृत की गई है, ऐसा कोई भी संदेह हो तो मुझे जानकारी दे दें, मैं जांच भी करवा लूंगा, निरीक्षण भी करवा लूंगा, उसको दिखवा लूंगा।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें चाह रहा हूँ कि आप उक्त कार्यों की विभगीय मंत्री के साथ मेरा एक बार निरीक्षण करा दें।

अकलतरा तहसील अंतर्गत सांई लीलागर विद्युत संयंत्र में कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों का लंबित भुगतान

10. (*क्र. 338) श्री सौरभ सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा तहसील के अंतर्गत सांई लीलागर विद्युत संयंत्र का संचालन कब से बंद है. (ख) उपरोक्त संयंत्र में कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों की कितनी राशि का भुगतान कब से लंबित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नांकित संस्थान में विनिर्माण/उत्पादन प्रक्रिया का संचालन 17 जुलाई 2017 से बंद है. (ख) उपरोक्त संयंत्र में कार्यरत 167 मजदूरों का माह सितम्बर, 2017 से जनवरी, 2018 तक 7001840/- एवं 10 मजदूरों का माह अप्रैल, 2018 से अक्टूबर, 2018 का 570578/- का भुगतान लंबित है. संस्थान में कार्यरत् 55 कर्मचारियों का कोई भुगतान लंबित नहीं है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि उपरोक्त उद्योग में आज की तारीख तक लगभग 75 लाख रूपये श्रमिकों का भुगतान लंबित है। श्रमिक लोग लगातार श्रम विभाग और कलेक्टर के पास इसकी शिकायत करते आए हैं। सन् 2017 से प्लांट बंद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्रम विभाग में उपरोक्त मजदूरों को उनका भुगतान दिलाने के लिए क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि साई लीलागर पावर जनरेशन लिमिटेड कम्पनी जो है, ये 17.7.2017 को कारखाना प्रबंधन द्वारा कोयले की अनुपलब्धता के कारण पावर प्लांट बंद कर दिया गया है । उसमें यह हमारे जो मजदूर हैं, उनको 125 श्रमिकों का वेतन

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

भुगतान के लिए प्रकरण लंबित है, उसमें प्रावधान है कि 10 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता तो वह खुद न्यायालय में जाकर मांग सकते हैं या हमारे श्रम विभाग में कहते हैं तो भुगतान नहीं हुआ तो हमारे विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है, प्रबंधन को लिखा जाता है । प्रबंधन को पहले लिखा गया था कि आपने वेतन भुगतान नहीं किया तो आप वेतन भुगतान करिए । मान लो वेतन का भुगतान नहीं किया है, अगर नीयत समय में 10 दिन तक भुगतान नहीं करता तो प्रावधान है कि श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाता है और श्रम न्यायालय में हम लोगों ने मजदूरों के भुगतान के लिए 65 लाख रूपए का दावा प्रकरण वेतन भुगतान के लिए माननीय श्रम न्यायालय में 2.2.19 को प्रकरण दायर कर दिया और उसमें न्यायालय तय करेगा कि कब तक भुगतान करना है, प्रकरण न्यायालय में लंबित है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.2.2019 को श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज हो गया है । दिनांक 2.2.2019 को विधान सभा में प्रश्न लगने के बाद मामला दर्ज हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि श्रम विभाग से संबंधित अधिकारी को श्रमिक जा-जाकर बार-बार बोल रहे थे कि हमारा पैसा उद्योग से दिलाएं । लॉ किस चीज के लिए है, श्रम विभाग किस चीज के लिए है ? अगर श्रमिक वहां पर जाकर नहीं बोलेंगे, विधान सभा में प्रश्न लगा तो वहां पर लंबित प्रकरण दर्ज किया गया, उसके पहले तो प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था तो उद्योगपतियों को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है ? वह प्लांट बंद करके चला जाए, यहां 75 लाख रूपए बकाया है, उन बेचारे मजदूरों की नौकरी चली गई, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो वे कहां जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.2.2019 को प्रकरण दर्ज किया गया है । उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो इतने दिन से मामले को लटका कर रखा, उसके खिलाफ जांच करेंगे या कार्यवाही करेंगे ? ये तो विधान सभा में प्रश्न लगने के बाद लेबर कोर्ट में प्रकरण दर्ज हुआ है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अवधि में मिल बंद हुआ और जब प्रकरण दर्ज हुआ तो इतने दिन में प्रकरण दर्ज करने के कारण क्या हैं, किन कारणों से प्रकरण इतने दिनों बाद दर्ज किया गया, कार्यवाही तो बाद की बात है, जब नियम में प्रावधान है तो इतने दिन तक प्रकरण लंबित क्यों रखा गया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मामला हमारे संज्ञान में लाया जाता है, तभी निराकरण होता है । जब श्रमिकों को भुगतान नहीं हुआ है, ये हमारे संज्ञान में जब आया, तब उस प्रकरण में कार्यवाही की गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने शुरूआत में नियम पढ़ा तो नियम के प्रावधान में आपने खुद बताया कि इतने दिन में आवेदन करेंगे, इतने दिन में कार्यवाही होगी, सारे नियम आपने बताया तो उस नियम के विपरीत आपने दो साल बाद कार्यवाही की है, कोर्ट में गए हैं तो दो साल तक आपके संज्ञान में नहीं आया या नहीं लाया गया या आपने किस तरह से दो साल में किन कारणों से किया, ये बताना चाह रहा हूं, तब वे कार्यवाही की मांग करेंगे कि आखिर आपको कोर्ट में जाने के लिए दो साल क्यों लगा, किन कारणों से आप दो साल बाद गए?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास प्रकरण लाया जाएगा, तभी तो हम उसमें कार्यवाही करेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी ने प्रकरण लाया ही नहीं, जब विधान सभा में सवाल आ रहा है, उसके बाद प्रकरण दर्ज कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा में प्रश्न लगा, उसके बाद प्रकरण दर्ज कर रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजतक श्रमिको को घूमा रहे थे । श्रमिकों को घूमाया जा रहा था कि आज करेंगे, कल करेंगे, इसके साथ मीटिंग करेंगे, उसके साथ मीटिंग करेंगे। जब मामला विधान सभा में आ गया, तब लेबर कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, इसके पहले कुछ नहीं हुआ । ...(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रश्न के उत्तर में आपने माना है कि 10 मजदूरों का भुगतान लंबित है।...(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदमी तो बोलो, दोनों के दोनों बोल रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।...(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, आप गुस्सा उतार रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- जब आपका प्रश्न विधान सभा में आया तो कुछ फायदा हुआ न ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फायदा हुआ, पर उनको अभी पैसा कहां मिला, अब तो फिर मामला कोर्ट में चला गया।

अध्यक्ष महोदय :- कोर्ट में चल रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी दो साल बाद गए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल बाद कोर्ट में गए। मेरा मूल प्रश्न यही है कि दो साल तक उन श्रमिकों का जिन अधिकारी-कर्मचारियों ने मामला लंबित रखा था, उसके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, उस दो साल का हिसाब तो आपके पास ही होगा न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इधर आ जाओ, हम हिसाब कर देंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कार्यवाही की मांग करते हैं । जो मामले दो साल से लंबित थे, उन अधिकारियों-कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले तो इन्हीं की सरकार थी, सरकार क्या कर रही थी, आप लोग क्या कर रहे थे ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री शिवकुमार डहरिया :- हमारे संज्ञान में आया है तो हमने कार्यवाही की है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वही उद्योगपति 1800 मेगावाट का प्लाण्ट बगल में 2 किलोमीटर में चला रहा है । उसके अधिकारी को, कर्मचारी को, मालिक को एफ.आई.आर. लगाकर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- कहां चला रहा है ?

श्री सौरभ सिंह :- के.एस.के. महानदी जो चला रहा है, 1800 मेगावाट का प्लाण्ट जो चला रहा है, उसी का यह सिस्टर कंसर्न प्लाण्ट है । अगर कार्यवाही करनी है तो उसके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं की जाती है ? वह प्लाण्ट चल रहा है, यह प्लाण्ट बंद हो गया है । चार किलोमीटर में बगल में बड़ा प्लाण्ट चल रहा है । जब वह प्लाण्ट बगल में चल रहा है, वहां पर अधिकारी हैं, कर्मचारी है, मालिक है, उनके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं की जाती है ? इनका लंबित भुगतान क्यों नहीं किया जाता ?

श्री शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही निश्चित रूप से की जा रही है । हमारी संज्ञान में आया है, हमने कार्यवाही की है ।

श्री सौरभ सिंह :- 2 साल तक कोर्ट में नहीं गये । उसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिये अध्यक्ष महोदय । हमारी मांग पर कार्यवाही की है ।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं ।

श्री शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकरण में कार्यवाही की जाती है । बंदी अधिनियम में प्रावधान है, अगर आप कारखाना खोलते हैं तो अनुमति लेते हैं । बंद करते हो तो अनुमति लेना चाहिये । बिना अनुमति के आपने बंद कर दिया । इसमें नियमों में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रावधान है । एक महीने तक सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है । यह मामला हमने न्यायालय में दर्ज कर दिया है । उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- देरी हुई है, उस पर क्या कार्यवाही करेंगे, यह विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री शिवकुमार डहरिया :- यह तो आपके मंत्री की गलती है । पहले क्यों नहीं किये । चूंकि हमारे संज्ञान में आया है ...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- सरकार में तो आये केवल दो महीना हुआ है । पहले आप लोगों ने कार्यवाही क्यों नहीं किया । इसके पहले तो आप ही लोगों की सरकार थी । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- आपने तुरन्त कार्यवाही की । दो साल से जो अधिकारी है, आज भी वह अधिकारी वहीं पर पदस्थ है । जो श्रम विभाग का अधिकारी था, उस श्रम विभाग के अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या ? जो कि दो साल से उसको लंबित रखा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूॅं कि मंत्री जी के संज्ञान में मामला आ गया । मामला लेबर कोर्ट में चला गया, पहले हमारी सरकार थी, आज आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार में जो दोषी अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करेंगे क्या ? आप सदन में घोषणा करेंगे ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- आपकी सरकार ने दो साल तक कुछ किया नहीं । हम सब कर रहे हैं । दिख तो रहा है । आप अपनी सरकार का क्यों छिपाना चाहते हो ? हम तो कार्यवाही कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि 15 साल का गुस्सा ...। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पाइंटेड किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री भीमा मण्डावी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा पाईन्टेड प्रश्न है कि क्या मंत्री जी, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की घोषणा इस सदन में करेंगे क्या ?

श्री शिवकुमार डहरिया :- मैं इसका जवाब दे चुका हूॅं, सुनते ही नहीं है, माननीय महोदय । यही पिछले वाले सदस्य ने भी पूछा था । उसका जवाब दे चुका हूॅं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कार्यवाही निकाल कर देख लो । आप दोषी अधिकारियों को बचा रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- दोषी अधिकारी को तो आपकी सरकार ने बचाया । आप उनके ऊपर कार्यवाही नहीं किये । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- क्या आप उस अधिकारी के खिलाफ में कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में बात आ गई ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी अधिकारी को बचाने में लगे हुये हैं । इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर इसके कारण सदन से बहिगर्मन करते हैं ।

समय :

11:59 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिगर्मन किया गया ।)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 11, भीमा मण्डावी ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भीमा मण्डावी ने तो बहिगर्मन किया ही नहीं ।

श्री भीमा मण्डावी :- मैं बहिगर्मन करके आ रहा हूॅं भईया ।

नक्सली वारदात में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा

11. (*क्र. 968) श्री भीमा मण्डावी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में बस्तर संभाग क्षेत्र में कहां-कहां, कब-कब नक्सली हमला हुआ, कितने सुरक्षा बल एवं आम नागरिक मारे गए ? (ख) घटनाओं में मारे गये शहीद सुरक्षाबल एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, आम नागरिकों के परिजनों को कौन-कौन सा मुआवजा/क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) वर्ष 2014-15 से 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में बस्तर संभाग क्षेत्र में कहां-कहां, कब-कब नक्सली हमला हुआ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट च्च्कज्ज् में है. 207 सुरक्षा बल शहीद एवं 214 आम नागरिक मारे गये. (ख) शहीद सुरक्षाबल के परिजनों को विशेष अनुग्रह राशि 15 लाख, विशेष बीमा राशि 25 लाख, समूह बीमा योजना 03 लाख, शहीद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सम्मान निधि 05 लाख एवं परोपकार निधि 02 लाख तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, आम नागरिक के परिजनों को छ.ग. पुर्नवास कार्ययोजना के तहत् 05 लाख रु. मुआवजा/क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ख" एवं "ग" में है.

श्री भीमा मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष जी, समय कम है । मैं सीधे प्रश्न पर आ जाता हूॅं । क्या नक्सलियों के द्वारा हमले किये गये परिवारों को दिये जाने वाला मुआवजा और क्षतिपूर्ति राशि लंबित है । यदि लंबित है तो कब तक दिये जायेंगे । कृपया माननीय मंत्री जी बतायें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मण्डावी जी के प्रश्न का जवाब पूरा विस्तृत तौर पर मैंने दे दिया है । उसमें लंबित जो प्रकरण है, उसकी भी जानकारी मैंने दे दी है । लगभग 22 प्रकरण लंबित हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

पशुधन विकास मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (31 दिसम्बर, 2018) एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगातार सीमेंट कंपनियों के द्वारा रेट में वृद्धि की गई है और ये लगातार हो रही है। लगभग 20 से 25 रूपये तक की वृद्धि हुई है। इसको लेकर सरकार द्वारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सीमेंट की बहुत कोई लंबी डिमांड नहीं है और उसके बाद वृद्धि होना जिससे पूरे प्रदेश के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हमने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है इसको तत्काल स्वीकार करें और ये जो सीमेंट में वृद्धि हो रही है और बिना कोई कारण के वृद्धि हो रही है, ऐसा लगता है कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए हो रही है और इसलिए इसमें जो कंट्रोल नहीं है उसे लेकर जो आक्रोश व्याप्त है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें नियंत्रण होना चाहिए, इसमें रोक लगनी चाहिए और इसे नियंत्रित करें ताकि अनाधिकृत रूप से और जो अवैध लाभ जो सीमेंट कंपनियों के मालिकों को अवैध रूप से जा रहा है, उसे रोकने का प्रयास करें। इस पर चर्चा कराई जाए तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जी ने जो मामला उठाया है ये पूरे प्रदेश का मामला है और लोक महत्व का विषय है। आम आदमी का सपना होता है कि उसका घर बने लेकिन अप्रत्याशित रूप से सीमेंट के दामों में जो वृद्धि हो रही है, उसी विषय को लेकर हमने ध्यानाकर्षण और सथगन दिया है। कृपया इसे स्वीकार करके चर्चा करायें।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जितने भी सीमेंट प्लांट स्थापित हैं, सारे सीमेंट प्लांट वालों ने कार्टेल बनाया है और इस कार्टेल को बनाने में कहीं न कहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सरकार की भूमिका है और कार्टेल बनाकर सीमेंट के भाव में एक महीने के अंदर अप्रत्याशित रूप से 20 रूपये की वृद्धि की गई है और सारे लोगों को सीमेंट महंगी मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- आज सब सीमेंट पर है क्या? एक ही विषय पर चार लोग थोड़ी बोलेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण विषय है, मेरा इस पर आग्रह है कि इस पर ध्यानाकर्षण स्वीकार करके चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय :- लगाये हैं न, विचार करेंगे, शासन से जवाब आयेगा। सौरभ सिंह जी, आपका भी यदि सीमेंट है तो मत करें।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सीमेंट के रेट बढ़ रहे हैं इसके साथ-साथ रेत के भी रेट बढ़ रहे हैं। रेत की खदानें भी बंद कर दी गई हैं। कोई नियम, कानून कायदे के तहत नहीं तो क्या सिस्टम से बंद हो रही हैं। सारी रेत की खदानें बंद हो गई हैं। रेत घाट पर जो 4500 रूपये में रेत मिलती थी आज वह 8 हजार, 9 हजार और 10 हजार रूपये तक पहुंच गई है और आम आदमी अपना घर नहीं बना पा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बताया, सदस्य की भावनाएं इस तरह से हैं कि प्रदेश में पूरा निर्माण कार्य ठप्प हो गया है। समाचार पत्र से लेकर आर्थिक विश्लेषकों ने सबने लिखा है कि प्रदेश में सीमेंट की मांग गिर रही है उसके बावजूद सीमेंट की दर बढ़ रही है। रेत के भाव में किसी का नियंत्रण नहीं है। कच्चे माल का परिवहन खनिज विभाग पूरी तरह हर तरफ बंद कर रहा है, यह उसके लिए है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बंधु लोग जब इधर बैठते थे तो जब रेट वृद्धि होती थी तो फलाना टैक्स करके नाम लगाते थे, सीमेंट के जब दाम बढ़ते थे तो फलाना टैक्स लग रहा है करके आरोप लगाते थे, आज किसके कारण सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं इस पर चर्चा कराई जाना आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सारे कार्य रोककर आप इस पर चर्चा करवायें। यह कौन सा टैक्स है?

श्री अमरजीत भगत :- ये चुपचाप बैठे रहते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक महीने के अंदर दो बार 15 रूपये भाव बढ़े हैं।

श्री नारायण चंदेल :- लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है और सुनियोजित तरीके से हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा प्रदेश परेशान है, आज इस पर सारे काम रोककर चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय :- करा लेंगे, विचार कर रहे हैं। आप काहे को परेशान हो रहे हैं।

श्री भीमा मंडावी :- सेट आदमी हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:06 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के स्थानीय अधिकारियों द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के नाम पर जुर्माना वसूल किया जाना

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- बलरामपुर जिले के रामानुजगंज एवं बलरामपुर दो मुख्य शहर हैं। जहां शासकीय भवन एवं निजी भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु स्थानीय कन्हार नदी एवं चनान नदी तथा सेन्दूर नदी से रेत लाई जाती है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के नाम पर लगातार जब्ती कर जुर्माना वूसला जा रहा है। इस कारण दोनों शहरों एवं उपरोक्त जिले के ग्रामों में निर्माण कार्यो/विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस कारण शासन/प्रशासन के प्रति क्षेत्रवासियों में रोष व आक्रोश व्याप्त है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में जिला कलेक्टर द्वारा 11 रेत खदानें घोषित की गई है, जिसमें से वर्तमान में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर तहसील वाण्ड्रफनगर के ग्राम पंचायत मेंढारी की इरिय नदीं में 02 रेत खदानें संचालित हैं। पर्यावरण स्वीकृति के साथ इन रेत खदानों से रेत की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र की कन्हार नदीं में रेत खदान घोषित है, किन्तु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से वर्तमान में संचालित नहीं है ।

रेत खनन के लिये कलेक्टर द्वारा रेत खदान के क्षेत्र को चिन्हित कर घोषित किया जाता है । इन घोषित रेत खनन क्षेत्रों से संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय को रायल्टी का भुगतान कर रेत निकाली जा सकती है । खनिज के परिवहन क लिये छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन, भण्डारण) नियम, 2009 के तहत अभिवहन पास की अनिवार्यता की गई है । अभिवहन पास के बिना रेत के परिवहन करने वालों के विरूद्ध खनिज कानूनों के तहत कार्यवाही की जाती है ।

रेत खदान के घोषित क्षेत्रों का छोड़कर अन्य क्षेत्रों से रेत का खनन एवं परिवहन किया जाना विधि सम्मत एवं नियमानुकूल नहीं होने के कारण ऐसे प्रकरणों में सक्षम अधिकारियों द्वारा अवैध उत्खनन/ अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है । इस हेतु खनिज साधन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी अधिकृत हैं । खनिज कानून का उल्लंघन कर उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना विधि सम्मत है । वर्ष 2016 - 2017 से 2018 - 2019 (15 फरवरी,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2019 तक) जिले में रेत के कुल 72 प्रकरण दर्ज कर राशि 09 लाख 83 हजार 920 रूपए वसूल की गई है ।

जिले के रामानुजगंज एवं बलरामपुर अन्य क्षेत्रों में निर्माण/विकास कार्य बिना किसी व्यवधान के चल रहे हैं । अत: क्षेत्र में शासन/प्रशासन के प्रति कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का पहला ध्यानाकर्षण है, बढ़िया सौभाग्यशाली हो मांग पूरी करवा लो, जांच पूरी करवा लो, मांग की घोषणा करवा लो । देखते हैं आज उनकी कितनी उदारता है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उदारता की क्या बात है, जनता की आवाज है, मैं उसको बता रहा हूं । आपने नहीं सुना तो कम से कम ये सुने, यही हमारी अपेक्षा है । रामानुजगंज और बलरामपुर उस जिले के दो बड़े शहर हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वहां से वाड्रफनगर क्षेत्र का वहां से 60 किलोमीटर दूरी है । दूसरी जो खदान है, वह सनावल के पास है जहां उस क्षेत्र में बहुत बड़े नेता रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बना हुआ है । उस नदी पर दो खदानें घोषित हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े नेता का नाम ता बताइए ? जब आप उल्लेख कर रहे हैं तो वह बहुत बड़े नेता कौन हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सदन में नाम लेना उचित नहीं होगा । चूंकि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री मेरे ख्याल से बहुत बड़े विद्वान साथी हैं ।

श्री भीमा मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत बड़े नेता आप ही हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बांगा नदी है, जहां से उत्तर प्रदेश की सरहद लगती है । वहां से 300 से 500 प्रतिदिन ट्रकें लोड होती हैं । वहां पर जो मुख्य रसीदें काटी जाती थीं, वह सिर्फ 600 रूपए की कटती है और गाड़ी वालां से 13600 रूपए वसूल किया जाता है । मेरी सरकार के खजाने में सिर्फ 600 रूपए होत हैं । यह लगातार पूर्ववर्ती सरकार और अधिकारियों के मिलीभगत से होता रहा है । जहां पर गांव के लोगों ने बहुत रोष व्याप्त किया और नतीजा यह हुआ कि वहां पर दो बड़ी पुलियां करोड़ों की लागत की थी, वह बह गई और सात से आठ गांव के लोगों का आवागमन बाधित हो गया । आज चलना और आना जाता दुर्लभ हो गया है । करोड़ों रूपए का उत्खनन वहां से उत्तर प्रदेश जाता रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि रेत खनन हो, उस पर नियमों का पालन हो और ज्यादा से पैसा मिले और वह विकास के कामों में लगे और ऐसा निश्चित हो कि हमारा पुलिया डेमेज न हो, ऐसी जगहों पर खदानों का निर्धारण हो। मैं आपके माध्यम से ऐसा चाहता हूँ। हमारे खजाने में 13 हजार रूपये की जगह 600 रूपये आते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसे अवैध उत्खनन और उत्तरप्रदेश ले जाने वालों को वैधानिक कोई नियम बनाकर, सही नियम बनाकर, हमारे रायल्टी की सही राशि हमारे राज्य को प्राप्त हो सकेगा, क्या ? जिससे हमारे राज्य का विकास होगा और उससे दो पुलिया की क्षति हुई है, उसकी भी भरपाई करने की कोशिश होगी क्या ? और जो भी अधिकारी दोषी हों या जो भी व्यक्ति हों, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कही है उस नदी में दो खदान चिन्हित किये गये हैं और वहां चूंकि पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं लगाये। इस कारण से वह खदान शुरू नहीं हो पाया और इसके कारण से अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अवैध उत्खनन की शिकायतें हो रही हैं और चूंकि उत्तरप्रदेश से लगा हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य ने जानकारी दी कि वहां रेत के अवैध उत्खनन भी हो रहे हैं, परिवहन भी हो रहे हैं। पंचायतों को रायल्टी कम मिल रही है और दूसरे प्रदेश में ले जाकर उसे 13000 से लेकर 27000 तक की कीमत में प्रति ट्रक बेचा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत रेत खदान का संचालन का अधिकार दिया गया है और उसमें पंचायत में 5 लाख तक के और फिर उससे ऊपर है तो फिर जनपद में, फिर जिला पंचायत में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। लेकिन देखने में यही आता है कि इसका दुरूपयोग हो रहा है और रायल्टी की चोरी भी हो रही है और चोरी को रोकने के लिए विभाग ने अनेक कदम उठाये हैं, लेकिन माननीय सदस्य की जो चिंता है वह दूसरे प्रदेश में भी अवैध परिवहन हो रहा है उसके बारे में भी है। पिछले सत्र में माननीय धनेन्द्र साहू जी भी इस मामले में खूब मामला उठाये हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसके रोक के लिए जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठायेंगे। अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने कार्यवाही की है, जिसमें बहुत सारे डम्पर हैं, हाईवा है, उसे पकड़े भी हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही भी किये हैं। चूंकि अन्य सदस्य भी पूछना चाहते हैं तो सभी सदस्यों के प्रश्न आ जायें तो फिर मैं और जवाब देना चाहूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जिले का जिला मुख्यालय बलरामपुर है, रामानुजगंज भी जिले का सबसे मुख्य शहर है और वहां से कन्हर नदी बहती है जहां से लगा स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतों ने खदान बीच के लिए मांगा है और मांगे जाने पर बलरामपुर के चनान नदी, सेन्दूर नदी और रामानुजगंज के कन्हर, सेन्दूर नदी पर, इन जगहों पर अगर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत मांगती है कि हमको वैधानिक रूप से खदान घोषित करें तो क्या मुख्यमंत्री जी खदान के लिए घोषित करेंगे और इनकी अनुमति देंगे ? नंबर 1 और नंबर 2 नई नीति के तहत ग्राम पंचायत और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ग्रामीणों को नई नीति बनाकर, उनको स्वयं के मकान निर्माण के लिए शासकीय भवनों के लिए छूट देने का भी काम करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय साहू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण सिर्फ सरगुजा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेत खदानों का गलत नियम बनाकर सारे रेत माफिया को संरक्षण देने का कार्य हुआ। आड़ हुआ कि हम पंचायती राज को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बना रहे हैं। ये बहाना हुआ, लेकिन पंचायती राज को खदान सिर्फ अनाधिकृत ठेकेदारों बेचते गये। पंचायत में कोई रायल्टी की राशि जमा नहीं हुई है। कहीं कोई पंचायतों को आमदनी नहीं हुई। जहां पर पर्याप्त मजदूर हैं। वहां भी सरपंचों ने प्रस्ताव दे दिया कि हमारे गांव में मजदूर नहीं है और मशीनों से भराई की जाए, मजदूर भूख मर रहे हैं। मशीनों से भराई हो रही है अवैध रूप से सारे रेत खदानों में ठेका दिया जा रहा है। हम लोगों ने बार-बार पूर्ववर्ती सरकार से मांग की थी कि इसमें नीति बदली जाये। सरकार के द्वारा हर बार आश्वासन मिलता था कि हम नई नीति बनायेंगे लेकिन आज तक नहीं बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है, यहां पर अवैध ठेकेदार होने के कारण अनेकों जगह खून-खराबा की स्थिति पैदा होती है। नई नीति बनायें, खुली नीलामी कर दें और जो भी नीलामी से पैसा प्राप्त हो रहा है उस ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत को दे दिया जाये। अनाधिकृत, अवैधानिक ठेका हो रहे हैं। और तो और जो पर्यावरण से अनुमति मिलती है, वहां पर ठेकेदार लोग ही जा करके पर्यावरण की अनुमति लाते हैं। पहले ही वह ठेकेदार वहां पर अघोषित रूप से ठेकेदार बन जाता है। वह पूरा पैसा खर्च करता है, वहां से अनुमति लाता है, यह सारे सिस्टम को बंद करके खुली नीलामी कर दें और जहां-जहां मशीन की अनुमति दी गई है, सारे मशीन की अनुमति रद्द कर दें। सब जगह पर्याप्त संख्या में मजदूर हैं। उससे मजदूरों को काम भी मिल सकेगा। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- यदि सबका एक साथ उत्तर दे देंगे तो मैं भी प्रश्न कर लेता हूं। आपने जैसा कहा कि सब पूछ लें तो मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी पूछेंगे तो आपका भी उत्तर दे देंगे। श्री गुलाब कमरो।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकृष्ट कराना चाहूंगा कि कोरिया जिले के भरतपुर एवं सोनहत क्षेत्र की ग्रामीण जनता का बैंक खाता जनपद पंचायतों में...।

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धनेन्द्र साहू जी ने जो बात कही, नीति नई बनायेंगे या क्या बनायेंगे, यह बात का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं नये सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस बात पर चर्चा हो रही है, उसका ध्यान दें और उससे संबंधित प्रश्न करें।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप रहने दीजिए। चन्द्राकर जी।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रेत से संबंधित ही एक बात कहना चाह रहा हूं। मेरे जनकपुर में पूर्व मंत्री, प्रदेश के मुखिया के नाम से पूरा अवैध कारोबार चल रहा था। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने सरकार बनते ही कार्यवाही की और पूरे भरतपुर में 100 प्रतिशत अवैध कारोबार बंद हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धनेन्द्र साहू जी ने जो बात कही, वह बात एकदम अक्षरशः सत्य है। आप नीति नई बनायेंगे, वह बात की बात है जब भी नीति आयेगी। वर्तमान समय में कागजों पर पंचायत का नियंत्रण है, यह बात मैं भी स्वीकार करता हूं। इसमें आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है जिसको मैं कहना नहीं चाहता, छोटे से छोटा अधिकारी, एक धमतरी जिला का उदाहरण दे देता हूं, धमतरी जिले में बहुत रेत खदान हैं, एक भी खदान चालू नहीं है। दो महीने में एक खदान चालू हुई। और उसमें भी ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो तथ्य हैं, उसको बता रहा हूं कि साहब फलाना मंत्री या फलाना आदमी कहेगा तब हम पंचायत को पीट पास देंगे। ये बड़ी विकृत स्थिति है जिसके कारण रेट बढ़ रहे हैं। यदि वह पंचायतों के विषय हैं, गौण खनिज पंचायतों के विषय हैं, आप नई नीति ला सकते हैं, लेकिन जब तक वर्तमान नीति क्रियाशील है या कार्यशील है क्या वहां पर मशीनों से उत्खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगायेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर समस्या है और केवल छत्तीसगढ़ की ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस प्रदेश में भी, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की, बृहस्पत सिंह जी ने, धनेन्द्र साहू जी ने, वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, पिछले सत्र में भी इसको लगातार उठाते रहे, गुलाब कमरो जी ने भी बात कही, अजय जी ने बात कही है। हम सबकी चिंता है कि रेत के अवैध उत्खनन और साथ ही मंहगी दर पर रेत मिलना और इसमें लड़ाई-झगड़े तक हो रहे हैं। दूसरा इस प्रदेश से बाहर उत्तप्रदेश में भी जा रहे हैं और जानकारी यह भी मिल रही है कि यहां की रेत का परिवहन महाराष्ट्र मुम्बई तक किये जा रहे हैं, लेकिन राज्य के राजस्व में और पंचायत के राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के तहत रेत खनन, खदानों के संचालन का अधिकार जो मिला हुआ है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसे हम लोग वापस लेना चाहते हैं और सी.एम.डी.सी. के माध्यम से खदानों का संचालन किया जाये । त्रिस्तरीय पंचायती राज के खदानों में वर्तमान में प्राप्त हो रहे रॉयल्टी जो उनको मिलता रहा है वह मिले उसमें किसी प्रकार की कटौती न हो बल्कि इसमें और 25 प्रतिशत उनको दे दिया जाये । (मेजों की थपथपाहट) जैसा कि माननीय धनेंद्र साहू जी ने कहा कि वहां जमा नहीं होता, चोरियां होती हैं तो उसमें जितना अधिकतम इन 5 वर्षों में मिला हुआ है सबसे जो अधिकतम रॉयल्टी मिली है उसमें 25 प्रतिशत राशि और जोड़कर पंचायतों को दे दिया जाये । (मेजों की थपथपाहट) जो उपभोक्ता हैं उसको रेट में वृद्धि न हो इसके लिये रेत लोडिंग में दर में रिवर्स बीडिंग के आधार पर निर्धारित किया जाये ताकि लोडिंग दर में फिक्स होने पर रेत के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी । उपरोक्त व्यवस्था के प्रथम चरण में बड़े जिलों में बड़ी खदानें घोषित कर सेमीमेकनाइज्ड विधि से खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । दूसरे राज्यों को रेत तस्करी रोकी जायेगी तथा अन्य राज्य हेतु रेत रॉयल्टी की दरों में वृद्धि किया जाकर अनुमति दी जायेगी क्योंकि दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो वह हमारे राज्य में, मान लो यहां 7000-8000 में मिल रहा है, दूसरे राज्यों में वह 27,000 में बिक रहा है तो उसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए, राज्य के दर अलग होंगे और दूसरे राज्य में जो जा रहे हैं उसके लिये अलग अनुमति दी जायेगी, पिटपास जारी किया जायेगा और वर्तमान में राज्य में लगभग 300 रेत खदान चिन्हित हैं । स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर को नई खदानें अधिक से अधिक संख्या में घोषित करने का निर्देश दिया जायेगा ताकि इस प्रकार से जो अवैध उत्खनन हो रहा है, चोरियां हो रही हैं उसको रोका जा सके और पंचायतों को भी लाभ मिले और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हो । यह हम लोग करना चाहते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृहस्पत सिंह :- धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी घोषणा के लिये धन्यवाद देता हूं । आपने यह बहुत अच्छा फैसला किया है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या प्रभावशील होने तक... (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाये अब बस हल्ला करने का रह गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) तब तक क्या मशीनों के उपयोग को प्रभावशील होते तक प्रतिबंधित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, इसमें तो धन्यवाद देना चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- अभी मैंने जो घोषणा की उसमें आपने धन्यवाद दिया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे फैसले के लिये हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- आज शाम को ही टेंडर जारी कर देंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृहस्पत सिंह :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । साथ ही मैं आग्रह करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धनेंद्र जी आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़िए ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ एक आग्रह करूंगा जो पर्यावरण क्लियरेंस देते हैं, पूरी तरह से अध्ययन किये बिना वहां पर जितनी तरह से जो लॉसेस हो रहे हैं उसका अध्ययन करते नहीं हैं । जहां पर रेत निकालना है, हम देख रहे हैं आपका और मेरे क्षेत्र के बीच का खारून नदी पूरा सूख गया है और केवल इसलिये सूख गया है कि वहां से पूरी रेत निकल गयी है तो जहां पर आवश्यक हो वहां पर उसका पूरी तरह से सही अध्ययन करें उसके बाद ही आप पर्यावरण अनुमति दिलाना भी उसमें सुनिश्चित कर दें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है और उन्होंने पहले भी बताया कि ठेकेदार लोग ही पर्यावरण स्वीकृति के लिये करते थे । अभी हमने पहले ही कहा कि सीएमडीसी के द्वारा प्रक्रिया अपनायी जायेगी तो जो पूरी पर्यावरण प्रक्रिया है उसका पालन किया जायेगा और राज्य के पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा जायेगा और रेत का समुचित दोहन हो, ठीक से हो, पर्यावरण संतुलन बना रहे, जो उपभोक्ता है उसको सही दाम पर मिले, उसमें कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए । दूसरे राज्य में जो परिवहन हो उससे हमको अधिक लाभ लेना है साथ ही इस प्रक्रिया को हम तत्काल प्रारंभ करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण क्रमांक-2, श्री धनेंद्र साहू जी

2. गोबरा-नवापारा नगरपालिका एवं अभनपुर नगर पंचायत में पेयजल समस्या

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोबरा-नवापारा नगर पालिका के लिए वर्ष 2013 में 19.38 करोड़ रूपए राशि पेयजल योजना के लिए स्वीकृत हुई थी । इसी तरह अभनपुर जल आवर्धन प्रदाय योजना के लिए भी वर्ष 2013 में 26.30 करोड़ रूपए राशि की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी । इसका भी जल स्त्रोत दुलना एनीकट ही था । आज पर्यन्त तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है । गोबरा-नवापारा की जनसंख्या लगभग 30,000 एवं अभनपुर नगर पंचायत की जनसंख्या 15,000 के लगभग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है । इन दोनों नगर में पेयजल की आपूर्ति नहीं होने के कारण यहां के लोगों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा यह जानकारी दी जाना कि इन दोनों नगर क्षेत्र में पेयजल योजना के स्त्रोत के रूप में दुलना एनीकट से ही योजना बनाई गई है, परंतु पिछले वर्ष की गर्मी में दुलना एनीकट पूरी तरह से सूख गया । इसी तरह इस वर्ष भी दुलना एनीकट में पानी समाप्त हो जाने के कारण इन दोनों नगर को पानी नहीं दिया जा सका तथा पेयजल की आपूर्ति काफी बाधित हुई । अभी भी इन दोनों नगर में पेयजल की काफी समस्या बनी हुई है । दुलना एनीकट से 12 माह पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग असफल रहा है। इन दोनों नगरों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पेयजल स्त्रोत की अनवरत आपूर्ति हेतु सफल योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है । इस कारण आगामी 2-4 महीने में पानी की आपूर्ति की कमी की स्थिति को देखते हुए आम जनता में शासन के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है ।

समय :
12:26 बजे **(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि गोबरा-नवापारा नगर पालिका के लिए वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पत्र पृष्ठांकन क्रमांक एफ-9-193/2012/34-2/312, दिनांक 12.02.2013 द्वारा गोबरा-नवापारा आवर्धन जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रथम बार राशि रूपये 1377.15 लाख की प्रदान की गई है । तत्पश्चात् इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक एफ 9-193/2016/34-2/1582, दिनांक 19.05.2016 से राशि रूपए 1951.40 लाख की प्रदान की गई ।

अभनपुर आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिए भी वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पत्र पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5-6/2013/34-2/350, दिनांक 14.02.2013 द्वारा अभनपुर आवर्धन जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रथम बार राशि रूपए 2125.65 लाख की प्रदान की गई है । इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक एफ5-6/2016/34-2/1459, दिनांक 04.05.2016 से राशि रूपए 2630.65 लाख की प्रदान की गई है ।

उपरोक्त दोनों आवर्धन जल प्रदाय योजनाओं का जल स्त्रोत महानदी पर आधारित जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित दुलना एनीकट है ।

गोबरा नवापारा आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, जल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा दिनांक 01.03.2014 को योजना के लिए 2.555 मिलियन घन मीटर वार्षिक पेयजल का आवंटन किया गया था जिसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा वांछित कमिटमेंट चार्जेस रूपए 63,875 का भुगतान जल संसाधन विभाग को कर दिया गया था । इसके पश्चात लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, रायपुर के द्वारा 3 माह के लिए जल कर तथा स्थानीय निधि उपकर के लिए रूपए 3,52,800.00 की धनराशि भी जमा कर दी गई । इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को नियमानुसार दुलना एनीकट से पेयजल के लिए वांछित राशि प्रदाय कर दी गई थी । जल संसाधन विभाग से किये गये निर्धारित अनुबंध अनुसार दुलना एनीकट (योजना का जल स्त्रोत) में योजना के लिए पर्याप्त पेयजल वर्तमान में उपलब्ध है ।

अभनपुर आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा दिनांक 01.03.2014 को योजना के लिए 1.365 मिलियन घन मीटर वार्षिक पेयजल का आवंटन किया गया था । जिसके लिए जल संसाधन विभाग वांछित कमिटमेंट चार्जेस रूपए 34,125.00 का भुगतान जल संसाधन विभाग को कर दिया गया था। इसके पश्चात् लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रायपुर के द्वारा 3 माह के लिए जल कर तथा स्थानीय निधि उपकर के लिए रूपए 1,88,484.00 की धनराशि भी जमा कर दी गई। इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को नियमानुसार दुलना एनीकट से पेयजल के लिए वांछित राशि प्रदाय कर दी गई थी। जल संसाधन विभाग से किये गये निर्धारित अनुबंध अनुसार दुलना एनीकट (योजना का जल स्त्रोत) में योजना के लिये पर्याप्त पेयजल वर्तमान में उपलब्ध है।

गोबरा-नवापारा आवर्धन जलप्रदाय योजना में दो स्थानों पर नेरोगेज रेलवे क्रासिंग के कार्य शेष हैं। इस हेतु कार्यादेश जारी हो चुका है। रेलवे क्रासिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कर दिया जावेगा इसके उपरान्त वार्ड क्रमांक 01 में भी योजना से पेयजल प्रदाय का लाभ दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त योजना में स्वीकृत सभी अवयवों के कार्य पूर्ण कर योजना का परीक्षण माह मार्च 2018 से प्रारम्भ कर मई 2018 से नियमित पेयजल प्रदाय गोबरा-नवापारा में दिया जा रहा है। स्वीकृत योजना के रूपांकन अनुसार वर्ष 2044 की रूपांकित जनसंख्या 43,459 को इसका लाभ दिया जावेगा।

अभनपुर आवर्धन जलप्रदाय योजना के निर्माण के दौरान अभनपुर-सारखी रोड पर 100 मि.मी. से 150 मि.मी. व्यास की डी.आई. पाईप क्लास के-7 लगभग 3 किलोमीटर बिछाई गई थी किन्तु इस स्थान पर लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान कुछ स्थानों पर पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे द्वितीय पुनरीक्षित योजना में शामिल कर लिया गया है तथा स्वीकृति उपरान्त यह कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। योजना में स्वीकृत समस्त अवयवों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना का परीक्षण माह मार्च 2018 से प्रारम्भ कर मई 2018 से नियमित पेयजल प्रदाय अभनपुर नगर में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिया जा रहा है। स्वीकृत योजना के रूपांकन अनुसार वर्ष 2044 की रूपांकित जनसंख्या 29,596 को इसका लाभ दिया जावेगा।

वर्तमान में दोनों योजनाओं से लगातार पेयजल प्रदाय बिना किसी व्यवधान के किया जा रहा है एवं लोगों को पेयजल के गम्भीर संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

यह सत्य है कि योजना के परीक्षण के दौरान प्रारम्भ में दुलना एनीकट में जल भण्डारण की कमी के कारण दोनों नगरों में कुछ दिनों के लिये नियमित जलप्रदाय बाधित हुआ था। परन्तु वर्तमान में दुलना एनीकट में पर्याप्त जल भण्डारण है तथा गोबरा-नवापारा एवं अभनपुर में पर्याप्त पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। भविष्य में जल संसाधन विभाग द्वारा दुलना एनीकट में पानी भण्डारण की वर्तमान स्थिति निरंतर उपलब्ध कराई जाती है तो गोबरा-नवापारा एवं अभनपुर आवर्धन जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से निरन्तर पेयजल प्रदाय किया जा सकेगा।

वर्तमान में दोनों योजनाओं से दोनों शहरों में पेयजल प्रदाय किया जा रहा है तथा पेयजल की समस्या नहीं है। वर्तमान में दुलना एनीकट में पर्याप्त पानी है तथा जल संसाधन विभाग द्वारा योजना स्वीकृति के पूर्व दोनों योजनाओं हेतु किये गये जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुसार पर्याप्त पेयजल दुलना एनीकट में उपलब्ध रहेगा। वर्तमान स्थिति में दुलना एनीकट में पानी की उपलब्धता को देखते हुये आगामी ग्रीष्म ऋतु में भी दोनों योजनाओं हेतु पेयजल की समस्या नहीं रहेगी एवं त्राही-त्राही होने की कोई संभावना नहीं है। गोबरा-नवापारा एवं अभनपुर हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दुलना एनीकट से पम्पिंग के माध्यम से वर्तमान जल आवश्यकता की प्रतिपूर्ति की जा रही है एवं भविष्य में भी निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दोनों योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया गया है। आगामी माह में भी पानी आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी एवं इससे आम जनता में शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, उसको हमने देखा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या दोनों योजना पूर्ण हो गईं? और अगर पूर्ण हो गई तो पूर्णता की तारीख बता दें और उसकी पूरी लागत बता दें कि पूर्णता करने के बाद कितनी लागत आयी है और दोनों योजना कब-कब पूर्ण हुई? अलग-अलग तारीख बता दें ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापति जी, जैसा कि मेरे जवाब में ही आ गया है और आपके ध्यानाकर्षण में ही था कि दोनों जगह के एक-एक वार्डों में अभनपुर में जो पाईप लाईन टूटा है उसके कारण, और गोबरा नवापारा में रेल्वे क्रासिंग के कारण रेल्वे डिपार्टमेंट से परमिशन मिलने में टाईम लगा, उसके कारण एक-एक वार्ड में जल आपूर्ति नहीं हो पाई है। बाकी आपके सभी वार्डों में जल आपूर्ति की जा रही है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सही स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। हालांकि मैंने अभी आपसे प्रश्न यह पूछा था कि योजना कब पूर्ण हुई ? क्या अभी अपूर्ण है ? क्या आप उसे अभी अपूर्ण मान रहे हैं? यदि कार्य पूर्ण हो गया तो क्या वास्तविक लागत आई है ? दूसरी बात यह है, मैं वास्तविक स्थिति बताना चाहूंगा कि दोनों नगरों में जितनी नई पाईप लाईन बिछाई गई है, उसमें से अधिकांश में अभी पानी की टेस्टिंग करके पानी की आपूर्ति शुरू नहीं की गई है। अभनुपर में बिछाई गई किसी भी पाईप लाईन से पानी नहीं दिया जा रहा है। अभनपुर पेयजल योजना की जो स्थिति है, उसमें पुरानी टंकियों में डालकर पुराने पाईप लाईन से ही पानी दिया जा रहा है। लगभग 3 किलोमीटर लाईन बर्बाद हो गई है। वह किसकी जिम्मेदारी है ? यदि पी0डब्ल्यूडी0 ने नुकसान किया है तो पी0डब्ल्यू0डी0 के ऊपर कार्रवाई करनी थी, डिपार्टमेंट से क्लेम मांगना था। उसको ठीक करना चाहिए था। वह भी नहीं हुआ है। साथ ही नवापारा में भी रेल्वे क्रासिंग के कारण चार वार्डों में, वार्ड क्रमांक-1,2,3 एवं 4 में आज पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अभी तक उन वार्डों को जोड़ा नहीं गया है। वही स्थिति दोनों नगरों में है। ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होती है कि जहां भी खुदाई करके नया पाईप लाईन डाला गया है, जिन पक्की सड़कों को काट करके पाईप लाईन डाला गया है, उसको भरने का काम भी उस ठेकेदार का रहता है। तो सड़कों का कहीं भी मरम्मत नहीं किया है। अकेले नवापारा में ही लगभग 15 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को नहीं भरा गया है। वहां पर मिट्टी भरके छोड़ दिया गया है। जबकि उनके अनुबंध में है उनको पूरी सड़क की उसी मटेरियल से भराई करनी है। यदि सड़क डामरीकृत है तो डामर से और यदि सी0सी0 रोड है तो सीमेन्ट से भराई करनी है। उसी तरह से अभनपुर में किसी भी हिस्सें के मरम्मत का काम नहीं किया गया है। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपने ठेकेदार का काम फायनल कर दिया ? क्या उसके अंतिम देयक का भुगतान कर दिया ? यदि भुगतान कर दिया तो कब भुगतान हो गया ? क्या उस ठेकेदार को काम पूर्णता का प्रमाण-पत्र दे दिया गया है ? यदि काम अधूरे रहते हुए भी उसको पूर्ण मान रहे हैं तो यह किसकी जिम्मेदारी में होगा ? बाकी जो शेष काम बचा हुआ है, वह फिर किसके द्वारा कराया जायेगा और कब कराया जायेगा ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापति जी, जैसा कि मैंने अपने जवाब में ही कहा है कि दोनों जगहों, दोनों शहरों के एक-एक वार्ड के काम शेष हैं। तो उसको पूर्ण तो कहा नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों कार्यों के लिए, आपने जो अभनपुर का पूछा है कि पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा सड़कों को जो क्षति पहुंचाई गई है, उनको बिलकुल नोटिस भेजा गया था कि वे क्षतिपूर्ति राशि दें, परन्तु उनके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। बाकी, आप जो उस कार्य को फिर से शुरू करवाने के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बोल रहे हैं, तो उसके लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तावित है। हम उसको जल्द से जल्द करवायेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जो पुराने ठेके थे, वे क्या पूर्ण हो गए हैं ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापति जी, मैं वही तो बता रहा हूँ कि नहीं हुआ है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, वह अभी चालू है ? एग्रीमेंट चालू है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापति जी, हां चालू है, वही बता रहा हूँ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, तो ये जितने अधूरे काम हैं, आपके हर सौ-सौ मीटर में पी0पी0 देना होता है ताकि जिससे कनेक्शन दिया जा सके, दोनों नगरों में ठेकेदार ने कहीं नहीं बनाया है। वह पूरा काम पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। जहां से कनेक्शन दिया जाता है, हर सौ मीटर में, मुझे तकनीकी नाम नहीं मालूम, जो बनाने हैं, वे भी नहीं बने हैं। गड्डे भरने के काम नहीं हुए हैं। आपने नई पाईप लाईन डाली है, जिससे डायरेक्ट पानी सप्लाई होना है, तो यह उस ठेकेदार का काम है। जो नई पाईप लाईन डाली गई है, उससे पानी की आपूर्ति की जाए। मैंने अभी अभनपुर और नवापारा से बात की तो पता चला कि ये लोग कहीं भी डायरेक्ट पानी की सप्लाई नई पाईप लाईन से नहीं दे रहे हैं। जो नई पाईप लाईन दिए है, उससे कब तक पानी की सप्लाई शुरू करवायेंगे, यह मैं जानना चाह रहा हूँ ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी, सिर्फ दो वार्ड में समस्या है, बाकी वार्ड में पानी दिया जा रहा है, बाकी सभी वार्डों में पानी की सप्लाई की जा रही है । दो वार्ड यानी दोनों शहरों के एक नम्बर वार्ड जो है, वह दोनों । उसमें भी मैंने कहा कि वहां पर अतिशीघ्र काम पूरा कर लिया जाएगा और आपको पर्याप्त पानी मिलेगा ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि आप पूरे नवापारा का परीक्षण करा लीजिए, किसी वार्ड में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, मुश्किल से दो-चार वार्डो में पानी पहुंच पा रहा है । बाकी शेष 17-18 वार्डों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है । मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जो दुलना एनीकट, जिस पर आपने स्त्रोत किया है, पिछले साल गर्मी में चार महीना उसमें एक बूंद पानी नहीं था । हम लोगों ने बहुत चिल्लाया, तब जाकर पानी मिला तो उसमें मुश्किल से 15 दिन में कुछ आधी लाईन टेस्टिंग हो पाई थी, पर पानी नहीं मिला । जो आपका दोनों नगरों का पेयजल स्त्रोत है, उसी तरह से अभी जो पानी की आपूर्ति बाधित रही, वह तो गर्मी की बात हो गई, अभी जो इस नये सीजन में बारिश के बाद में गोबरा नवापारा में लगभग 3.9.2018 के बाद से लेकर 6.9.18 तक चार दिन पानी की आपूर्ति बंद रही, 10.9.18 से लेकर 15.9.18 तक 6 दिन पानी की आपूर्ति बंद रही, 21.12.18 से लेकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

24.12.18 तक चार दिन पानी की आपूर्ति बंद रही, 15.1.19 से लेकर 25.1.19 तक 11 दिन पानी की आपूर्ति बंद रही । वहां पर नदी में एक बूंद पानी नहीं था । इसी तरह से अभनपुर पेयजल योजना के लिए 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक एक बूंद पानी की आपूर्ति उस दुलना एनीकट से नहीं की जा सकी । वहां पर जो दो सम्पवेल बनाये गये हैं, अभनपुर नगर पंचायत का भी सम्पवेल है और गोबरा नवापारा का भी सम्पवेल है । नदी के डेड लेवल से करीब दो-दो मीटर, डेढ़-डेढ़ मीटर ऊंचा है। जब वहां पानी का खूब भराव हो जाता है, तब जाकर वहां पानी उस सम्पवेल में पहुंच पाता है और इसके कारण से आपका एक तो वह एनीकट फेल्वर है, वहां गर्मी में पानी नहीं रूकता और उस एनीकट से ये लोग अनुबंध कराए हैं। पानी की सुनिश्चितता कर रहे हैं तो समस्या ये है कि वहां पर जो आपकी योजना अधूरी है, वह तो है ही, लेकिन जो सम्पवेल बनाया गया है, जहां से पानी उठाना है, ये दोनों त्रुटिपूर्ण है । सारे पम्प हाऊस का नदी लेवल से डेढ़ मीटर, दो मीटर उसका सम्पवेल है तो जो सम्पवेल त्रुटिपूर्ण बनाया गया है, इसकी जांच करवाकर इस सम्पवेल को पुन: नदी के डेड लेवल तक उस लेवल में निर्माण करवाएंगे क्या ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में ही कहा कि गर्मी के समय कुछ दिन ऐसे थे, जब आपको दोनों जगह पानी सप्लाई नहीं हो रही थी..।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं जो तारीख बता रहा हूं, वह अभी का है । गर्मी की बात छोड़ दीजिए, अभी बारिश के बाद सितम्बर, जनवरी, अभी फरवरी की तारीख बता रहा हूं । अभी तो मेले के कारण काफी पानी भरा है, तब आप वहां पर पानी दे पा रहे हो । सम्पवेल त्रुटिपूर्ण है, वहां हमेशा समस्या बनी रहेगी । जब तक आप सम्पवेल को दूसरा नहीं बनाएंगे, सही तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं बनाएंगे, तब तक पानी की पूर्ति इसी तरह से बाधित होती रहेगी । मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसको दोबारा बनवाएंगे क्या ? तकनीकी रूप से सही हो, उसको डेढ़ मीटर, दो मीटर जितना भी आपको नदी से नदी के लेवल तक बिठाना है, उसको आप कराएंगे क्या ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निश्चिंत कराना चाहूंगा कि आपको आगे पानी की समस्या नहीं होगी और जो इंटरवेल बना है, उसमें कोई समस्या नहीं है और एरीगेशन विभाग से एग्रीमेंट हो गया है तो आपको पानी की समस्या नहीं होगी, इसका मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि हम लोग इस तरह के जवाब से संतुष्ट नहीं हो सकते । जब तक आप उस इंटकवेल को सही नहीं बनाएंगे, तब तक आप पानी की सही पूर्ति कर ही नहीं सकते । इंटरवेल नदी के स्तर से डेढ़-दो मीटर ऊपर है, आप उसको नीचे करवा दीजिए और दूसरी बात यह है कि दुलना एनीकट फेलवर एनीकट है, पानी नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रूकता है । पूरा पाईप लाईन, महानदी मेन केनाल से जुड़ा हुआ है। जब दुलना एनीकट फेलवर हो तो उस परिस्थिति में महानदी मेन केनाल से डायरेक्ट आप पानी ले सकें, एक वैकल्पिक व्यवस्था में मैंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात की है, इसी एग्रीमेंट में वे वहां से भी पानी देने के लिए तैयार हैं । जब दुलना में पानी न रहे तो मेन केनाल से भी पानी देने को सहमत हैं तो इसके लिए भी आप वहां पर सिस्टम बना दें तो ये दोनों काम है । एक तो यह है कि इंटकवेल को सही करा दें और दूसरी बात यह है कि महानदी मेन केनाल जिससे होकर आप दोनों नगरों के पेयजल की पाईप लाईन जा रही है, उससे आप कनेक्टिविटी कर दीजिए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापति महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से इंटकवेल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि समस्या है तो हम दोनों साथ में समय निकाल लेंगे, मैं आपके साथ चलूंगा, साथ में देखेंगे और उसके हिसाब से जो आवश्यकता होगी, उसको हम कर लेंगे ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कुर्सी का असर है, वहां बैठने का असर है, वहां बैठने के बार गंभीर हो जाते हैं । मैं तो चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी वहां बैठे । मेरी इच्छा है कि आप यहां रोज बैठें ।

समय :
12:45 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

नियम - 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय:- निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
2. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
3. श्री गुलाब कमरो, सदस्य
4. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12:46 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी -

1. श्री रामकुमार यादव
2. श्री डमरूधर पुजारी
3. श्री सौरभ सिंह
4. श्री विनय कुमार भगत
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोगों के पास याचिका लगाने का ही विषय है । बाकी तो कुछ है नहीं अध्यक्ष महोदय । वह भी पढ़ी हुई मान ली गई । हम लोगों को पढ़ने का भी अवसर नहीं दिया गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, पहले आपका ओ.एस.डी. कौन है, इसकी जानकारी तो दे दो ।

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िये, ऐसी बातें न करें ।

समय :
12:47 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	**82**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**
मांग संख्या	**33**	**आदिम जाति कल्याण**
मांग संख्या	**41**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना**
मांग संख्या	**42**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल**
मांग संख्या	**49**	**अनुसूचित जाति कल्याण**
मांग संख्या	**53**	**अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**
मांग संख्या	**64**	**अनुसूचित जाति उपयोजना**
मांग संख्या	**66**	**पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन

मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायो को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा

मांग संख्या 17 सहकारिता

आदिम जाति कल्याण मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मै राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए-सात सौ छत्तीस करोड़, छप्पन लाख,अठयासी हजार रूपये

मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण के लिए- तीन हजार नौ सौ छियानबे करोड़, बहत्तर लाख, चौवन हजार रूपये

मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए-सत्रह हजार पांच सौ छियालीस करोड़, तिरपन लाख, छियालीस रूपये

मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए- नौ सौ अन्ठानबे करोड़, बहत्तर लाख, पचास हजार रूपये

मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिए- पांच करोड़, चौरासी लाख सत्तर हजार रूपये

मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए छप्पन करोड़, इक्कीस लाख, नवासी हजार रूपये

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए- छ: हजार एक सौ अटठारह करोड़, चालीस लाख पचपन हजार रूपये,

मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए-दो सौ छैंसठ करोड़, उन्सठ लाख, बीस हजार रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए- एक सौ बत्तीस करोड़, सत्ताईस लाख, चौबीस हजार रूपये

मांग संख्या - 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- दो सौ चौरासी करोड़, सात लाख, सैंतालीस हजार रूपये

मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायो को वित्तीय सहायता के लिए-तिरासी करोड़, दो लाख, पांच हजार रूपये

मांग संख्या - 27 स्कूल शिक्षा के लिए- चार हजार दो सौ सतहत्तर करोड़, पांच लाख सत्रह हजार रूपये

मांग संख्या - 17 सहकारिता के लिए-नौ सौ बत्तीस करोड़, चौंतीस लाख, ग्यारह हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 82

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1.	श्री अजय चन्द्राकर	9

मांग संख्या - 33

आदिम जाति कल्याण

1.	श्री धरमलाल कौशिक	9
2.	श्री अजय चन्द्राकर	2
3.	श्री नारायण चंदेल	2

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>मांग संख्या - 41</u>

<u>अनुसूचित जनजाति उपयोजना</u>

1.	श्री शिवरतन शर्मा	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	29
3.	श्री नारायण चंदेल	1

<u>मांग संख्या - 42</u>

<u>अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल</u>

1.	श्री अजय चन्द्राकर	2

<u>मांग संख्या - 49</u>

<u>अनुसूचित जाति कल्याण</u>

1.	श्री अजय चन्द्राकर	1

<u>मांग संख्या - 53</u>

<u>अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता</u>

1.	श्री अजय चन्द्राकर	3
2.	श्री शिवरतन शर्मा	1
3.		

<u>मांग संख्या - 64</u>

<u>अनुसूचित जाति उपयोजना</u>

1.	श्री अजय चन्द्राकर	29

<u>मांग संख्या - 66</u>

<u>पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण</u>

1.	श्री अजय चन्द्राकर	02

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या - 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन

1.	श्री अजय चन्द्राकर	11

मांग संख्या - 15

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1.	श्री अजय चन्द्राकर	07

मांग संख्या - 83

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

1.	श्री शिवरतन शर्मा	01
2.	श्री अजय चन्द्राकर	04
3.		

मांग संख्या - 27

स्कूल शिक्षा

1.	श्री धरमलाल कौशिक	09
2.	श्री अजय चन्द्राकर	02
3.	श्री नारायण चंदेल	01
4.	श्री शिवरतन शर्मा	03
5.	श्री सौरभ सिंह	10
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	04
7.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	01

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या - 17

सहकारिता

1.	श्री धरमलाल कौशिक	01
2.	श्री सौरभ सिंह	04
3.	श्री शिवरतन शर्मा	01
4.	श्री अजय चन्द्राकर	01
5.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	01

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

समय:

12.53 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक से संबंधित स्कूल शिक्षा विभाग की मांग संख्या -27, बजट पुस्तिका क्रमांक-20 के मुख्य शीर्ष 4202 में संशोधन संबंधी सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो संशोधन प्रस्तुत करिये।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक से संबंधित स्कूल शिक्षा विभाग की मांग संख्या-27, बजट पुस्तिका क्रमांक-20 के मुख्य शीर्ष 4202 में संशोधन है, जो इस प्रकार है :-

1. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्ष 4202, मद क्रमांक-14, पृष्ठ क्रमांक 20-97 के सरल क्रमांक-11 पर जिला जांजगीर विकासखंड पामगढ़ की प्राथमिक शाला कुटीघाट के स्थान पर जिला जांजगीर विकासखंड अकलतरा प्राथमिक शाला पोड़ीभाठा संशोधित कर पढ़ा जाये।
2. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्ष 4202, मद क्रमांक-1, पृष्ठ क्रमांक 20-109 के सरल क्रमांक-38 पर जिला जशपुर विकासखंड कांसाबेल के हाई स्कूल देवरी के स्थान पर जिला जशपुर विकासखंड कांसाबेल हाई स्कूल खुटेरा संशोधित कर पढ़ा जाये।
3. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्ष 4202, मद क्रमांक-1, पृष्ठ क्रमांक 20-110 के सरल क्रमांक-41 पर जिला जशपुर विकासखंड दुलदुला के हाईस्कूल गट्टीबुड़ा के स्थान पर जिला जशपुर विकासखंड दुलदुला के हाईस्कूल बरपानी संशोधित कर पढ़ा जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आज तक मुख्य बजट में इतने संशोधन नहीं पढ़े गये हैं। एकाध संशोधन कभी आये होंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुख्य बजट में इतने संशोधन पढ़े जाएं। आपने मजाक बना दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- ये टंकण त्रुटि हो सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्यों चिड़चिड़ा रहे हो भाई? उधर तो बहुत चिड़चिड़ाए, यहां भी क्यों चिड़चिड़ा रहे हो। हो तो जाने दो। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ही तो पैसा है ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरे बजट को फिर से पढ़ो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं भाई?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चंद्राकर जी अपना भाषण शुरू करिये।

समय :
12:54 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जहां आपत्ति लिया था वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। इस आठ दिन की विधानसभा में तीन अवसर आये, पहला प्रश्न पहले दिन टी.आर.आई. के संबंध में लगा, आदिवासी, अनुसूचित जाति, ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री हैं जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, उसमें प्रदर्शन किया था, आधे घंटे की चर्चा लगी। बारह मंत्रियों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था, आधे घंटे की चर्चा लगी। 12 मंत्रियों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन क्या रहा? मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे देता हूं। कोई पी.ए. नहीं मिला, अपने लोगों को उत्कृष्ट करने की शुरूआत हुई। छत्तीसगढ़ के बजट का इतिहास देख लीजिए कि इतने संशोधन किसी दिन, किसी भी बजट में नहीं आये। ये सीधा साबित करता है कि विभागीय नियंत्रण नहीं है, रूचि नहीं है। मैं जितने मांग है उसके विरोध में जो कटौती प्रस्ताव दिया हूं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, कई बार ऐसे अवसर आये हैं कि लोगों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। ये पहली बार नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इतना नहीं हुआ है। एकात होता है। तीन तीन चार चार संशोधन मुख्य बजट में आज तक नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय :- टंकण त्रुटि है तीन है, क्या करियेगा?

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी, पहले तो आपको संवेदना व्यक्त करना चाहिए था कि उनको अपने पसंद का ओ.एस.डी नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके आदेश को निरस्त कर दिया। आप पहले संवेदना व्यक्त करो।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, व्यक्तिगत मामलों पर बात न करें।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, बिल्कुल मैं संवेदना व्यक्त कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, इस तरह आपको बात नहीं करनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए वो तो छोटी सी बात है। इन लोगों ने तो अपनी पत्नी की जगह में सालियों को परीक्षा में बैठाते थे।(हंसी)

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने देखा होगा।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, पत्नी और साली में तो अंतर होना चाहिए।

श्री संतराम नेताम :- आपके शिक्षा मंत्री का बस्तर में क्या हाल हुआ होगा। अभी तो कम से कम नियुक्ति हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब अपनी साली को ओ.एस.डी बना लेते।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी बस्तर के बारे में बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समय कम है आप बहकिये मत।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इनके मंत्री विदेश रिसर्च के लिए जाते थे उनको देखेंगे तो आप आश्चर्य हो जायेंगे। बहुत जोरदार फोटो आए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी शुरू नहीं हुआ है, तब ये हाल है।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, अभी दरअसल उधर पार्टी अध्यक्ष बनना है और जब जब डॉक्टर साहब आ के बैठते हैं लोग ज्यादा रेस हो जाते हैं। जितने अच्छे लगते हैं सब गोल हो जाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपको उपाध्यक्ष बनाने के लिए हम लोग कल से भिड़े हैं, धन्यवाद देना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपकी योग्यता को माननीय मुख्यमंत्री जी पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप वहीं के वहीं हो। कम से कम उपाध्यक्ष बन जाइये।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा छोड़िये श्री शिवरतन जी आप देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये बनने दीजिए, श्री अमरजीत भगत जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस नियंत्रण की बात कर रहा था उस नियंत्रण को आप देख लीजिए। अधिकारी दीर्घा को भी आप देखेंगे तो उनका नियंत्रण दिखेगा कि विभाग

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में कितना नियंत्रण है। मैं सहकारिता से शुरू करता हूं। वामनराव जी लाखे देश के सर्वाधिक पुराने बैंकों में, रायपुर जिले का बैंक, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, खूबचंद बघेल जी, वासुदेव चंद्राकर जी, रामगोपाल तिवारी जी, स्वयं जिसका कल उल्लेख हुआ। ये ऐसे लोग रहे जो सहकारिता को अधिकारियों के हिसाब से नहीं चलाते रहे, सहकारिता एक आंदोलन रहा। जो निर्णय आपने दो दिन में लिये, जो बातें आपने कही, आपके संसदीय कार्यमंत्री जी ने कृषि विभाग में बोलने की कोशिश की, उन्होंने सहकारिता विभाग में ज्यादा बोला, कृषक विभाग में नहीं बोला। एक होड़ लेने की कोशिश हुई। ये साबित करने की कोशिश हुई कि 15 साल डॉ. रमनसिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, लूटा, खसोटा इस तरह की बात हुई। जब हम कोई बात खड़े कर करना शुरू कर देते हैं तो 15 साल क्या हुआ? डॉ. रमनसिंह जी ने 15 साल क्या किया मैं उसी से शुरू करता हूं। हम लोग नाखून कटा के शहीद नहीं होना चाहते। चुनाव जितने का, जनता को प्रभावित करने का इन तीनों विभागों में क्या-क्या चीजें हुई वो मैं तथ्यों से बताऊंगा। हमने वो काम नहीं किया कि पूंजीगत व्यय को कांट के राजस्व व्यय को बढ़ायें, सरकारी धन को लूटायें। हमने बैलेंट बनाने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद हो। संरचनागत निर्माण, अधोसंरचनागत निर्माण भी रहे और उसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में दिखता है। कोई भी बाहर के आदमी आते हैं, वे कहते हैं कि डेड़ दशक में छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में भी काम हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र के भी दो विषय हैं उसमें आयाम तय किये। मैं कभी देख के नहीं बोलता, लेकिन उनके सपनों को किस तरह नष्ट करने की कोशिश हुई है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अजय चंदाकर जी, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आदिवासी उपयोजना में जो केन्द्रीय पैसा आता था उनमें कटौती हो। आपकी सरकार में आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी आने दो उसको आगे बोलूंगा। आने दीजिए, अभी सहकारिता में सुन लीजिए। मैंने कहा हम नाखून कटा के शहीद नहीं हो रहे थे। हमने ईमानदारी से सेवा की। ठीक है हम स्वीकार कर लेते हैं कि 2013-14-2014-15-2015-16 का हमने बोनस नहीं दिया। उसके अतिरिक्त बोनस से आगे बढ़ के क्या-क्या किया, जो मांग में नहीं थी, जो घोषणा पत्र में नहीं था, जो ईमानदारी से सेवा थी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका लय समाप्त हो जाएगा। उसके पहले 1.00 बज चुके हैं। आप अपना भाषण जारी रखियेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

1:00 बजे

<u>"स्वास्थ्य प्रथम" कार्यक्रम की सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 को मायाराम सुरजन फाउण्डेशन द्वारा नेशनल फाउण्डेशन फॉर इण्डिया, नई दिल्ली के सहयोग से पंचम छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अपराह्न 1.00 बजे से 2.45 बजे तक विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में **"स्वास्थ्य प्रथम"** विषय पर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि **"स्वास्थ्य प्रथम"** विषय से संबंधित परामर्श कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लाभांवित होंवे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। सभा की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित ।

(1.01 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3:01 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मागों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी तो हैं, आप शुरू कीजिए। कृपया संक्षिप्त में करिये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष जी, जितना, जैसा आप आदेश करेंगे, मैं आदेशों से बिल्कुल बंधा हुआ हूं, मैं आपके आदेशों से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन वही फिर हालत है फिर बेचारे को कुछ हो जायेगा तो फिर कोई नहीं है।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर मैंने बातचीत शुरू की थी कि उंगली कटाकर शहीद बन रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉ.रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में कुछ नहीं किया और एक स्लोगन बना दिया और स्लोगन में आपने जो किया या करने की कोशिश की या बताने की कोशिश की, मैं पूरा प्रतिवेदन पढ़ लिया, पूरा बजट पढ़ लिया, एक लाईन नई नहीं है। जिन चीजों की आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, वह अपना सील-ठप्पा भर लगा रहे हैं, मैं आपको कुछ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बताऊंगा, जो 15 साल में किसानों के लिए किया गया। मैंने कहा था कि हम दो साल बोनस नहीं दिये, लेकिन 10,650 करोड़ रुपये एक बोनस और 9 लाख 62 हजार 499 किसानों की 530 करोड़ रुपये की ऋण माफी हुई। उस दिन कह रहे थे कि 103 करोड़ रुपये की ऋण माफी हुई। आप यदि नहीं बतायेंगे कि कौन-कौन से सन् में ऋण माफी हुई तो मैं आपको पूरे 15 साल की जानकारी दे दूंगा कि कब-कब कितनी राशि की ऋण माफी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- ऋण माफी इसके अंतर्गत है ? सहकारिता में हैं, आप सहकारिता में बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को 1 घंटे का स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बताया गया था, अभी भी यह स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1250 करोड़ रुपये किसानों को मिले। ब्याज अनुदान में कहना चाहता हूं कि 14 प्रतिशत, 16 प्रतिशत अल्पकालिक, मध्यमकालिक, दीर्घकालिक ऋण आपके 50 साल की ईमारत थी, किसानों की बात करते हैं, देश की पहली सरकार जिसने शून्य प्रतिशत पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना शुरू किया, वह तत्कालीन डॉ. रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ब्याज में आज तक 1 हजार करोड़ रुपये, लगभग 992 करोड़ रुपये यदि इस साल को मिला दें तो किसानों को मिला है। केन्द्र सरकार जितनी क्षतिपूर्ति देती है, उसके अतिरिक्त सूखत, ब्याज, ट्रांसपोर्ट में मिलर्स को जो क्षति होती है लगभग इन 15 सालों में 4916 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी है, जिनको इन्होंने कभी सोचा नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि ऋण जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप बहुत रूचि रखते हैं। कांग्रेस शासन में 2003 तक लगभग 3, सवा 3 लाख किसान 200 करोड़ रुपये तक का ऋण लेते थे और उस समय 50-60 प्रतिशत रिकवरी थी। जब जीरो प्रतिशत हुआ तो 10 लाख से ज्यादा किसान साढ़े 3 हजार करोड़ तक का ऋण लिये और उसकी रिकवरी 75 प्रतिशत तक गई अर्थात छत्तीसगढ़ में डिफाल्टर किसानों की संख्या कम हुई। आप मुझे बतायेंगे, यदि 15 सालों में एक किसान की नीलामी हुई होगी तो मैं सुनना चाहूंगा। लोगों के नीलामी करने का आपका काला इतिहास रहा है, लोगों के नागर, बक्खर को खींचने का, लोगों के खेत नीलाम करने का, लोगों के ट्रेक्टर नीलाम करने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। क्या वह हमें किसानों के बारे में बात करना सिखायेंगे ? क्या वे हमको कहेंगे कि हमने 15 साल कुछ नहीं किया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 3 नये शक्कर कारखाने खोले । अब 4 हो गये । एक आपने खोला था, 3 नये शक्कर कारखाने खोले । आज छत्तीसगढ़ उस दौर में आ चुका है कि जब आप नयी नीति बनायें । मैं अभी थोड़ी देर में आपसे उस नयी नीति के बारे में बात करूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपे कॉर्ड, रूपे कॉर्ड लगभग हमारे बैंकों ने, सहकारी बैंकों ने साढ़े 10 लाख किसानों का, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने साढ़े 3 का, अब इससे आगे आप कैसे बढ़ेंगे ? कोई योजना है तो बताईयेगा और नहीं है तो हमसे पूछ लीजियेगा हम बतायेंगे कि सहकारिता क्या होती है ? सहकारी आंदोलन जो है वह चिट पर नहीं चलती, इन्बील्ट पर चलती है कि आपकी सोच क्या है ? और इन 3 दिनों में हमने आपकी सोच को देखा है । किसान क्रेडिट कॉर्ड, इन 15 वर्षों की अवधि में सबसे ज्यादा संख्या में बने । कोर बैंकिंग में छत्तीसगढ़ देश में सबसे प्रमुख स्थानों पर है । अब वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 तक जो खरीदी होती थी 14 लाख टन की, यह किसान का अपमान । ये पानी में डूबोकर देखने वाले किसानों के बारे में बतायेंगे ? क्या सूखत में काटने वाले ये हमको बतायेंगे ? ये वापिस करने वाले हमको किसानों की सेवा सिखायेंगे ?किसानोंका अपमान बराबर कांग्रेस पार्टी, किसानों का अपमान बराबर वह तत्कालीन सरकार, आज चूंकि मैं पिछले साल तक का बता रहा हूं, इस साल के अंतिम फीगर नहीं आये हैं तो 80 लाख टन धान की खरीदी और धान बेचने वाले किसानों की संख्या जो 5 लाख इनके समय में थी, आज बढ़कर 14 लाख किसान हो चुके हैं । जहां छत्तीसगढ़ में पूरी धान खरीदी की व्यवस्था कंप्यूटरीकृत की गयी शत-प्रतिशत राज्य, खरीदने वाला राज्य आज भी दूसरी विचारधाराओं की भी सरकार है तो यह बता दें जो किसानों की बात करते हैं, देश भर में घूमते हैं कि कहां पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी शत-प्रतिशत किसानों की जाती है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ब्याज अनुदान में जो हम जीरो परसेंट में देते हैं जो मैंने बताया । लगभग 13 हजार करोड़ रूपये का ब्याज अनुदान में लाभ किसानों को दिया गया, मैं जिस दिन विद्युत और ऊर्जा विभाग में बोलूंगा और कृषक जीवन ज्योति में या फ्लेट रेट में या 5 एचपी में जितनी योजनाओं में हमने किसानों को अनुदान दिया यदि उसको जोड़ेंगे तो यह नाखून काटकर जो शहीद बन रहे हैं वे भूल जायेंगे कि किसानों की सेवा सिर्फ उस ऋण माफी से नहीं होती, किसानों के लिये जो बात करनी है उसके लिये सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है । दुर्भाग्य है कि एक भी नया दृष्टिकोण बजट में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शक्कर कारखाने के बारे में जो कहा । मैं जब शक्कर कारखाने के बारे में बात कर रहा था तो 4 शक्कर कारखाने आ गये । आज भी उसके लिये छत्तीसगढ़ की खाण्डसारी नीति नहीं बनी, महाराष्ट्र में गन्ना आयुक्त होता है, उत्तरप्रदेश में गन्ना आयुक्त होता है । यदि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ के किसानों को आप दूसरी ओर बढ़ाना चाहते हैं तो इथेनॉल के लिये, क्या आप सहायक उद्योग के लिये अनुमति देंगे ? पॉर्टिकल बोर्ड जो उससे होता है, उत्तरप्रदेश में बनता है, उसके रेशे भी बिकते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय अजय भाई, आपको तो किसानों के बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए । किसानों ने आपको नकार दिया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- उसमें बात करूंगा । उत्तर दूंगा न ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने धान का रेट बढ़ाया है, कर्जा माफी किया है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप चर्चा में भाग ले रहे हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- भागने की आदत तो आपकी है, हम तो बैठेंगे ।

श्री दीपक बैज :- ये आपके बाद इधर से पहले वक्ता हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां तो आप बोल लीजियेगा । आप भी पांचवें नंबर पर हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तोला भागे बर नइ बोलत हैं, भाग ले बर बोलत है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनी पेपर प्लांट उससे बनते हैं । ये चीनी मिल के बाद जो नयी नीति आयी है, आप उत्तरप्रदेश या महाराष्ट्र का आप अध्ययन करें तो खाण्डसारी नीति, हम छोटे-छोटे किसान जो खाण्डसारी नीति जो भारत की प्राचीन व्यवस्था है उसमें बना सकते हैं, इथेनॉल को उसको जोड़कर लाखों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, आप अंशपूंजी दे सकते हैं लेकिन वह सोच कहीं नहीं है । अब किसानों के बारे में एक बड़ा निर्णय इन्होंने लिया । कर्ज माफी के बाद इनको समझ में आता है कि नहीं आता है ? अपेक्स बैंक के अंदर अब नहीं जाएगा बैंक, अब अपेक्स बैंक काम करेगा । हमने क्यों निर्णय लिया था ? आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि रायगढ़ बैंक कब डिफाल्ट हुआ ? आपके कार्यकाल 2000-2003 में हुआ, जब आप मंत्री थे रायगढ़ में लूट का इतिहास है आपका । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद अंबिकापुर बैंक, बिलासपुर बैंक । भर्ती में घोटाला हो रहा है तो कार्यवाही करके, सबको निकालने की हिम्मत दिखाइए । अपेक्स से हटाने के बाद जो कृषि एवं भूमि विकास बैंक थे और सहकारी विकास बैंक, अंबिकापुर के बैंक और दूसरे बैंक ।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक किसके समय की घटना है ? आप उसमें तो कुछ कहेंगे नहीं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप जो नार्को टेस्ट का वीडियो दिखा रहे थे वो क्या था?

श्री अजय चन्द्राकर :- अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर के जो बैंक कमजोर थे, उनको बिना मतलब का 2 प्रतिशत कमीशन अपेक्स बैंक से दिया जाता था उसको हटाकर, उसको जोड़ा गया । इन बैंको के मजबूतीकरण के लिए क्या आप पैसा देंगे, जब अपेकस से उनके विलीनीकरण को आपने रोक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिया तो ? आप घोषणा करिये, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर यदि गणना की जाएगी, सारे अधिकारी बैठे हैं, मंगवा लीजिए उत्तर देंगे तो वह 100 करोड़ रूपया जाएगा । एक झटके में कह दिया ।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद चूंकि हम अपेक्स बैंक को सारा प्रोग्राम दे रहे थे तो हमने जशपुर बैंक पंजीकृत करवाकर रखा है । मैं सुनना चाहूंगा कि उस पंजीयन के बाद जशपुर बैंक को आप कितने दिनों में शुरू करवाएंगे ? सिर्फ कर्ज माफी ही किसानों का विषय नहीं है । सहकारिता समझ में आती होगी तो जरूर सुनुंगा । आप उस बात को जरूर करेंगे । अध्यक्ष महोदय, हमने वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा स्वीकार की । राज्य स्तर पर उसमें संशोधन हो गए । लेकिन बाकी नीचे के एक्ट में आपने संशोधन नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, यदि समझ में आता है तो करिये । अध्यक्ष महोदय, ऋण की जो साख संरचना है मैं उसका एक उदाहरण देता हूं । पैक्स में मूल से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाता लेकिन अपेक्स बैंक या जिला सहकारी बैंक, डबल होने के बाद भी ब्याज की गणना जारी रखते हैं, जिससे पैक्स को हानि होती है। आपने कभी उस पर बात नहीं की, कभी नहीं सोचा, उनको यह विषय समझ में नहीं आएगा । अगर समझ आएगा तो मैं उत्तर जरूर सुनना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, माननीय सतयनारायण शर्मा जी नहीं हैं । मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उल्लेख कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- वो नहीं हैं तो उनके बारे में कहने के बजाय आगे बढ़ जाइए आप ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । एक, आवास संघ है । मेरे जिले के सारी सोसायटियां आवास संघ की मेम्बर हैं । एक भी कोऑपरेटिव अफसर को ये बोल दें कि मुझसे मिल लें और बता दें कि आवास संघ का चुनाव कब होता है, कब एजीएम होता है, कब उनको सूचना दी जाती है, यह बता दें ? केवल कागजों में निर्वाचन । जब छत्तीसगढ़ में गृह निर्माण मंडल कार्यरत है तो आवास संघ की उपादेयता क्या है ? एक आदमी के सहकारी आंदोलन के लिए या दो आदमी के लिए, मुझे समझ नहीं आया । अध्यक्ष महोदय, लगभग 1333 सोसायटियां हैं । मार्कफेड सबको सदस्य क्यों नहीं बना रहा है ? सबको सदस्य बनाने में उसे क्या प्रॉब्लम है ? जो पैक्स है, जनजातीय समितियां, जिसको लैम्प्स बोलते हैं, वह पैक्स है । पैक्स जो बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में बंद हैं, आपको मालूम ही नहीं होगा कि बस्तर में कितने पैक्स या लैम्प्स बंद हैं ? अध्यक्ष महोदय, थोक उपभोक्ता भंडार अभी क्या काम कर रहा है, यह जरूर सुनना चाहूंगा ? जिला सहकारी संघ क्या काम कर रहा है यह जरूर सुनना चाहूंगा ? यह आप जरूर बताएंगे कि उसकी क्या उपयोगिता है, वे क्या काम कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो प्रदेश में कितनी मार्केटिंग सोसायटियां हैं और वे क्या काम कर रही हैं और किन कारणों से डूबी हैं । मैं चाहूंगा कि आप बताएं? अध्यक्ष महोदय, खरोरा में, तिल्दा में, मेरे क्षेत्र के कोर्रा में, खोरपा में, जिन सोसायटियों में गबन हुआ, किसके संरक्षण में हुआ, क्यों वसूली नहीं हो रही है । लैम्प्स में जब आप प्रबंधकीय अनुदान देते हैं, क्या सामान्य क्षेत्रों के पैक्स को भी प्रबंधकीय अनुदान देंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्या आप सेवा भर्ती नियमों में संशोधन करेंगे कि पैक्स जब बहुउद्देशीय काम कर रही है तो उसमें वित्तीय प्रबंधक या कम से कम कृषि स्नातक बैठे, कया यह कोशिश करेंगे या केवल ऋण माफी पर अपनी पीठ थपथपाएंगे। मैंने कहा है कि 13 हजार करोड़ को हमने, डॉ. साहब ने ब्याज अनुदान भर दिया है। अभी जब मैं बिजली की बात करूंगा तो बताउंगा। सहकारिता विभाग में ऋण माफी को छोड़ धान खरीदी का पूरा सिस्टम यदि सर्वश्रेष्ठ बना तो रमन सिंह जी के नेतृत्व में बना। (मेजों की थपथपाहट) एक भी नई बात नहीं कही गई है और किसानों के बारे में सहकारिता आंदोलन के बारे में जिन महापुरखों का मैंने नाम लिया है, उनके सपनों को साकार करने में ये असफल रहे हैं और इनके कार्यकाल में इनका इतिहास किसानों के अपमान का इतिहास रहा है। पानी में डुबाकर देखने का इतिहास रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा। मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों के बच्चे हैं कि नहीं हैं कि बिना बच्चे के किसान हैं। आदिवासी क्षेत्र की, अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो यह बताना कि उनके बच्चे हैं कि नहीं हैं और उनके बच्चे की पढ़ाई में आपने क्या किया है? उसको सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट मांग रहे थे वर्ष 2019-20 का लगभग....।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर):- अजय भाई, इस प्रदेश में ट्राइबल के 3 हजार स्कूलों को आपने बंद किया और आप लोग कहते रह गये। आपने बात को नहीं सुनी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी बात करता हूं थोड़ी देर में। अभी बात करता हूं थोड़ी देर में। आपसे बात करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अमरजीत जी, 50 साल तुमन पहली का करे हो, एकरो इतिहास अभी सामने आही। सुने बर तैयार रहो।

श्री अमरजीत भगत :- जब होही तब होही लेकिन चंदेल जी अभी ओकर से परेशान रहथे कि अइसे अइसे। कब उनको लग जाए। माननीय अध्यक्ष जी उनकी सीट बदल दीजिए। आगे वाला खाली रहता है, उधर कर दीजिए वे हमेशा सशंकित रहते हैं इनसे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है। आपके इंटरप्शन मेरे शब्दों के वजन को कम नहीं कर सकते। मैं वहीं से फिर शुरू होउंगा।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं-नहीं, आपकी क्षमता और उसमें हमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। आप अपने.....।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2019 2020 का कुल बजट 13 हजार 491 करोड़ रूपये लगभग का है। इसमें आदिमजाति शिक्षकों का जो संविलियन हुआ था हम लोगों ने जो किया था 1350 करोड़ रूपये लगभग उसके वेतन के हैं। पिछले साल यह जुड़ा था, उस वेतन को अगर निकाल दें तो शिक्षा के बजट में लगभग साढ़े 3 हजार करोड़ की कटौती हुई है। यह छत्तीसगढ़ को आदिम युग में ले जाने का षड्यंत्र

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि किसान हैं और किसान के बच्चे हैं कि नहीं है। आदिवासियों के बच्चे हैं कि नहीं हैं। मेरे बच्चे हैं कि नहीं हैं और मैं पढ़कर बताता हूं। आप संज्ञान लीजिए। आज आपके ऊपर विश्वास है। मैंने तो कहा हमारे पास बजट को देखकर याचिका लगाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैं छोटा सा पढ़ता हूं। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी। मिलवा लीजिए हजार में है राशि। चौवालीस हजार अट्ठाइस सौ तीस जो कि अब छब्बीस हजार एक सौ । आप पढ़िए जिला प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान तिरालीस हजार चौवालीस साठ। यह राशि हजार में है। आपने अब कर दिया है तिरालिस हजार चालीस चालीस। इसमें भी 420 हजार आपने घटाया उसके बाद नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक का है। इसमें भी 13 हजार 700 करोड़ की कमी। विकासखंड शिक्षण संस्थान 35 हजार 548 करोड़ की कमी। समग्र शिक्षा 25 हजार। दो दो चार और एक सात। 2 लाख 50 हजार की कमी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यान्ह भोजन। राम-राम। यह [XX][4] है। [XX], [XX]। इसकी क्या आलोचन करूं? मेरे शब्द समर्थ नहीं है आलोचना के लिए। यह [XX] है [XX]-[XX]। इनका [XX]। कई साल वे इस [XX] को भुगतेंगे, जो मध्यान्ह भोजन की राशि काटते हैं वे।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज):- 15 साल का [XX] तो आपको 15 सीट में समेट दिया और कितना [XX] ढोगे। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता चिल्लती रही, आप सुनने को तैयार नहीं थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मध्यान्ह भोजन केन्द्र पोषित 6 हजार करोड़ की कमी। मध्यान्ह भोजन मानदेय केन्द्र पोषित 5 हजार 5 सौ करोड़ की कमी। हजार में है साहब ये 5 हजार 5 सौ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपकी गड़बड़ी के कारण डॉक्टर साहब को उधर बैठना पड़ा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पुस्तकालय योजना। मैं हमेशा बोलता था, पंचायत ग्रामीण विकास योजना में भी हमने आत्मानंद योजना शुरू की थी। कुछ पैसे जाएं। यदि एक गांव का आदमी आकर पेपर पढ़ता है। एक आदमी किताब इशु करवाकर पढ़ता है और वाचन संस्कृति विकसित होती है तो उस घाटे को छत्तीसगढ़ उठाने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ ने पुस्तक वाचन 9 सितंबर को करके डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में विश्व रिकार्ड बनाया था। ये वाचन संस्कृति विकसित हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, समग्र शिक्षा, 02 करोड़ 50 लाख की कमी है। साक्षर भारत योजना, आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्या प्रयास हुए, मैं अभी आदिमजाति विभाग पर आऊंगा तो बोलूंगा। साक्षर भारत में बजट की कमी है। अब मैं आकड़ें नहीं पढ़ता। टायपिंग बोर्ड गठन।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय जी, आप वाचन संस्कृति की बात कर रहे हैं, वहां चरण वंदना संस्कृति है।

[XX][4] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अब आकड़ों को नहीं पढ़ता। जो-जो कमी है, मैं उसको पढ़ देता हूँ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जब-जब आदरणीय डॉ0 रमन सिंह सदन में रहते हैं, तब-तब चन्द्राकर जी उनकी खूब बड़ाई करते हैं। जब वे सदन में नहीं रहते हैं, तब उनका एक बार भी नाम नहीं लेते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बजट को देख लो न, मैं आरोप थोड़ी न लगा रहा हूँ। साहब, बजट को देख लो। मैं अभी आरोप तो लगाया नहीं हूँ। आरोप लगाऊंगा तो बहुत से लोग भाग जायेंगे। जिस दिन आरोप लगाना होगा, मैं उस दिन प्रक्रिया से लगाऊंगा।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सदस्य जी, हमारे शिक्षामंत्री जी बस्तर में क्या किए हैं, उसके बारे में भी बतायेंगे।

श्री दीपक बैज :- किसानों को मिले हुए बजट से खुश नहीं हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डिस्टर्ब मत करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आयेंगे-आयेंगे। आदिम जाति में आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको डिस्टर्ब मत करिये। उनको बोलने दीजिये, जल्दी खत्म करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जल्दी-जल्दी पढ़ तो रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, बोल तो रहा हूँ, जल्दी खत्म करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- टायपिंग बोर्ड में कमी, शिक्षा आयोग के गठन में पैसे की कमी, महिलाओं की शारीरिक शिक्षा में पैसे को काटा गया, खेलकूद गतिविधियों में पैसा काटा गया, स्काऊट एसोसियेशन के अनुदान को कम किया गया, सेन्ट्रल लायब्रेरी योजना में पैसे कम, सरकारी पुस्तकालय में पैसे कम, लघु निर्माण कार्य मरम्मत, प्रायमरी शिक्षा। शिक्षा के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, मैं उसमें थोड़ी देर में आऊंगा। जो बच्चें दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, प्रायवेट स्कूल में जो छोटे-छोटे मरम्मत होते थे, उसमें पैसा काट दिया। कहीं और से पैसे जुटा लेते, आप और कर्ज ले लेते, हम उसका समर्थन कर देते। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, स्कूल शिक्षा या स्वास्थ्य है, इस सरकार को कल्याणकारी शासन नहीं कहा जा सकता है। लोकव्यापीकरण, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। लोकव्यापीकरण से हटकर [XX] की ओर बढ़ रही है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नष्ट करने वाली यह सरकार है। शासकीय विद्यालयों को समग्र शिक्षा में पैसे की कमी, एकीकृत योजना में पैसे की कमी, इतनी सारी कमी है। अब मैंने बता दिया कि कमी ही कमी है, कोई नई चीज नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ को ले जाने की कोशिश किधर हुई ? मैं सबसे पहले एक विषय में बोल देता हूँ। डॉ0 रमन सिंह जी आपके सामने हैं। (अध्यक्ष महोदय द्वारा भाषण खत्म करने का ईशारा करने पर) अध्यक्ष महोदय, इतना लंबा विभाग है, आप कहेंगे तो मैं ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नही-नहीं, 22 मिनट हो गए हैं। 30 मिनट का समय है।

श्री नारायण चंदेल :- वह हमारा ओपनर बल्लेबाज है।

अध्यक्ष महोदय :- तो कितने रन बनायेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो जल्दी खत्म कर दिया, मैं सहकारिता में और बोलना चाहता था।

श्री नारायण चंदेल :- चौका-छक्का तो मार ही रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- 30 ही मिनट तो है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोकसभा में 46वां संविधान संशोधन आया। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने शिक्षा का अधिकार बनाया। आपको इसलिए बधाई दिया कि जब वह संविधान संशोधन के अधिनियम बने तो उस लोकसभा के सम्माननीय सदस्य थे। उसमें 8 से 14 वर्षों के सभी बच्चों को प्रवेश उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान और सुनिश्चित करने की बाध्यता करती है, वह अधिनियम बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता। एक जन घोषणा-पत्र जारी किए हैं। लिखा है कि शिक्षा अधिकार को आंगनबाड़ी में 12वीं तक किया जायेगा। छात्राओं का नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट पर तो बाद में बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान कहता है कि 8वीं कक्षा तक 6 से 14 वर्ष बच्चों को, मैं यह स्वीकार कर लेता हूँ कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आप 8वीं से 12 तक को अपने निधि से बाध्य करेंगे या कानून बनायेंगे। आप कर सकते हैं। कनकरेन टॉपिक्स के विषय हैं। लेकिन मैं उसको बता देता हूँ जो आज के आकड़ें हैं। लगभग 9वीं से 12वीं, 4 कक्षाओं में 6 लाख बच्चे हैं। शिक्षा के कानून में जितनी बातें कही गई हैं, यदि उसमें न्यूनतम 10 हजार बच्चों को लेते हैं तो 600 करोड़ रूपये चाहिए। आप मुझे जरूर बतायेंगे कि शिक्षा के अधिकारी 12वीं तक की बात करूंगा, कालेज की बात तो बाद में करूंगा। जिस दिन नवजवान हमारे उत्साही मंत्री बात करेंगे, इसकी व्यवस्था कब तक करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शैक्षणिक सूचकांक जो रमन सिंह जी का योगदान इस प्रदेश को इसलिए रहा कि बजट में सर्वाधिक वृद्धि शिक्षा और स्वास्थ्य में की गई । जो प्राथमिक विद्यालयों में 2003 में 71 प्रतिशत उपस्थिति थी, वह 2017-18 में बढ़कर 96.33 प्रतिशत हो गई, माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज संख्या 66.45 प्रतिशत थी, वह 207-18 में बढ़कर 91.4 प्रतिशत हो गई, 2003-04 में 49 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक थे, आज 22 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है, जो देश का सबसे अच्छा शैक्षणिक सेट-अप है ।

आशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपको किसने रोका था कि व्यवस्था मत करो, 15 साल तक जनता ने आप पर भरोसा जताया था । सर, सच्चाई ये है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, उसके कारण परफारमेंस दिखाना चाहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में प्राथमिक विद्यालयों में 80 प्रतिशत बच्चे पूर्व माध्यमिक शालाओं में जा पाते थे, वे 96 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में हो गये । शैक्षणिक क्षेत्र में 2003-04 में 61 प्रतिशत बच्चे हाईस्कूल जा पाते थे, आज 97 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं । ये हमारा एक रिकार्ड है, उसके अतिरिक्त अधोसंरचना में 9000 से ज्यादा प्राथमिक शाला, 7 हजार से ज्यादा माध्यमिक स्कूल, 2400 से ज्यादा हाईस्कूल और 12 सौ से ज्यादा हायर सेकेण्डरी स्कूल और 100 स्कूलों में कृषि संकाय, जिसको आप बोलने के लिए खड़े होंगे तो गर्व से कहना कि मैंने उसको बंद कर दिया । मैंने बंद कर दिया, ये बोलिएगा । हम किसानों को सिर्फ कर्जा माफी देंगे ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, जो 3 हजार स्कूल बंद किये थे, उसको भी बताओ न कि हमने बंद किया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 1 लाख, 98 हजार बच्चों को शिक्षा के अधिकार में हमने प्रवेश दिलवाया, शिक्षक व्यवस्था में आऊट सोर्सिंग, आऊट सोर्सिंग, आऊट सोर्सिंग करके ये बात बार-बार आती है । मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि स्कूलों में कितनी जगह आऊट सोर्सिंग है, किस तरह की आऊट सोर्सिंग है, कैसे आऊट सोर्सिंग है, कहां की आऊट सोर्सिंग है, इस विषय में जरूर प्रकाश डालिएगा ।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, ये बताईए कि शिक्षा का अधिकार किसने दिया, किसने लागू किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया, अटल जी को धन्यवाद दिया, अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दिया कि जब अधिनियम बना तो उस समय वे लोकसभा के सदस्य थे ।

श्री अमरजीत भगत :-:- माननीय अध्यक्ष महोदय, डा. मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार ने उसको लागू किया था । आप अपनी जानकारी को बढ़ाईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है भैया, बिना संशोधन के आप लोग नियम बना लिए, इतने ही योग्य थे । चलो, मान लिए। इसीलिए तो आपकी विद्वता के कारण उपाध्यक्ष बनने की बात होती है।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिस तरह से आप प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, उसी तरह से उपाध्यक्ष बना रहे हैं क्या ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो 72 मॉडल स्कूल थे, आज पी.पी. मॉडल में डी.ए.व्ही. स्कूल के द्वारा वे संचालित हो रहे हैं, देश में जितने मॉडल स्कूल खोले गए थे, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ के मॉडल को स्वीकार किया गया और एक लाख शिक्षा कर्मी से ऊपर को शिक्षक संवर्ग एल.बी. कैडर दिया गया । जब आपके पास 60हजार शिक्षा कर्मी गए कि साहब हमको भी परमानेंट कर दीजिए तो आपने जन घोषणा-पत्र दिखा दिया, उस समय जन घोषणा-पत्र दिखाने में संकोच नहीं हुआ कि ये पांच साल के लिए जन घोषणा-पत्र है और चुनाव के पहले बोलते थे कि तुरंत करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मॉडल स्कूल को आपने मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बना दिया और जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, उनसे भी आप लोगों ने फीस लेना शुरू कर दिया। आप कुछ भी बात करते हैं, बताईए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह भी समिति बनाकर खुद उस स्कूल को ले लिया ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, शिक्षा कर्मियों की इन्होंने नियमित किया, उनको पेमेन्ट कौन दे रहा है, आप उसको बता दीजिए ।

श्री दीपक बैज :- अजय भैया, ऐसा लग रहा है कि आप इस्तीफा नहीं दोगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाओ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बजट तक भवनविहीन प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला पूरी तरह बना दी गई, ये तो मरम्मत की राशि भी काट रहे हैं । इनसे हम शाला बनवाने की क्या अपेक्षा करेंगे, शिक्षा के बारे में इनसे क्या बात करेंगे ?

श्री चन्द्रदेव राय :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, मैं शिक्षा कर्मी बोल रहा हूं । 15 साल तक शिक्षा कर्मी के साथ आपने क्या किया ? उसको भी एक बार याद कर लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003-04 में शिक्षा का बजट 750 करोड़ रूपए था, आज इन्होंने 13 हजार करोड़ मांगा है । यदि मूल बजट की बात करूं तो मैंने कहा कि साढ़े तीन हजार करोड़ वेतन को निकाल दें तो साढ़े तीन हजार करोड़ की कटौती ये सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में डॉ. रमन सिंह जी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है । आप कितनी आलोचना करें, इतिहास याद करेगा, ये दस्तावेज कभी नहीं छिपेगा कि किसका योगदान कैसे रहा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिम जाति कल्याण विभाग के बारे में कहूंगा । मैं जल्दी खत्म कर देता हूॅ ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में कर देता हूॅ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :-इनके जीने के बारे में बात नहीं हो रही है, लम्बा जीये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बहुत ऊपर जायेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अटल बिहारी जी को धन्यवाद देता हूँ । उसका कारण है । आप संसद में भी दो-तीन बार रहे हैं । देश को 89 संशोधन मिला । 89 संशोधन के तहत इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आयोग का दर्जा मिला । उस महान आत्मा ने जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे लाभकारी था, जो अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग, जो समाज कल्याण के तहत होता था, उसको सम्मान देते हुये पहली बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए, एक अलग मंत्रालय उन्होंने बनाया । माननीय अध्यक्ष महोदय, 123 वां संविधान संशोधन पारित हुआ । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इन शब्दों को समर्पित करता हूँ । आप भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के लोग होते हैं, कौन सी योजना बनती है, कहां परेशान होते हैं, कैसे होते हैं, कोई देखरेख नहीं है । माननीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक ताकत दी । आज वह पिछड़ा वर्ग का हर आदमी अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर माननीय नरेन्द्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि सामान्य श्रेणी के लोगों को भी 124 वां संशोधन करके 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया । आपकी सरकार क्या थी, पहला वक्तव्य आया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे । दूसरा दिन आपने यू-टर्न दे दिया कि हम इसको सोचेंगे, परीक्षण करेंगे.....।

श्री अजय चन्द्राकर :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की बात करते हो, अनुसूचित जाति का आरक्षण आपने काट दिया, क्यों काटा ? 16 परशेंट था, उसको 12 परशेंट कर दिये । आप उनके विकास की बात करते हो ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- ये साल लागू हो जाही ना । ये साल पूरा 16 परशेंट आरक्षण लागू हो जाही ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यदि यह सदन सहमत है, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने प्रतिशत बढ़ाकर आरक्षण दिया है । माननीय डॉ.रमन सिंह ने जो आरक्षण दिया था, आरक्षण के नियमों के तहत, जितना अनुपात है, उसमें आरक्षण देंगे । हम यदि 50 प्रतिशत है, उसके बावजूद हमको 27 परशेंट आरक्षण नहीं मिल रहा है । वह जितना मांगते हैं, अनुसूचित जाति को जितना देते हैं, ओ.बी.सी. को भी 27 प्रतिशत देते हैं, हम सर्वसम्मत पारित करेंगे, आप इस विधेयक को लाईये । पूरा उनको दीजिए, जितना मांगते हैं, हम समर्थन करेंगे, 27 परशेंट दीजिए, अनुसूचित जाति को दीजिए । वह हिम्मत दिखाईये, फणनवीस जी की तरह, आप हिम्मत दिखाईये तमिलनाडु की तरह ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- 15 साल तक क्यों नहीं दिखाये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो बोला गया कि राजनीतिक तौर पर लाया गया है, इसका परीक्षण करेंगे । सामाजिक समरसता का एक श्रेष्ठ उदाहरण था । सामान्य वर्ग का भी आर्थिक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रूप से यदि कमजोर आदमी है, बिना किसी का कोटा काटे उनको भी आरक्षण का अधिकार मिलेगा । यह सरकार उसमें भी राजनीति करती है ।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दो-तीन मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । जो अनुसूचित क्षेत्रों की बात हो रही थी, लगभग 18,950 करोड़ रूपया आपने अलग-अलग योजनाओं में दिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों दिये हैं ? आप बजट पढ़ेंगे तो कुछ दिखता ही नहीं है । उस राशि का कभी उपयोग होता ही नहीं है । ये समग्र योजना उस 18 हजार करोड़ जैसी राशि के लिए प्रस्तुत कर पाने में असफल रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें कहकर बंद करूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना डॉ.रमन सिंह जी ने शुरू की । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको इसलिए बता रहा हूँ कि वर्ष 2004 तक 275 एक्ट के पैसे आदिवासी या अनुसूचित जाति उपयोजना के पैसे के अतिरिक्त कांग्रेस की सरकार लोगों से उनके नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन उसके लिए कोई भी एक नई योजना प्रवर्तित नहीं की । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहूंगा कि आप असहमत है । उसको काट दीजिए । उसको हम कटौती के साथ समर्थन करेंगे, लेकिन वह हिम्मत तो दिखाये और रही योजना तो आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं कि बच्चों के लिए इसमें जो चार आयाम थे-1. आस्था - नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए जब ये शुरू हुआ तो 64 विद्यार्थी थे। 1980 से नक्सल हिंसा आई साहब। उन पीड़ित एक भी बच्चे के लिए जो माता-पिता खो चुके हैं कभी आपने सोचा और जो सोचा तो आपकी आलोचना में समर्पित हो गया। इसे तो आलोचना से मुक्त रखिए। इसके लिए तो खड़ा मत करवाईये। 2. निष्ठा - जो नक्सल पीड़ित बच्चे हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं उन्हें निजी क्षेत्र के अच्छे स्कूलों में हम भर्ती करते हैं। आज 151 बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपको उसमें दर्द हो रहा है। बताईयेगा? 3. प्रयास - इसकी इतनी मांग हुई, इतनी मांग हुई कि गुढ़ियारी रायपुर में, उसके बाद आवासीय विद्यालय बिलासपुर में, जगदलपुर में और अंबिकापुर में खोले गये। इसमें आदिवासी बच्चों के लिए शत-प्रतिशत आवासीय विद्यालय है। जो नवाचार हुआ, उनके जीवन स्तर को सुधारने की जो कोशिश हुई, इसके परिणाम देखिए कि 100 प्रतिशत, 100 प्रतिशत, 98 प्रतिशत, 100 प्रतिशत।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह तो वही कहानी आप बता रहे हैं जो 15 साल आप किए हैं, अभी सरकार कुछ नया तो की नहीं है, अभी करने वाली है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक परिणाम भर को आपको बताना चाहता हूं। प्रयास के जो परिणाम आये, जो यूथ हॉस्टल बनाया गया, सहयोग जो इसका चौथा पार्ट था कि उनको परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रूपये दिये गये, वह आदिवासी बच्चे 23 से ऊपर आई.आई.टी.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जैसी संस्थाओं में सलेक्ट हुए, एन.आई.टी. में 100 से ज्यादा बच्चे सलेक्ट हुए, यू.पी.एस.सी. में सलेक्ट हुए, पी.एस.सी. में सलेक्ट हुए, अन्य राज्यों की परीक्षाओं में सलेक्ट हुए। किसने मना किया था? वह वोट बैंक से बाहर निकलकर जो दिल से योजनाएं बनती थीं उसका परिणाम इसी तरह आ रहा है जैसे चरणपादुका को बंद किया कि उसको राजनीतिक योजनाएं बना दी गई। इनका देखिएगा- कुछ बताकर मैं आगे बढ़ूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, चरणपादुका में जिसको 6 नंबर का लगता था उसे आप 9 नंबर का देते थे, और 9 नंबर वाले को 6 नंबर का देते थे। ऊपर से लोग उसका कमीशन खा जाते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी वित्त विकास निगम या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग अंत्यावसायी सरकारी वित्त विकास निगम है उसमें वर्ष 2004 तक राशि कितनी थी और 15 साल में उसमें राशि कितनी हुई उसे थोड़ा पढ़ियेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन चीजें पढ़कर बंद करूंगा। जो सबसे बड़ी बात थी, वर्षों से जो लोग उस दिन बता नहीं पाये थे, मेरे से पूछते मैं बता देता, 22 अनुसूचित जाति, 66 में हिन्दी में उच्चारण के विभेद थे, अंग्रेजी में जो उच्चारण के विभेद थे 5 अनुसूचित जाति के थे, उनको इस विधानसभा में पारित करके भेजने वाली सरकार थी तो वह डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उससे पहले जाति प्रमाण पत्र बनने से रोकनी वाली सरकार कौन थी? उसके पहले तो बन रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- इसके बाद आपका ही शुरू होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने भाषण में बोलिएगा। तेलासीबाड़ा, गिरौदपुरी, भंडारपुरी, सोनाखान जो कि हमारे आस्था के स्थल हैं, वहां 15 सालों में 47 करोड़ रूपये व्यय किए गए। तीन जगह के लिए 5-5 करोड़ रूपये दिये गये। यदि जाकर देखिए आपने घोषणा करके बिदा ले ली कि कुतुबमीनार से ऊँचा बनेगा। घोषणा करने में पैसा नहीं लगता, आकार देने में लगता है। कितने पैसे खर्च हुए? वह बाबा गुरूघासीदास के आदर्शों को संकल्पित था। पूरा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, वह देने वाले यदि कोई शख्स थे तो वह डॉ. रमन सिंह जी थे। गिरौदपुरी धाम जब नये स्वरूप मे बनना शुरू हुआ तो मैं प्रभारी मंत्री था। चरणकुंड तक सीढ़ी नहीं थी, छाता पहाड़ तक सड़क नहीं था, यदि वहां तालाब बना तो पटवा जी के शासनकाल में बना। ये आपके अनुसूचित जाति के तीर्थ स्थल की योजना थी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पटवा जी के समय में नहीं बना था, अर्जुन सिंह जी के समय में बना था। थोड़ा ठीक कर लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय जोगी साहब भी उसी पार बैठते हैं, आप बात कर लेते।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आयेंगे तो बात कर लेंगे ना। ऐसा है कि जोगी जी का नमक आपने खाया है, यहां के लोगों ने नहीं खाया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब सोनाखान में कुछ नहीं दिये थे, सोनाखान जैसा था वैसा ही है। उसे कुछ नहीं दिये थे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, खत्म करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब समाप्त कर रहा हूं। आज तक छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों के नाम से राजनीति कर ली, लेकिन कभी भी अल्पसंख्यक कल्याण की बात इन्होंने नहीं की। यदि प्रतिवेदन देख लेंगे तो उनके लिए एक भी योजना बनी तो वह डॉ. रमन सिंह जी के शासनकाल में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कहा मुझे कुछ और बातें कहनी थी ...।

अध्यक्ष महोदय :- 40 मिनट हो गये समाप्त कर दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें आखिरी में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बाद में कह दीजिए न।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में खत्म करूंगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, अइसने करत करत तो एक घंटा होगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आज का दिन संविधान में...।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दो भैय्या 15 साल बाद तो बोलने की आजादी मिली है। अभी तक तो महसूस कर रहे थे कि आजादी नहीं मिल पाता था।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नहीं कहना चाहता, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। संविधान में जिस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे चिंतकों ने, मनुष्यों ने, सोचने वालों ने किया है। छत्तीसगढ़ में शुरूआत में मैंने जिन मनुष्यों का सहकारी आंदोलन में उल्लेख किया था। आपके रहते, इस सदन के रहते, स्वास्थ्य में बजट घटा दिया गया, शिक्षा में बजट घटा दिया गया, बजट किसमें बढ़ा। किसानों के कर्ज बांटने को विकास मान लिया गया, किसानों की जो सहायक चीजें हैं, जिससे किसान मजबूत होगा, सहकारी आंदोलन मजबूत होगा, अनुसूचित जाति के स्कूल के पैसे, लघु निर्माण के पैसे कांट दिये गये, साक्षरता के पैसे कांट दिये गये, वरिष्ठ लोगों को जो हम साक्षर करते थे उसके पैसे कांट दिये गये। इस शासन से क्या अपेक्षा हो सकती है? छत्तीसगढ़ को कहां ले जाना चाहते हैं। इस सरकार के माननीय मंत्री जी का कोई प्रभाव इस बजट में नहीं है, कोई सोच नहीं दिखती, कोई दिशा दृष्टि इस छत्तीसगढ़ के प्राथमिक विभाग के लिए नहीं दिखती। इसलिए मैं मांग संख्या के सभी अव्यवों का विरोध करते हुए, कटौती मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

समय :

03:42 बजे **(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- सभापति अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांगों पर चर्चा डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री से संबंधित मांग संख्या 82 अनुसूचित उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता, मांग संख्या 33 आदिमजाति कल्याण विभाग, मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, मांग संख्या 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण, मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता, मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना, मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य भवन, मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मांग संख्या 83 अनूसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता, मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा, मांग संख्या 17 सहकारिता के समर्थन में बोलने के खड़ा हुआ हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जिससे राज्य के समाज के जो अंतिम छोर में लोग खड़े रहते हैं, उनके लिये भी योजना संचालित ये विभाग करती है। आज महत्वपूर्ण चर्चा के लिए इस सदन में खड़े हुए हैं। अनुसूचित जनजाति की हम बात करें, जब हम उस ओर देखते हैं, समाज को उस ओर लेकर जाते हैं, जहां चारों तरफ जंगल और पहाड़ो से घिरा होता है, नदी नालों से घिरा होता है और आने जाने का रास्ता भी नहीं रहता है। वहां हमारे आदिवासी लोग बसते हैं। जहां पीने के लिए पानी नहीं होता, जाने का रास्ता नहीं होता, खाने के लिए अनाज नहीं होते और वहां से हमारी जिंदगी शुरू होती है। उसके संबंध में आज ये बजट लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत सोच समझकर बजट में समायोजन करने का काम किया है। इस योजना के तहत बताऊंगा, माननीय मंत्री जी के पास जहां बहुत दूर जंगल में, पहाड़ों में बसे गांव जहां 25-50 घर की बस्ती हुआ करती थी, वहां के लिए भी डॉ. मनमोहन सिंह ने शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शाला हर 3 किलोमीटर में, माध्यमिक शाला हर 5 किलोमीटर में, 9,8,7 किलोमीटर में, हाईस्कूल 10 किलोमीटर में शाला खोलने का काम किया था।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव चंद्रा :- सभापति महोदय, प्राथमिक शाला तो 1 किलोमीटर में खोलने का काम किया था।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, प्राथमिक शाला 1 किलोमीटर, मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर में, सुधार लिया जाये आपका बहुत अच्छा सुझाव है । 1 किलोमीटर में प्राथमिक शाला और 3 किलोमीटर में मीडिल स्कूल और 7 किलोमीटर में हाईस्कूल और 10 से 12 किलोमीटर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का काम, यू.पी.ए. सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। लेकिन ये बहुत अच्छा चल रहा था कि गरीब से गरीब बच्चे घर से घर का अनाज खाकर, पैदल जाकर, वहीं पढ़कर अपने ही गांव अपने मोहल्ले में पढ़ाई करते थे तो उनको शिक्षा मिलती थी।

माननीय सभापति महोदय, ये भी बहुत अच्छी योजना थी कि उसी गांव का पढ़ा लिखा बच्चा, उसी गांव का रहने वाला, अगर योग्यता रखता है तो उसी गांव की पंचायत तय करे, गांव की पंचायत को अधिकार था कि अगर रिक्त पद है और सरकार से अनुमति लेकर, उसी ग्राम पंचायत में बैठे सदस्य, निर्वाचित लोग, चयन करके मैरिट बेस पर जो पात्रता रखता है उसको शिक्षक बनाने का अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था में थी और हम ट्रायबल स्कूलों में ये व्यवस्था भी करते थे।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से ये उनको शिक्षा लगातार मिलती थी तो उनको वहीं खाने के लिए मध्याह्न भोजन भी मिलता था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, बीच में चलते-चलते कुछ ऐसी सरकारें पूर्ववर्ती सरकारों ने निर्णय लिया कि जबकि उस आदिवासी विभाग में हमारे आदिवासी ही बैठते थे। लेकिन पता नहीं कहां से ऐसे लोगों का दबाव पड़ गया। साढ़े तीन हजार से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया। वह आदिवासी जंगल, पहाड़ में रहने वाला चिल्लाता रहा, उसके निर्वाचित लोग यहां आवाज बनकर आये, अपनी बात को कहते रह गये। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी की तरह नहीं सुनी...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, अब तो आपकी सरकार बन गई। अब उन स्कूलों को खुलवायेंगे क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। ये इतना बड़ा महा[XX] किया कि अंतिम छोर में रहने वाले उन गरीब बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने का काम, तीन हजार स्कूलों को बंद करने का काम किया, जिसके कारण जनता ने 15 साल की सरकार को 15 सीटों में पहुंचा दिया। ये हमारे छोटे आदिवासी गरीब बच्चे जो वंचित रहते थे, दूरांचल में रहते थे, उनको वंचित करने के कारण ये यहां पहुंचे हैं। 15 साल की सरकार 15 सीटों में आकर सिमटी है। उनके पीने के पानी की जो व्यवस्था होती थी, वह आदिवासी उपयोजना के तहत होती थी कि वहां ट्रायबल विभाग हैण्डपम्प खुदवाये। उन बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था करे। उस पैसे को भी कटौती करके, ये बड़े-बड़े क्रांकिट ठेकेदारों को दे दिया। इन्होंने बड़े कामों को करने के लिए क्या-क्या की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

योजना चला दी? उन गरीबों, आदिवासियों का भी पैसा को कटौती करने का काम किया, जिसको पुन: वापस ले जाने का काम बघेल जी की सरकार, माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की सरकार ने करने का काम किया है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे आदिवासी परिवार से मंत्री हैं और आदिवासियों के दर्द को समझा। बस्तर का हमारा भाई आदिवासी मंत्री था। लेकिन उसका दुरूपयोग हुआ। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी बहुत अच्छी सोच....।

श्री दीपक बैज :- माननीय बृहस्पत सिंह भईया, वे बेचारा साली के चक्कर में बर्बाद हो गया।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब वह क्या कहें, माननीय चन्द्राकर जी जैसे उनके मित्र हुआ करते थे। उस चक्कर में बेचारे फंस गये। वे भी सज्जन आदमी था, आदिवासी था, वह क्या गड़बड़ करेगा? चन्द्राकर भईया जैसे सलाहकार होते थे इसलिए गड़बड़ में फंस गया। हमारे मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मित्रों से थोड़ा बचकर आप रहेंगे। जैसे हमारे बस्तर वाले भईया ने धोखा खाया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसको विलोपित करवा दीजिए।

सभापति महोदय :- इसको दिखवा लेते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आदिवासी जाति प्रमाण पत्र वर्ष 2003 के पहले छत्तीसगढ़ में अगर वह आदिवासी है तो उसके दादा आदिवासी थे, परदादा आदिवासी थे, सभी आदिवासी थे। उसके दादा का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, बाप, बेटा का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, लेकिन जब वर्ष 2004 में जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के ऊपर ऐसा पहाड़ टूट गया कि आप किस जाति के हो, किस गोत्र के हो, कौन सा देवता मानते हो, कौन सा पितृ मानते हो ? आपकी रिश्तेदारी कहां है और कौन सा है ? पता नहीं क्या-क्या इतने शब्द पूछे जाने लगे ? जो पूरा आदिवासी त्रस्त हो गया और ये इतना बड़ा हुआ कि इन आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र को रोका गया, लगातार 15 सालों तक सफर किये, पढ़े-लिखे सारी योग्यता हासिल करने के बावजूद भी उसको नौकरी से वंचित रखा गया।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, उन्होंने जो किया, उनका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आप 68 सीट लेकर आएं हैं आप क्या करने वाले हैं ये बताईये ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय केशव चंद्रा जी, ये भरपाई नहीं हो सकती। इनकी उम्र खत्म हो गई, क्या ये बढ़ायेंगे ? क्या आप कानून में ऐसा संशोधन करेंगे ? ये 15 सालों में जिन लोगों को पात्रता मिलनी थी, जिनकी उम्र खत्म हो गई, आप कौन सा ऐसा कानून बना लेंगे ? कि आप 15 सालों को सीधा बैक कर लेंगे ? आप 15 सालों का छूट ले लेंगे ? इन्होंने इतना बड़ा [XX] करने का काम किया है और पूरा वंचित रखा, आज 64 क्या, हमारे 60-65 आदिवासी परिवार जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी राज्य निर्माण होने के पहले से रह रहे थे, उनको भी आदिवासी का लाभ लेने से वंचित कर दिया गया और फर्जी जाति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रमाण पत्र बनाकर आपके मंत्रालय से लेकर पंचायत के सचिवालय तक सरकार में हजारों लोगों को भर दिया गया। लेकिन जो मूल आदिवासी छत्तीसगढ़ के थे, उन्हें जाति प्रमाण पत्र से वंचित किया। जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मची, सारे आदिवासी जाग उठे, वर्ष 1857 की क्रांति की तरह जागने लगे, मुझे याद है कि रावणभांटा में 10 लाख से अधिक आदिवासियों ने हल्ला बोल शुरू किया तब सरकार की नींद उड़ी कि अब तो हम जाने वाले हैं, जिस तरह से अंग्रेज जाते-जाते कुछ करके गये, उस तरह से इनको लगा कि अब जाते-जाते हम भी कुछ करके जायें। तब आनन-फानन में इन आदिवासियों के डर से दबाव में आकर संशोधन विधेयक लाकर मात्रा त्रुटि सुधार का नाटक किया और सुधार करने का काम किया। डॉ. रमन सिहं जी ने जाते-जाते कुछ पुण्य का काम किया है, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन इनके साथियों के बहकावे में आकर डॉ. रमन सिंह जी सज्जन आदमी होते हुए भी गलत कर बैठे। इतना बड़ा [XX] इनके साथियों ने करवा दिया। आज भी बहुत सारे हमारे आदिवासी सरगुजा, बस्तर, छत्तीसगढ़ के कई अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो जंगलों, पहाड़ों में रहते हैं। जैसे सरगुजा में पंडो पढैया, नगेशिया किसान, ऐसी बहुत जातियां हैं जो अभी भी जाति के लाभ से वंचित रह गई हैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उनका भी माननीय मंत्री जी परीक्षण करके भारत सरकार से अनुमोदन लेकर उसको भी उद्धार करने का काम करें। आदिवासी स्कूलों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया, हमारी अधिकारियों की वरीयता खत्म हो गई, जो ट्राईवल के अधिकारी थे, ट्राईवल में उनको वरीयता मिलनी चाहिए थी, प्रमोशन मिलना था, उनको शिक्षा विभाग में मर्ज कर पता नहीं कहां ले जाकर भटका दिये। जिस ट्राईवल डेवलपमेन्ट के नाम पर हमें विश्व बैंक से, भारत सरकार से पैसा मिलता था, वह भी हमारे हिस्से का कम होते चला जा रहा है, यह बडें चिंता का विषय है। इसमें गंभीरतापूर्वक बात होनी चाहिए। आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इसमें पुन: विचार करें और पुरानी सरकार ने जो गलती किया है उसकी पुनरावृत्ति, उसका अनुकरण न करके उसमें संशोधन करके जो हमारे आदिवासियों की स्कूलों का बंद किया गया है, अधिकारों को छीना गया है, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उसको पुन: वापिस लाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी उपयोजना के तहत सड़कें, पुल, आने-जाने का रास्ता, पीने का पानी, घर में बिजली, आश्रम, छात्रावास की हालत आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। मैं कई आश्रम, छात्रावासों में गया, वहां पर अधीक्षकों ने यह कहा, अभी 4 महीने पहले जब चुनाव के समय मैं गया, हर जगह कमीशन बंधे हुए हैं। आपके माध्यम से बताऊंगा कि पूर्ववर्ती सरकारों में बंधा हुआ था कि अगर 50 सीट से कम का आश्रम, छात्रावास है तो 5 से 7 हजार रुपये महीना अधीक्षक को देना पड़ेगा और 50 सीट से अधिक सीटर वाले आश्रम, छात्रावास हैं तो आपको हर महीना 10 हजार रुपये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कमीशना देना पड़ेगा, ऐसा बना हुआ था।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- किसको देते थे?

श्री बृहस्पत सिंह :- ऊपर तक जाता है, ऊपर में कौन बैठे हुए थे, मुझे नहीं मालूम कि कौन ऊपर में था।

श्री सौरभ सिंह :- अभी भी जायेगा न।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जो हमारे गरीब, अबोध बच्चे आश्रम और छात्रावास में रहते हैं, मॉ-बाप उन बच्चों को गांव से छोड़कर आपके भरोसे उस अधीक्षक के पास आश्रम और छात्रावास में जिम्मा देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, भरपेट खाना मिलेगा। उसके लिए सरकार बजट में व्यवस्था करती है। उसमें भी गड़बड़ी होती है। मैंने लगातार पूर्ववर्ती सरकारों से आग्रह किया, लेकिन कोई नहीं सुना। माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से कहूंगा कि उसको जरूर दिखवा लिया जाये। कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके आहार की कटौती होती है। ऐसे घिनौने काम करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने बख्शा, उसका परिणाम भुगत लिया, आपसे आग्रह है कि अगर ऐसी गडबड़ है जो जरूर सुधारने का भी काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, हम पिछड़ा वर्ग की बात करें, पिछड़ा वर्ग कागज में रह गया। छत्तीसगढ़ के हमारे कई जिले सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर हैं, जहां पिछड़ा वर्ग के जैसे मुसलमान हैं, मुसलमान एक धर्म होता है, जाति भी होती है। मुसलमान में भी कई जाति है, मोमिन है, जोल्हा है, धुनिया है कई जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में आती हैं लेकिन उनको भी गांव में जब सन् 1936 से 1944 में सेटलमेंट हुआ तो उनको यह पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो दाड़ी वाले देखे तो लिख दिये मुसलमान, आपकी क्या जाति है तो लिख दिये मुसलमान । नतीजा यह हुआ कि जो पिछड़ा वर्ग की जाति का लाभ जोल्हा, धुनिया के तहत् जो कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्था दी थी कि वहां के ग्राम सभा से, वहां के सदर से, यदि वहां की कमेटी निर्धारण करती है कि यह किस जाति का है, यह प्रमाण-पत्र देता है तो उसको आधार मानकर वहां का संबंधित अधिकारी उसको पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र देता था । उसे नौकरी में भी उस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ मिलता था । उसका लाभ चुनाव में भी मिलता था, उसको भी पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया । मैं नयी सरकार से आग्रह करूंगा कि उसका भी परीक्षण करायें यदि किसी को सही में पिछड़ा वर्ग के लाभ की पात्रता है तो उसे दिया जाना चाहिए । हमारी कई ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग के लाभ से वंचित हैं इसके बारे में भी मेरा आपसे आग्रह है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चूंकि हमारे पूर्व संसदीय कार्यमंत्री जी पिछ्ड़ा वर्ग से आते हैं । 15 सालों की सरकार में इनको पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं हुई । इनको एक-बार भी चिंता नहीं हुई । मैं इनके लिये भी मांगता हूं कि चूंकि इनके समाज के बहुत सारे लोग पिछड़े वर्ग से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वंचित रह रहे हैं, जिनका जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहा है उनका भी बनना चाहिए । पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत गलत किया है जो पिछड़े वर्ग को पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र से वंचित किया, आदिवासियों को आदिवासी प्रमाण-पत्र से वंचित किया और हमारे ऐसे वक्ता और तेज मंत्री होते हुए भी उन्होंने उन्हें प्रमाण-पत्र से वंचित रखा ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, एक तरफ श्री चंद्राकर जी और एक तरफ श्री बृजमोहन जी बैठ गये हैं और बीच में श्री नारायण चंदेल जी चपट जा रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिये उनका थोड़ा सा संरक्षण करिये । (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- क्या बात है ?

श्री अमरजीत भगत :- मैं यह बोल रहा हूं कि श्री चंदेल जी बीच में चपट जा रहे हैं, दोनों तरफ से हमारे चंदेल जी को ये लोग दबा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप निश्चिंत रहें । श्री नारायण जी दोनों के बीच सुरक्षित हैं । श्री बृहस्पत जी आप अपना भाषण चालू करें ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, ये एक तो पिछली सरकार कहना बंद करें । इस सरकार का यह बजट है और चूंकि इस सरकार के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है और सारा जो है पलटकर देखते हैं, आप आगे की दिशा और आपकी क्या दृष्टि है उस पर बात करो, आपका क्या विजन है इस पर चर्चा हो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- असल में ये बोल रहे हैं कि पीछे वाली आदत अच्छी नहीं है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जैसे श्री नारायण चंदेल जी उपाध्यक्ष के तौर पर उस चेयर में सुशोभित होते थे वैसे ही जब श्री अमरजीत जी जब बैठते हैं तो उतने ही अच्छे लगते हैं, जैसे पहले श्री नारायण चंदेल जी लगते थे।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप पहले प्रदेश अध्यक्ष बन जाईये, इसके बाद हम लोग आगे उनके लिये विचार करेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- तें हा मोर तारीफ करत हस कि विरोध करत हस समझे में नइ आत है । (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- उसको कक्ष में समझ लेना । (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं सहकारिता की बात करूंगा। हमारे देश को आज यहां तक पहुंचाने का काम सहकारिता ने किया है । जब हम लोग छोटे थे, किताबों में पढ़ते थे, सुनते थे, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भी लाल वाला गेहूं जहाजों से आता था और उस समय हमारे देश में खाने का अनाज नहीं होता था उस समय सहकारिता की सोच आयी । लगातार कई देश के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लोग हमारे हिंदुस्तान में एग्रीमेंट करने के लिये आये कि आपको हम इतने साल के लिये अनाज देंगे लेकिन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा जी, हमारे देश के जो पूर्व नेता हुआ करते थे, देश के जो हमारे चिंतक हुआ करते थे उन लोगों ने कहा कि मुझे देश में ऐसी व्यवस्था करनी है कि चूंकि दूसरे देशों से अनाज आता है और लोग लाईन से अनाज लेने के लिये खड़े रहते हैं, अनाज लेने के लिये लड़ाई होती है, हम हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि अनाज बेचने के लिये लड़ाई करें ऐसी व्यवस्था लायी गई जिसके तहत् सहकारिता की व्यवस्था हुई । गांव के सारे लोगों ने अपना-अपना शेयर जमा किया, समितियां बनीं, सोसायटियां बनायीं गईं उसके माध्यम से संचालन शुरू हुआ । गवर्नमेंट ने गारंटी दी, उस समय बजट बहुत कम हुआ करता था, रिजर्व बैंक, नाबार्ड ने गवर्नमेंट गारंटी पर लोन देना चालू किया और उस सोसायटी को यह अधिकार दिया गया कि अगर आपने 5 परसेंट में लिया है तो 2 परसेंट में आप खर्चा चलाईये लेकिन किसानों की व्यवस्था बनाईये । उसके माध्यम से हमने लगातार रासायनिक खाद देने का काम किया । सहकारिता के माध्यम से बीज देने का काम किया । सहकारिता के माध्यम से उनको उपकरण देने का काम किया और वहीं बैठकर, वहीं तय करने का काम किया और उस समय हमारे देश के लोगों ने दो तरह का तय किया । एक लांग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म । हमारी एक सहकारी समिति बनी जो खाद बीज देने का काम करेगी और दूसरी सहकारी समिति बनी जो ट्रैक्टर, कुंआ आदि देने का काम करेगी । उसकी भी गवर्नमेंट गारंटी मिलती थी और उसका लाभ राज्य के लोगों को मिलता था । हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बीच में कुछ सरकारें आईं, इन सरकारों ने यह हालत कर दिया । इसके पहले हिंदुस्तान की सहकारिता बहुत अच्छी चल रही थी । पूरे देश में कुंआ देने का काम, पंप देने का काम, ट्रैक्टर देने काम, बीज देने का काम सारी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से होने लगा और पूरा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने लगा । लेकिन पता नहीं इन सहकारी बैंकों को किसकी नज़र लग गई । धुंआधार हो गया, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे । सभापति महोदय, अन्यथा नहीं लेंगे, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कर्जा माफी की बात आई तो कॉम्पीटीशन शुरू हुआ । कर्जा माफी के मामले में किसानों का कर्ज माफी की घोषणा तो हुई लेकिन बैंको को सरकार ने पैसा नहीं दिया और जब सहकारी बैंको को पैसा नहीं मिला तो नाबार्ड और रिजर्व बैंक को पैसा वापस नहीं मिला जिससे हमारे कई बैंक डिफाल्टर हो गए । हमारे एक साथी डिफाल्ट की बात कर रहे थे, उन्हें याद दिला रहा हूं । साहब, जब आपकी मध्यप्रदेश सरकार थी तो आपने बड़ा कर्जा माफी किया था । आपने कर्ज माफी तो कर दिया, आपने बैंको से कह दिया कि किसानों से पैसा मत लेना, हमने कर्ज स्थगित कर दिया । तो बैंको ने भी लेना स्थगित कर दिया लेकिन नाबार्ड और रिजर्व बैंक उन बैंको पर चढ़ बैठे । उन्होंने कहा कि अगर आपने पैसा नहीं लौटाया तो आपको डिफाल्ट कर दूंगा, आपकी गवर्नमेंट गारंटी को कैन्सिल कर दूंगा । आखिर सरकारों ने पैसा नहीं दिया, इसके कारण हमारे राज्य के बहुत सारे बैंक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डिफाल्टर हो गए । नाबार्ड से डिफाल्ट हो गए, उनकी मान्यता रद्द हो गई । अंततः यह स्थिति हुई कि दोनों बैंकों को फिर से मर्ज करने की बात आई । कई बैंक डिफाल्ट हो गए उन्हें नाबार्ड से लोन मिलना बंद हो गया । अगर सरकारों का कर्ज माफ करना है तो जिस तरह से अभी माननीय भूपेश बघेल जी ने कर्ज माफी का काम किया, आप अपने बजट से पास करिये । आप किसानों का जितना कर्ज माफ करते हैं, उतनी राशि उस बैंक को दीजिए ताकि हमारे बैंक डिफाल्ट न हो, यह व्यवस्था होनी चाहिए थी । लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा न करके, लोन स्थगित कर दिया । वाह साहब, इस साल का लोन अगले साल लेना । लेकिन इस एक साल का ब्याज कौन देगा ? रिजर्व बैंक को कौन वापस करेगा, नाबार्ड को कौन वापस करेगा, इस बात को सुनिश्चित नहीं किया गया था । जिस कारण सारे बैंक बंद हो गए । पहले हमारे गांवों में अलग-अलग बैंक हुआ करते थे, किसान वहां जाता था कि कुंआ खुदवाना है साहब, पम्प लेना है साहब, ये सारे बैंक बंद हो गए साहब । आजकल तो यह हालत बना दिया है इन लोगों ने । हम लोगों ने सहकारिता के माध्यम से फिर शुरू किया । सहकारी बैंक खोले गए, रायपुर में भी हम लोगों ने सहकारी बैंक खोला, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक खोला ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट । माननीय सभापति महोदय, ये बेचारे वही बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि सरकार बनने के बाद जो प्रतिवेदन आया है, जो बजट आया है उसमें कुछ नया है ही नहीं, तो नया क्या बोलेंगे । 15 साल तक वही बोलेंगे क्योंकि 5 साल तक कुछ कर ही नहीं पाएंगे । झलक दिख गई है ।

श्री नारायण चंदेल :- जहां-जहां पूर्व सरकार कहा गया है, उसे विलोपित करवा दीजिए ।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, आपका नाम बोलने वालों की सूची में है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सरकार कभी विलोपित नहीं होती । चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार । सरकार तो थी, है और आगे भी रहेगी ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, मैं चंद्राकर जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आकलन कर लिया है कि यह सरकार 15 साल रहेगी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन मुझे आपत्ति है, 15 साल नहीं, 20 साल तक नहीं छोड़ेंगे साहब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उधर विनय जायसवाल जी बैठते हैं, आप 5 साल को 15 साल मत सुनो । 5 ही साल है । वह भी 5 साल पूरा करेंगे या नहीं, इस पर भी खतरा है । उधर आप आ सकते हो, इसको ध्यान रखना । जो शुरूआत हुई है वह गड़बड़ हुई है । आप सामने आ सकते हो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, सहकारी बैंको की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि गांव का आदमी गांव में रहकर अपना पैसा जमा करे और उस पैसे को जब जब जरूरत हो तो उपयोग करे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप और कितना समय लेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । जितना चन्द्राकर जी ने लिया, उतना समय नहीं लूंगा । मैं बहुत दूर से आया हूं अपनी बात कहने । जनता की आवाज है उसको सुन लिया जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप 12वीं तक की शिक्षा फ्री करवा दो । बाकी कुछ मत करो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आप चिंता मत करो, जब आपको करने का मौका था तो आपने किया नहीं ।

सभापति महोदय :- बृहस्पत जी, आप डायरेक्ट बात करने के बजाय इधर देखकर बोलिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में कई जगह हम लोगों ने सहकारी बैंकों की भी स्थापना की । लेनदेन किया । जो लोग रिटायर होते थे उन्होंने अपना पैसा सहकारी बैकों में जमा किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक सेकेंड साहब ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय। सभापति महोदय। इनकी छेड़ने की आदत है। इनका ट्रीटमेंट कराइए। लगता है ये अभी स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाये हैं। इतना प्रवचन सुनने के बाद भी। पूरे प्रदेश के मुख्यालय रायपुर में प्रियदर्शनी सहकारिता बैंक खुली। इसी तरह से कई बैंकें खुलीं। सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को जमा किया कि बेटी की शादी करते तक डिपॉजिट की परिपक्वता तिथि पूरी हो जायेगी। हमारा छोटा बच्चा है। उसके नाम पर हमने खाता खोला कि बच्चा जब बाहर पढ़ने लायक होगा तो पैसे निकालकर पढ़ाई में खर्चा करेंगे। कई लोगों ने बेटियों के नाम पर पैसा जमा किया। हमारी बेटी जब शादी लायक होगी तो पैसा निकालकर बेटी की शादी में खर्च करेंगे, उसके लिए सहकारी बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन हुआ क्या ? सहकारिता बैंक बड़ा ही विश्वासपात्र बैंक माना जाता है। पूरे देश में सहकारिता का नाम है। जब आप महाराष्ट्र में जायेंगे तो देखेंगे कि सहकारिता के माध्यम से बड़े-बड़े शक्कर कारखाने लगे हैं। बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं। जहां से हमारे किसानों की आमदनी बढ़ती है। ऐसा हम लोगों ने भी सपना देखा था। सहकारिता के माध्यम से हम लोगों ने भी कवर्धा में शक्कर कारखाना खोला। अंबिकापुर में शक्कर कारखाना खोला कि हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति उभरे। सभापति महोदय, यह सहकारिता है। सहकारिता सब को सहकारिता करते हुए आगे बढ़ाने का काम करता है लेकिन मैं बताने जा रहा था परंतु बार-बार इनके छेड़ने के कारण मैं भटक रहा था। विषयांतर हो रहा था। लाखों लोगों ने कई करोड़ रूपये नागरिक इंदिरा प्रदशर्नी बैंक में, सहकारी बैंक में जमा किये। यह सपना देखा था कि बेटी की शादी में निकालकर शान से शादी करूंगा। बेटे की पढ़ाई में खर्च करूंगा और जब समय आयेगा तो घर बनाउंगा। रिटायरमेंट लेने के बाद जो पैसा निकला उसको जमा किया लेकिन कुछ राजीनीतिक लोगों और कुछ बैंक के अधिकारियों ने मिलकर सारे घोटाले कर बैठे। पूरे छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की जनता उस बैंक के उपभोक्ता लगातार आंदोलन करते रहे। दरवाजा खटखटाते रहे। कई घटनाएं होती रहीं। कोई सुनने वाला नहीं हुआ। लास्ट में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अदालत ने आदेश दिया कि जो-जो गड़बड़ी किये हैं, उसकी नार्को टेस्ट कराई जाए और विधिवत अदालत के आदेशानुसार नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट हुई तो हम लोगों ने टी.वी. चैनलों में देखा। सारे सोशल मीडिया में चला कि कौन-कौन मंत्री को कितना-कितना लाभ उन अधिकारियों ने दिया, उसे भी हमने देखा। एक तरफ छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने जिंदगी भर की कमाई को सहकारी बैंक में जमा किया और नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर उसे खाली कर दिया। अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, वे जेल गये लेकिन जिन मंत्रियों ने पैसा लिया उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई जमा किया है। अपने सारे सपने को जमा किया है। उसके साथ धोखा हुआ है। जिसका नार्को टेस्ट अदालत के आदेशानुसार हुआ है। छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में रखा जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ तो आदिवासियों के बारे में बोलो भैया। कुछ तो अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बोलो। जांच कराये हो लेकिन उसके बारे में कुछ तो बोलो।

श्री बृहस्पत सिंह :- विषयांतर करने की कोशिश मत करिए।

सभापति महोदय :- अजय जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने उस वीडियो को देखा है। उसमें आपका नाम नहीं है इसलिए आप मत डरिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने नाम नहीं है मैंने उस सीडी को देखा है, उस डीवीडी को। सभापति महोदय, मेरा यह आग्रह है कि जो ऐसे गाढ़ी कमाई जो जनता जमा करती है, भरोसा करती है। इसमें सरकार को अपने संज्ञान में आपके माध्यम से चाहूंगा कि जिस तरह से चिटफंड घोटाला कंपनी में जो धनराशि गड़बड़ हुई है। बड़े लोग जो गड़बड़ वाले हैं उनको सरकार पकड़ने का काम कर रही है। आपके माध्यम से मंत्री जी से सरकार से आग्रह करूंगा इसमें जो बड़े घोटाले किये हैं, जिनकी नार्को टेस्ट हो चुकी है। वैधानिक रूप से कोर्ट के आदेश से हुआ है। उसका भी अध्ययन करके अवलोकन करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो उपभोक्ताओं के पैसे, गाढ़ी कमाई को लूटा गया है, उसको सरकार को वापस कराने की व्यवस्था करानी चाहिए। आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- बृहस्पत जी, और कितना समय लेंगे?

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर आप इजाजत देंगे तो बोलूंगा नहीं बढाउंगा। यही कहूंगा कि पूर्व की सरकारों ने जैसा किया है। हमारी नई सरकार से काफी लोगों की उम्मीद जगी है, भरोसा जगा है। उन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपभोक्ताओं के लिए अच्छा काम करें। मेरा आपसे आग्रह है आपके माध्यम से उन उपभोक्ताओं का पैसा वापस कराने का कष्ट करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सदन में एकाध दो मित्रों उकबुक की जड़ी खाकर आ गए हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। हमारे सरगुजा में उकबुक जड़ी बोलते हैं। उसको खाने से बड़ा अकबकाहट होता है, बड़ी बेचैनी होती है। कितना भी कोई मना करे, वह मान ही नहीं सकता है, कितना भी समझाये वह मान ही नहीं सकता है। उसकी भी ट्रीटमेंट, ईलाज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि हमारे उधर भी एक डाक्टर हैं, इधर भी दो-तीन डाक्टर्स हैं। इधर हमारे डाक्टर सी0एम0 रहे। तो ऐसे-ऐसे हमारे विद्‌यान साथी हैं। ऐसे साथियों के ईलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा और सदन से आग्रह करूंगा कि सदन में जो अनुदान मांग पारित करने के लिए लाया गया है, इसको सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करे। सभापति महोदय, आप सबको धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, ये उकबुक जड़ीबूटी क्या है, पूछ तो लीजिये ?

सभापति महोदय :- आप अलग से बैठकर चर्चा कर लेना, वह जड़ीबूटी बता देंगे। कहां मिलता है, क्या होता है। श्रीमती इंदू बंजारे।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपका आदेश हो तो वहां तक पहुंच जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी कल कहां गायब थे ? कल उनका क्योश्चन डे था। दादी कहां गायब थे, उसकी एस0आई0टी0 से जांच करवाने की मांग करता हूँ।

श्री कवासी लखमा :- उसकी जांच आपको ही देंगे।

सभापति महोदय :- चलिये, नई सदस्या हैं, वह बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसकी एस0आई0टी0 जांच होनी चाहिए।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांगों पर चर्चा पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में शिक्षा का स्तर काफी नीचे लेवल पर चल रहा है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक नया योगदान दे, मैं ऐसा माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूँ।

सभापति महोदय, साथ ही मेरे क्षेत्र में खोरसी, धरदई और कोसीर में एक नया हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन की मांग करती हूँ। क्योंकि वहां काफी बच्चें पढ़ते हैं, लेकिन भवन नहीं होने के कारण

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मैं अभी जिन गांवों का नाम बोली हूँ, उनमें नया हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण कराने की मांग करती हूँ।

सभापति महोदय, मेरे पामगढ़ क्षेत्र में सहकारिता का जो भवन है, वह भवन भी जर्जर हो चुका है। मैं उसकी भी मांग करती हूँ। साथ ही हमारे क्षेत्र में बच्चें जिस मार्ग से छोटे-छोटे गांव के स्कूलों पढ़ाई-लिखाई करने जाते हैं, तो वहां के भवन की स्थिति जर्जर है। मैं वहां के लिए भी मांग करती हूँ प्राथमिक, मिडिल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जरूरत मेरे पामगढ़ क्षेत्र में है, जिनका मैं नाम लिखकर माननीय मंत्री जी को दूंगी, उन सभी क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी, माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला खोलने की कृपा करें। मैं इन्हीं मांगों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान मांगें रखी हैं, इतना व्यापक विषय है, इतना व्यापक विभाग है, उसके हिसाब से ये अनुदान की मांगें बहुत कम है। इसीलिए मैं अनुदान की मांगों का विरोध करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मध्यप्रदेश में आदिमजाति कल्याण विभाग एक ही विभाग हुआ करता था। जब छत्तीसगढ बना, उसके बाद दो विभाग हो गए, एक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा एक और विभाग। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो आदिमजाति कल्याण विभाग का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के सम्बन्ध में जो मांगें हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के नगरीय निकाय और पंचायती राज की व्यवस्था है, उसके अंदर अनुदान की मांग की गई है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग इस बात को देखते हैं कि बजट में जो प्रावधान होता है, वह अपने आप दिखाई देता है। लेकिन बजट के प्रावधान के बाद जब आदिवासी क्षेत्रों में, पंचायती राज में नगरीय निकाय की संस्थाएं हैं, उसमें राशि जाने की बात होती है, वह राशि कभी पहुंच नहीं पाती है।

माननीय सभापति महोदय, बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि इन क्षेत्रों में समुचित कामों के लिए राशि पहुंचे। लेकिन हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि बजट में विशेषकर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में जिस तरीके के प्रावधान होते हैं, तो जिन निर्माण कार्यों में, जिन विकास कार्यों में ये जो खर्च होते हैं, उसकी कभी भी समीक्षा कर ले, विभाग पिछले 10 वर्षों की समीक्षा करे या विगत दो वर्षों की समीक्षा करे, जो खर्च आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में होता है क्या उन विकास कार्यों से हमारे आदिवासी भाईयों के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है ? उसी तरीके काम जो कि रूटीन में विकास कार्य होते हैं, वही सी.सी. रोड़ का बन जाता है । मेरा निवेदन है कि यदि हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, हमारे बैगा क्षेत्र के भाइयों के लिए विकास की कोई बात होती है तो उनका व्यक्तिगत रूप से क्या विकास हो रहा है, इन योजनाओं से उनके जीवन स्तर में क्या

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

परिवर्तन हो रहे हैं, जब तक इसकी समीक्षा नहीं होगी, तब तक ये योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी । आज हम बस्तर की बात करते हैं, आदिवासी उप योजना के तहत में बहुत सारे मद का पैसा लोक निर्माण विभाग को जाता है, बहुत सारा पैसा पंचायती राज में, बहुत सारा पैसा अन्य विभागों को जाता है, लेकिन बजट में तो बड़ी-बड़ी व्यवस्था दिखती है, जब आप पता करेंगे कि बस्तर में सड़कों की बात है तो आप टेण्डर की प्रक्रिया देखेंगे तो 50 प्रतिशत एबोव टेण्डर, 70 प्रतिशत एबोव टेण्डर में होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन उन निर्माण कार्यों से आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में जो निर्माण हो रहे हैं, आज इस बात की गहन समीक्षा करने की जरूरत है और मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पिछले 10 वर्षों में आदिवासी उप योजना के बजट का क्या इस्तेमाल हुआ, उस पर आपको एक पेपर लेकर आना चाहिए, एक दस्तावेज बनकर आना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार ने बजट में जो प्रावधान किये, जो राशि भेजी, उसका कितना प्रतिशत उपयोग हुआ और उससे आदिवासी भाइयों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, उस पर एक व्हाईट पेपर (श्वेत-पत्र) लाने की आवश्यकता है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आदिवासी क्षेत्रों के नाम से जो बजट में पैसा जाता है, वह केवल और केवल अधिकारी अपने कार्यों और अपने प्रावधानों के लिए उपयोग करते हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आया, ऐसा नहीं होता ।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी लगभग-लगभग बस्तर के अलावा हमारे राजनांदगांव जिले के आदिवासी क्षेत्रों में यदि हमारा कोई आदिवासी भाई जाति प्रमाण-पत्र बनाना चाहता है तो उसको आज भी इतने धक्के खाने पड़ते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे जो साथी हैं, उनको अगर कहीं बाहर पढ़ने जाना है, कोई छात्रवृत्ति लेनी है तो जाति प्रमाण-पत्र के लिए इतनी तकलीफें होती हैं और जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं कि छात्रावास के माध्यम से आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाएं, लेकिन जब उनके जाने का समय आता है या कोई पासपोर्ट बनाना है या कहीं वीजा बनाना है, इस तरह की चीजों में जाति प्रमाण-पत्र को जब यूस करना पड़ता है तो वही 50 साल का इतिहास और सारी चीजें मांगी जाती हैं । मेरा निवेदन है, मैं विशेषकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बौद्ध समाज के लोग आकर बसे हुए हैं, जिनको बसे हुए लगभबग 70-80 साल हो गए हैं, प्राय: अधिकतर बौद्धिस्ट लोग 1950 के बाद हमारे राज्य में विशेषकर डोंगरगढ़ में, भिलाई में आए, इन क्षेत्रों में बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, लेकिन आज भी उनके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं है। ये कहा जाता है कि आप महाराष्ट्र से आये हैं, हम जाति प्रमाण-पत्र नहीं देंगे । जो लोग यहां पैदा हुए हैं, यहां पढ़े-लिखे हैं, उनको भी आज प्रमाण-पत्र नहीं मिल पा रहा है, इस ओर आपको विचार करने की आवश्यकता है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विषय की ओर ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा । आज भी छत्तीसगढ़ के एक हिस्से में बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, विश्व स्तर पर ये एक संरक्षित जाति है । बैगा लोग वैसे भी विलुप्त हो गए हैं । मेरी अपनी विधान सभा क्षेत्र में, माननीय अकबर भाई के विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में बैगा लोग रहते हैं । आज भी उसी प्रकार की पुराने ढर्रे की बातें चल रही हैं कि आज भी बैगा लोगों को नहाने-धोने के लिए सरकार साबुन की व्यवस्था करती है । 50-60 वर्षों के बाद भी यदि हम बैगा को साबुन और टूथपेस्ट यूस करना नहीं सिखा पाए तो फिर विकास कैसा, इस विभाग का मतलब क्या है ? आज भी इस तरह के आवंटन किये जाते हैं कि बैगा लोगों को नहाने के लिए पैसा दिया जाता है, ये निश्चित रूप से बहुत ही अजीब विषय है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग की तरफ आपका ध्यानकर्षित कराना चाहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है । आदिमजाति कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग को किसी तरीक से मध्यप्रदेश में मर्ज करके रखा गया था, अब अलग-अलग काम कर रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा या मानपुर-मोहला क्षेत्रों में जितने भी आदिवासी वाले क्षेत्र हैं, जहां सामान्य स्कूलें चल रही हैं, वहां पर जितनी भी शिक्षाकर्मियों, शिक्षकों की पदस्थापना होती है, वे विषय विशेषज्ञ के नाम से, व्यवस्था के नाम से सब शहर में पहुंच जाते हैं । आप दोनों विभाग संचालित कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि जितने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जो आदिवासी क्षेत्रों से टीचरों को हटाकर शहरों में पोस्टिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए । व्यवस्था के नाम पर, किसी स्कूल में विषय विशेषज्ञ को पढ़ाना है, उसके नाम पर आप आदिवासी क्षेत्रों से लोगों को उठाकर शिक्षकों की पदस्थापना सीधा शहर में करते हैं, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए । मैं मंत्री जी से ये भी निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा कर्मी का आंदोलन चलता है, उसमें अलग-अलग सरकारें अलग-अलग निर्णय लेती हैं । पंचायती राज विभाग के अंदर शिक्षाकर्मी है, मैदानी इलाकों में आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षाकर्मी का संचालन किसको करना है । शिक्षाकर्मी की पोस्टिंग कहीं जिला पंचायत करती है, कहीं पर बी.ई.ओ. और डी.ई.ओ. कर लेते हैं । शिक्षाकर्मी के देखने वाले दो-दो हो गये हैं । मेंरा आपसे निवेदन है कि शिक्षाकर्मी की पदस्थापना जिला पंचायत और जनपद पंचायत से अगर हो रही है तो टोटल कंट्रोल जिला पंचायत, जनपद का ही होना चाहिये, फिर बी.ई.ओ.और डी.ई.ओ. हस्तक्षेप न करे । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम लोगों ने आपका जो प्रतिवेदन है, उसमें देवगुड़ी में पैसा देने का प्रावधान है । निश्चित रूप से वह अच्छा प्रावधान है । लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें प्रयास यह भी होना चाहिये कि हमारे सतनामी समाज के जो लोग हैं, वह लोग भी जैतखंब बनाने के लिए जगह-जगह मांग करते हैं । देवगुड़ी में हम राशि दे रहे हैं, वैसे जैतखंब बनाने के लिए भी बात होनी चाहिये । मंत्री जी, साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा कि जो सतनामी समाज के पुराने लोग हैं, वह लोग आज भी सरई के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वृक्ष से जैतखंब बनाना चाहते हैं, जिस पर कि प्रतिबंध है । बहुत कम डिपो में जैतखंब बनाने के लिए सरई की लकड़ी मिल पाती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग से यह पत्र जाना चाहिये । जहां-जहां सतनामी समाज के लोग सरई की लकड़ी से जैतखंब बनाना चाहें, उसको उपलबध कराया जाये । माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के मामले में माननीय मंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि किसानों की कर्जमाफी होगी, मैं उनसे पुर्ननिवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो शेडयूल बैंक है, उनकी कर्ज माफी के बारे में कोई बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है । आज भी बहुत सारे ऐसे किसान है, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड एच.डी.एफ.सी. से आई.सी.आई.आई. से और बहुत सारी प्रायवेट बैंकों से बना रखे हैं । वहां कोई निर्देश गया नहीं है । जो शेडयूल्ड स्टेट बैंक है, वह कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं । जो कर्ज माफी की एक बड़ी बात है । वह तभी सही हो पायेगी, जब हमारे सहकारिता के क्षेत्र में किसान है, जिन्होंने ऋण लिया है, किसी तरह से गवर्नमेंट उसके कर्ज को माफी करे, सहकारी बैंकों के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि कर्ज माफी का मुददा अपनी जगह है, सहकारी बैंकों ने पिछले तीन महीने से किसानों को किसी भी प्रकार का कर्ज, न वह ट्रेक्टर का कर्ज दे रहे हैं, न गाड़ी के लिए लोन दे रहे हैं, न एग्रीकल्चर एम्प्लीमेंट के लिए लोन दे रहे हैं, किसी भी प्रकार के कर्ज पर उन्होंने साफ मना कर दिया है । मुझे लगता है कि 31 मार्च तक अब सहकारी बैंकों के किसी प्रकार का ऋण किसी किसानों को नहीं देगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी बैंकों में इस बात का निर्णय आना चाहिये कि ऋण माफी अपनी जगह है, लेकिन किसान यदि ट्रेक्टर के लिए या अपने दूसरे उपकरणों के लिए पैसा मांग रहा है, उसको पर्याप्त राशि बैंकों के माध्यम से दी जानी चाहिये । दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी समितियां है, सहकारी समितियां हैं..।

सभापति महोदय :- संक्षेप करें ।

श्री देवव्रत सिंह :- सभापति महोदय, सहकारी समिति के अध्यक्ष लोग हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि सरकार ऋण माफी तो कर रही है, लेकिन सरकारी समिति के जो कर्जमाफी होंगे तो सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति आगे कैसे बनेगी ? बैंकों की स्थिति भविष्य में क्या रहेगी ? अगला हमको कर्ज खरीफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ? आर.बी.आई. से लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ? बहुत सारी बातें हैं, मैं चाहूंगा कि कर्जमाफी के बाद सहकारी समितियों और बैंको की जो स्थिति होने वाली है, उस पर भी अपनी बात कहेंगे । आपने जो समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, शिक्षा विभाग के और सहकारिता विभाग के मांगों का विरोध करते हुये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ तथा इस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ । माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, केन्द्र सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

द्वारा संचालित है । वहां से 175 गांव के लिए 8125 लाख रूपये आबंटित हुआ है । राशि शासन से अप्राप्त है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बहुत सी राशि रोका गया है, जो अनुसूचित जाति के लोगों का संपूर्ण विकास गांव के लिए है । नदी-नाले का है, सफाई की व्यवस्था है, स्कूल है, अन्य है, औषधालय भवन है, छात्रावास है, इनके लिए ध्यान देना आवश्यक है । हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, छात्रावास एवं आश्रमों के लिए लगभग 800 करोड़ रूपये की राशि एकमुश्त में स्वीकृत की गई थी, वह निर्माणाधीन नहीं है, तकनीकी अभाव में या एस्टीमेट नहीं बनने से या जो कारण होगा, मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह भी कार्य शुरू कराने का कष्ट करें । एक अनुसूचित जाति के लिए दिल्ली से अनाबद्ध राशि आती है उसमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को उनके विकास के लिए राशि दी जाती है। जिसमें पुल, पुलिया, गली, सड़क और सी.सी. गली वगैरह का काम होता है। ये राशि आ चुकी है पर सरकार के द्वारा रोकी गई है। इसे रोकने का क्या कारण है इसे मंत्री जी बतायें तो अच्छा होगा? क्योंकि वहां का विकास रूका हुआ है। अनुसूचित जाति छात्रावास एवं आश्रमों में जहां पर मच्छरदानी की आवश्यकता है वहां मच्छरदानी नहीं है, कई जगह पीने के पानी की समस्या है, कई जगह रसोईया नहीं है। यदि रखे हैं तो उसे बाहर से रखे हैं। यदि इनकी भर्ती की जाए तो अच्छा रहेगा। वहां नाली भी नहीं है। जैसे मुंगेली जिले में सब बन गया पर नाली के अभाव में वहां के छात्रावास में पानी भर जाता है जिससे वहां वर्षाऋतु में कठिनाई होती है। सरकार के द्वारा जो प्रयास योजना चालू की गई है उस योजना में ऐसे आदिवासी बच्चे जिनके मां-बाप उनको पढ़ा नहीं सकते या अनाथ हैं ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए दिल्ली में योजना लागू है। उसमें आई.ए.एस., यू.पी.एस.सी. की पढ़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी सीटों को बढ़ाया जाए और वैसे ही स्तर के संस्थान जिले स्तर पर भी चालू किए जाएं ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का कल्याण हो सके। सरकार की एक योजना है अंत्यावसायी योजना। अंत्यावसायी योजना में एयरहोस्टेस की ट्रेनिंग के लिए सरकार की ओर से 15 लाख रूपये की राशि दी जाती है जिससे हमारे भाई बहन ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के बाद उन्हें एयरहोस्टेस बनाया जाता है। इस योजना को भी बंद कर दिया गया जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में असंतोष है। हमारे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण बनाया गया था, जिसमें 35 करोड़ से 50 करोड़ रूपये और 100 लाख रूपये तक की राशि सभी पार्टी के विधायकों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और किसी एक विधायक को उपाध्यक्ष बनाकर उनकी उपस्थिति में बैठकर राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाता था और उसकी स्वीकृति दी जाती थी। वह भी मीटिंग नहीं हुई है। उसकी मीटिंग की जाए और राशि दी जाए। महंगाई के कारण उसकी राशि भी बढ़ायी जानी आवश्यक है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति आयोग भी बना है उस आयोग में भी इसी तरह से कार्य किया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना है, पिछड़ा वर्ग आयोग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में भी इसी तरह की राशि का प्रावधान तो है पर अभी तक भेजा नहीं गया है। इस तरह से वहां बहुत से प्रकरण लंबित हैं। छात्रवृत्ति में देखें तो चाहे बिलासपुर हो, मुंगेली हो, लोरमी हो, पंडरिया हो बहुत से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। मंत्री जी उसे थोड़ा देख लें ताकि बच्चों को छात्रवृत्ति मिले। इसी प्रकार से एक अंर्तजातीय विवाह होता है। अंतर्जातीय विवाह में उसे समय पर राशि नहीं मिलती, और उनके परिवार में से दो में से एक जो पढ़ा लिखा है उसे नौकरी दी जाती है, पर उनको नौकरी देने की अभी तक बात ही बात चलती रही इसलिए दो में से एक काम तो किया जाए और अंतर्जातीय विवाह वाले को दिया जाए। अस्पृश्यता निवारण -छुआछूत मानने वाले के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगता है पर एक्ट नहीं लगता मात्र टेक्ट हो जाता है तो एक्ट को अच्छी तरह लागू किया जाए ऐसा मैं मानता हूं। जिससे लोगों में नई सरकार के प्रति एक आत्मविश्वास बढ़े। शिक्षा विभाग के प्रति मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार नए ड्रेस देती थी, लड़कियों को साईकिल देती थी और उनकी पढ़ाई के लिए नि:शुल्क पुस्तक देती थी। अब समय के अनुसार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अब यह मार्च से फिर शुरू हो जाता है तो जो ड्रेस लेने वाले हैं उनको पहले से ड्रेस का ऑर्डर हो, क्योंकि आर्डर देते-देते जून-जुलाई आ जाता है और उनको समय पर सामान नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बात को भी ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

सभापति महोदय, बाबा गुरूघासीदास जी का जो जन्म स्थान है वहां हमारी पूर्व की डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने लगभग 100 करोड़ रूपये का जैतखंभ, रोड निर्माण, छाता पहाड़ में रोड से लेकर पचरी और अमृत कुंड तक कार्य किया है। न्यास प्राधिकरण के माध्यम से 01 करोड़ रूपये उनके जन्म स्थान के लिए और खर्च किये हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसे डोंगरगढ़ में रोपवे है और रोपवे से लोग ऊपर मंदिर आते-जाते हैं उसी तरह की व्यवस्था वहां करें तो अच्छा होगा। भंडारपुरी में शासन के द्वारा 5 लाख रूपये दिये गये हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । गिरौदपुरी में ये राशि नगण्य है। लालपुर में भी मुंगेली जिले में 10 लाख रूपये गुरू घासीदास जी के मेले के लिए दिया जाता है, वो राशि नगण्य है उसको दिया जाये। पिछले साल मुंगेली में 5 लाख रूपया दिया गया था, उसे 10 लाख बढ़ाया जाये, ऐसी मैं आशा करता हूं। हाईस्कूल तो इस समय बहुत नगण्य है, 3 से 6 किलोमीटर में प्राथमिक हाईस्कूल खोलना है। प्रायमरी स्कूल भी खोले जाने हैं। इस समय सरकार ने न प्रायमरी स्कूल खोले है, न मीडिल स्कूल खोले हैं। मैंने गोपथपुर में और अन्य गांवों में मांग किया था। मीडिल स्कूल हो, मीडिल स्कूल चाहे भटली हो, चाहे कार्यशाला हो अन्य स्थान में मैंने देवरी में भी मांग किया था। भटगांव में भी मांग किया था, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसमें जरूर ध्यान देंगे। ऐसी मैं आशा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति महोदय, ये बबा, अऊ के झन लईका बाचे हे तेला स्कूल भेजबे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, समधीन बनबे। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, अभी ते हा बोलत रेहेस गा कि मांग करे हव, तोर चिट्ठी तो एको ठन नई देखो हो, बिना मांग करे अईसने गोठया ठस।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति जी, वो जानथे। (हंसी) इतनी ही मेरी मांग है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांगों मांग संख्या 82,33,41,42,49,53,64,66,68,15,83,27,17 का मैं समर्थन करता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण समानता को खत्म कर समावेशी विकास की अवधारणा हमारी सरकार का मूलमंत्र है जिसमें हमारी सरकार की जमीन और जंगल हमारे आदिवासी भाईयों की पहचान है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जमीन और जंगल हमारे आदिवासी भाईयों के अन्नदाता हैं। हमारी सरकार ने आदिवासियों के संरक्षण के लिए, आदिवासियों को बढ़ाने के लिए पहल की है जिसके तहत सरकार ने वनाधिकार पत्र देने का कानून बनाया है। वन भूमि पर अपना हक पाने के लिए लाखों आदिवासियों ने आवेदन दिया था, जो पूर्व की सरकार ने किन्हीं कारणों से अपात्र कर दिया था जिसे हमारी सरकार ने समीक्षा करते हुए पुन: उन्हें पट्टा देने का प्रावधान रखा है। इसी तरह वनवासी ग्रामीणों के आजीविका का बड़ा हिस्सा लघु वनोपज है। जिसे हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण का श्रमिकों को 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपये देने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए एक से अनेक योजना लाई है जिसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जो पूर्व की सरकार ने नहीं किया वो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने की है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूर्व की सरकार ने लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार और उनके अधिकारों का हनन किया। वर्तमान सरकार ने आदिवासी भाईयों एस.टी., एस.सी, ओ.बी.सी की चिंता की है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक तरफ आप देख लीजिए सदन में 28 कांग्रेस के सदस्य एक तरफ हैं, दूसरी तरफ दो हैं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में कहने वाली बात नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां का मुख्य सचिव आदिवासी वर्ग से लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही आदिवासियों की चिंता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में उन्होंने घोषणा किया है कि जो प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, आदिवासी वर्ग से होगा। ये आदिवासी की चिंता की है। पूर्व की सरकार ने लगातार आदिवासियों के साथ छला गया है, धोखा दिया गया है। पंचायती राज के अधिकारों का हनन किया गया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। माननीय सदस्य बृहस्पत जी अभी कह रहे थे, विस्तार रूप से बताये हैं मैं नये सदस्य हूं पर कम समय में अपनी बातों को कहना चाह रहा हूं । हमारी सरकार ने आदिवासियों की चिंता की है। मेरे कोरिया जिले में भरतपुर विधानसभा वनांचल क्षेत्र है जहां आदिवासी बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। पर पूर्व की सरकार ने वहां के रहने वाले छात्र-छात्राओं की चिंता नहीं की। आज भी देखेंगे कि उनका जातिप्रमाण पत्र बन पा रहा है। उसका एक ही कारण है कि वर्ष 1938-39 के रिकॉर्ड में उनकी कुछ जाति है और वर्ष 1954-55 के रिकॉर्ड में कुछ है, जिसके कारण वहां के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं। शासन-प्रशासन से अन्य उनको जो लाभ होने वाला था, उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसे जनजाति वर्ग के लोग शिक्षा से वंचित न हो, उसका सीधा-सीधा लाभ मिले। जिस तरह से पूर्व की सरकार ने आदिवासियों को छला है, वर्तमान सरकार हमारे आदिवासी भाईयों के साथ न्याय हो और वहां के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस पर संज्ञान लें। पूर्व की सरकार ने आदिवासियों के साथ छलावा किया। वर्ष 2014-2015 में कूट रचना के तहत जो हमारा ट्रायबल विभाग है, उसको एजुकेशन विभाग में मर्ज किया गया था। इसको लेकर हमारे समाज ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगायी थी। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त आदेश के संविधान के अनुच्छेद 309 एवं 74 वें संशोधन अधिनियम 1942 का उल्लंघन हुआ है इसको पुन: ट्रायबल विभाग में वापस किया जाये। क्योंकि ट्रायबल विभाग मध्यप्रदेश सरकार में, जो शक्तियां हमें मिली थी, जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया था। आज वह फिर से वापस आये। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। क्योंकि लगातार आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से पूर्व की सरकार द्वारा छला गया था। वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन है और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने और हमारी सरकार ने चाहे हर वर्ग में आदिवासियों की चिंता की है। चाहे वन अधिकार का पट्टा हो, चाहे किसी भी विशेष अधिकार की बात हो, कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के लिए चिंता की है। मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आज माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या, 82, 33, 41,42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27 एवं 17 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग और विभाग से प्रारंभ करता हूँ। माननीय मंत्री जी बैठिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय चंद्राकर जी के बिना आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, यह सही बात है।

सभापति महोदय :- इस सदन में सारे लोग सुरक्षित हैं। माननीय मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान देंगे।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, मैं उपयोजना से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सब प्लान बना है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए बना हुआ है। उसका पूरा पैसा जो संविधान से हमें प्रदत्त है, उस पूरे सेक्टर का जो पैसा है वह हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति बंधुओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए बना हुआ है और इस पैसे का जो उपयोग है जिस तरीके से इस पैसे का उपयोग हो रहा है निश्चित तौर पर मैं कहता है कि इस पैसे के उपयोग से, जिस गति से अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास होना चाहिए, वह नहीं हो सकता। क्योंकि जो अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए उपयोजना के अंतर्गत जो इनका बजट है, वर्ष 2019-20 के जो बजट प्रस्तावित है, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 18 हजार करोड़ का बजट प्रावधानित है। इस योजना का अनुसूचित जाति की शिक्षा में कितना उपयोग हो रहा है? जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनके हॉस्टलो की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। आज हमारे बच्चे किसी भी तरीके से एडजस्ट करके उन शहरों में अपनी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। आप अनुसूचित जाति का हॉस्टल देखिये, आज 4-5 लोग किसी तरीके से पढ़ रहे हैं। यह बजट के पैसे का उपयोग उन लड़कों के हॉस्टल के निर्माण के लिए होना चाहिए, पर यह पता चलता है कि इस पैसे का उपयोग किसी रोड बनाने में कर रहे हैं। रोड भी जरूरी है, लेकिन यहां पर प्राथमिकतायें तय होनी चाहिए कि अनुसूचित जाति के बजट के पैसे का कहां पर उपयोग होना चाहिए। माननीय मंत्री जी आप बताईयेगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में पी.जी. हॉस्टल कितने हैं और उसकी संख्या कितनी है? आपकी कोई कल्पना नहीं है, योजना नहीं है। इस बजट के पैसे का अनुसूचित जाति के बच्चों के हित में कैसे उपयोग कर पायेंगे। इसलिए आपको विचार करना होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के जो पोस्ट ग्रेजूएट विद्यार्थी हैं, उनके लिए व्यवस्थित हॉस्टल की कल्पना करनी पड़ेगी। इस बजट का उपयोग उस दृष्टि से करियेगा। आप घोषणा करियेगा कि आने वाले समय में पी.जी.हॉस्टल की संख्या कितनी होगी और मुझे बताईयेगा कि उसकी संख्या कितनी है? जो छात्र-छात्राओं के पोस्ट मेट्रिक हॉस्टल हैं, उसकी संख्या देखेंगे तो आपने जो आंकडें दिये हुए है एक हॉस्टल की क्षमता औसतन 50 है। ऐसे में जिसमें केवल 50 विद्यार्थी ही रहेंगे और हम 18 हजार करोड़ के बजट का उपयोग उनकी शिक्षा के लिए नहीं कर पा रहे हैं, उनके हॉस्टलों की संख्या नहीं बढ़ा सक रहे हैं, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस अनुसूचित जाति के बजट के पैसे का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कैसा, किसलिये उपयोग होना चाहिए ? अब शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि जो आई.ए.एस. बनना चाहते हैं, पी.एस.सी. की तैयार करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए उन्होंने दिल्ली में रहने का बनाकर तैयारी करने के लिए अवसर दे दिये। अब हमारी कल्पना क्या है, क्या हम पूरे प्रदेश में अपने विद्यार्थियों को हॉस्टर बना करके कर सकते हैं ? हॉस्टलों के रखरखाव का तो भगवान ही मालिक है। किसी हॉस्टल में एक बार जरूर जाईयेगा। एस.सी./एस.टी. के हॉस्टल में जाकर के देखियेगा कि वहां की स्थिति, व्यवस्था कैसी है और हम उपयोजना के इतने भारी-भरकम बजट का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं, यह आपको देखने को मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अनुसूचित जाति की आर्थिक उन्नति के लिए, सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं। उनको सक्षम बनाने के लिए कौन सी एजेन्सी है, अंत्यावसायी निगम है। आप अंत्यावसायी निगम को पूरे प्रदेश में कितना बजट देते हैं ? क्या एक हजार करोड़, दो हजार करोड़ है ? कितने करोड़ का बजट है जो अंत्यावसायी निगम को जाता है ताकि हमारे प्रदेश के लड़के वहां से लोन ले करके अपने छोटे-मोटे धंधे कर सकें, क्या ऐसी कल्पना है ? आर्थिक सक्षमता तो वहीं से आयेगी। वहां पर छोटी-छोटी चीजों के लिए, मुर्गीपालन के लिए, छोटे से व्यवसाय के लिए मिलते हैं, क्या इससे आर्थिक उन्नति होगी। एक जीप लेने से, एक आटो लेने से, अनुसूचित जाति का जिसका इतना भारी-भरकम उपयोजना के अंदर बजट है, क्या आप उससे भला कर पायेंगे ? माननीय मंत्री जी आप कल्पना करियेगा कि इस पैसे का कैसे उपयोग हो रहा है ? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में आपकी क्या कल्पना है ? दूसरा आयोग बनाने का है, आप अनुसूचित जाति के आयोग, जनजाति का आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़े वर्ग का आयोग बनाने की जो कल्पना कर रहे हैं तो इसका कितना बजट है ? यह ऐसा आयोग है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, अल्संख्यक के हितों का संरक्षण करने वाला आयोग है । यह आयोग इतनी बड़ी सोच के साथ काम करता है। उसके लिये बजट का कितना प्रावधान है ? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इससे ज्यादा नहीं है तो कैसे संरक्षण होगा ? हम अपने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये, उनका शैक्षणिक उत्थान करने के लिये, उनका आर्थिक उत्थान करने के लिये हमें ठोस विचार करने की जरूरत है । माननीय मंत्री जी, आप तो डॉक्टर आदमी हैं, आप देखियेगा । आप उस पर विचार करियेगा, उसका डॉयग्नोसिस करियेगा तभी स्थिति में सुधार आयेगा ।

श्री दीपक बैज :- बांधी भैया आप भी तो डॉक्टर हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसीलिये तो मैं उसी ढंग से बोल रहा हूं भैया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- हां, डॉक्टर ही समझ सकता है ।

सभापति महोदय :- डॉक्टर साहब थोड़ा संक्षेप कर लें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, आपने गिरौधपुरी में 5 करोड़ का प्रावधान किया । अनुसूचित जाति और जनजाति के धार्मिक और आस्था के स्थल पर 5-5 करोड़ का प्रावधान किया । माननीय मंत्री जी, इस बजट को बढ़ाना पड़ेगा । पूरे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा जी एकमात्र संत हैं और हम सब लोगों के अराध्य हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिये जिस प्रकार से बजट रखा, उसको आप भी करियेगा, ऐसी आपसे उम्मीद है । दूसरा कि अनुसूचित जाति के लिये अभी माननीय शिव डहरिया जी बात कर रहे थे । ठीक है कि निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- भैया, हम लोग तो भण्डारपुरी को भी जोड़े हैं । आप लोग तो उसको भी छोड़ दिये थे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि आरक्षण है और आरक्षण पर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गयी है । आपकी पूरी सोच की सरकार आ गयी है । अनुसूचित जाति के लोग बहुत अच्छे हैं और अब आपसे आग्रह करते हैं कि अनुसूचित जाति के हितों के....।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब आप 15 साल में 15 करोड़ दिये, हम तो एक ही साल में 15 करोड़ दे रहे हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं तो आरक्षण की बात कर रहा हूं । आरक्षण में 16 परसेंट दिये तो आप पहल करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री दीपक बैज :- श्री शिव भैया, 15 साल में 15 करोड़ । 15 साल में 15 विधायक ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूं और गुरू जी से भी आग्रह करता हूं कि आपको गुरू घासीदास बाबा की कृपा से एक अच्छा जिम्मेदारी का पद मिला हुआ है । सरकार के साथ काम करने का एक अच्छा अवसर मिला है । अब इस दृष्टि से आप अनुसूचित जाति का, सतनामी समाज के आरक्षण के लिये अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकें निश्चित तौर पर आपको उसका भी श्रेय मिलेगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तें हा काटे के टाईम दस्तखत काबर करे रहे ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- दस्तखत ला मोला बता देबे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब अनुसूचित जाति के आरक्षण की कटौती हुई तो आप दस्तखत किये थे । किये थे कि नहीं किये थे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ये करें नहीं तो इस बार इन्हें सतनामी समाज खुद बता देगा ।

श्री अमरजीत भगत :- श्री डहरिया जी जो बोल रहे हैं तो क्या आप आरक्षण घटाने वाले में दस्तखत किये थे ? उसमें क्या सच्चाई है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वह घटाया-बढ़ाया जाता है, उसकी फाईल है । एक-बार बता देंगे कि कितना झूठ है, कितना सही है, कितना अफवाह है ? अफवाह करके ही तो इधर आये हैं । हिम्मत है तो उसको अभी काट सकते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दस्तखत है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कल लाकर दिखा भी देंगे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । ड्रॉपआऊट की निश्चित तौर पर संख्या बढ़ी है परंतु बालिकाओं का ड्रॉपआऊट निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि साईकिल योजना के अंतर्गत उनको प्रावधान हुआ था । माननीय मंत्री जी, आपके स्कूलों में अबकी बार जो एक लाख बच्चों को जो साईकिल नहीं मिली है, कृपया करके उसके लिये पूरे प्रयास के साथ करें ताकि उनके ड्रॉपआऊट की संख्या 1 लाख बच्चियों का, उनकी शिक्षा का, भविष्य का सवाल है जो आपके हाथों में सुरक्षित है और कृपया उसका निर्णय करियेगा । दूसरा है कि स्कूल के विकास के लिये एक बहुत बढ़िया स्कीम चलती है शाला विकास एवं प्रबंधन समिति । यह बहुत बढ़िया समिति है । यह बहुत अच्छे से दायित्व निभा सकती है । जहां कोई कमियां हो सकती हैं वहां जनभागीदारी से पालकों के माध्यम से कर सकते हैं । सभापति महोदय, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है लेकिन जनभागीदारी समिति मजबूत होने के कारण वहां की संस्थाएं बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही हैं । इनमें से केरल एक बहुत बढ़िया राज्य है जो जनभागीदारी को मजबूत करके चलाते हैं । मंत्री जी, क्या उन स्कूलों की जनभागीदारी के प्रति आपके विचार अच्छे हों ताकि उन्हें मजबूत किया जा सके । कहने को तो बहुत कुछ है, माननीय अजय जी ने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कह दिया है । मैं तो केवल दूसरे तरीके से बात रख रहा हूं । दूसरी छोटी छोटी बात है कि आपकी सामाग्री और फर्नीचर एक कमरे में डम्प पड़ा हुआ है । कृपया उसको हटाएं ताकि शिक्षक वहां पर अपनी व्यवस्था बना सकें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, वे कह रहे हैं कि 15 साल से उन्होंने जो कुड़ा करकट इकट्ठा करके रखा है उसको हटा दो ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, बेजा कब्जा हटाने के लिए भी आप निर्देश दीजिए । बीईओ, एसडीएम को, तहसीलदार को कई बार सूचना देता है, कई बार अपनी बात रखता है लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों का बेजा कब्जा नहीं हट रहा है । सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांग रख देता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हूं । हिर्री और इटवा में एक हाईस्कूल है उसको हायर सेकेंडरी करने का अनुरोध है । सहकारिता में धान खरीदी के लिए कौंआताल बरेली में, परसाही, भटचौरा में उपकेन्द्र खोल दें । इतना कहकर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा ।

डॉ. प्रीतम राम (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी द्वारा प्रस्तुत 2019-20 की सभी अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं । सभापति महोदय, इस बजट में शिक्षा विभाग की मांग संख्या 27 के अंतर्गत 13,502 करोड़, 60 लाख, 15 हजार का प्रावधान किया गया है ।निश्चित रूप से इतना बजट योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए और सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए पर्याप्त है और इससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं राज्य शासन द्वादा 1 लाख, 76 हजार बालिकाओं को सायकल प्रदान किए जाने के लिए जो बजट राशि 64.50 करोड़ प्रस्तावित की गई है, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । इससे बालिकाओं में स्कूल के प्रति लगाव होगा, आकर्षण होगा, जिससे कि बालिका शिक्षा में सुधार होगा । मैं कुछ बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अधीक्षकों की नियुक्ति, पहले उसी वर्ग से हुआ करती थी, जिससे छात्र, छात्राएं बहुत ही सहज रूप से रहकर विद्या अध्ययन करते थे । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पूर्व की भांति उसी तरह से हॉस्टल अधीक्षक की नियुक्ति करें। हमारे विधान सभा क्षेत्र सहित सरगुजा संभाग में नगेशिया किसान जाति का बहुत दिनों से लंबित प्रकरण है। समस्याएं हैं। उन्हें आदिवासियों का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए वे लोग दर-दर भटक रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इस दिशा में भी पहल करें। इसी तरह से अति पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा कोड़ाको जनजाति हमारे सरगुजा संभाग सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुतायत में पाये जाते हैं। उनके बीच भी जाति प्रमाण-पत्र एवं शासकीय योजनाओं में बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं। भ्रम की स्थितियां हैं। शासकीय योजनाओं में लाभ लेने के लिए समस्याएं हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस दिशा में भी सार्थक पहल करें और इन समस्याओं को निराकरण करें। सभापति महोदय, सरगुजा एवं बस्तर विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी इस व्यवस्था को और स्थानीय समस्याओं को देखते हुए बहुत अच्छा पहल किये हैं कि क्षेत्रीय विधायक को ही अध्यक्ष बनाया जायेगा, जिससे कि वे स्थानीय स्तर पर क्या समस्या है, उस हिसाब से उस क्षेत्र का सहयोग कर सकेंगे और काम कर सकेंगे। बहुत सारी बातें हुईं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकासखंड लखनपुर के प्राथमिक शाला जिवलिया, जिसमें प्राथमिक शाला के भवन ही नहीं हैं। इसी तरह से लखनपुर के अरगोती, घटोनपारा, तुनगुरी और लुण्ड्रा विकासखण्ड के कटोरीपानी चितरपुर, लुण्ड्रा विकासखंड के ही प्राथमिक शाला मयूरघोटरा, प्राथमिक शाला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दमाकूड़ इन सब प्राथमिक शालाओं में शाला भवन नहीं हैं। बच्चे अन्यत्र कहीं बैठकर पढ़ते हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इन स्कूलों में भवन का निर्माण शीघ्र करवाने की कृपा करें। इसी तरह से मिडिल स्कूल भी ऐसे हैं जहां पर भवनविहीन हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उसे भी प्रस्तावित करके भवन अतिशीघ्र बनवायें। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आठ ऐसे हाई स्कूल हैं, जिन्हें हायर सेकण्डरी स्कूल के लिए उन्नयन के लिए मैंने आवेदन किया है। जिसमें विकासखण्ड लुण्ड्रा के हाई स्कूल गंगोली को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन। इसी तरह से डुमरडी, अमड़ी, कोरिमा, उरदरा, असकला, करिया, अमगसी ये सब हाई स्कूल हैं, जिन्हें हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इन सब हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कष्ट करें। इसी तरह से कई ऐसे आश्रम, हॉस्टल हैं जहां पर सौरचलित बोरवेल की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन आदिवासी अंचलों में इस तरह के जो मूलभूत और बुनियादी आवश्यकताएं हैं, इस ओर जरूर ध्यान देंगे। सौर ऊर्जा बोरवेल की आवश्यकता जहां है, वह है प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास दुन्दु, लुण्ड्रा, लमगांव, बरगीडीह। इसी तरह से प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास करोली, उदारी बरगीडीह, ससोली, कुदर, पटवाही, चितरपुर, पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम सिलसिला, इन सब जगहों पर बुनियादी चीजों की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां सौर उर्जा बोरवेल की व्यवस्था करायें।

सभापति महोदय :- समाप्त करें।

डॉ0 प्रीतम राम :- सभापति महोदय, बात तो बहुत कुछ है। आपने बोलने के लिए अवसर दिया, धन्यवाद।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

सभा के समय में वृद्धि की घोषणा

आज की कार्यसूची के पद क्रमांक- 5 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है। श्री भीमा मंडावी।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री भीमा मण्डवी (दंतेवाड़ा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या- 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27 एवं 17 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हम आदिवासियों के लिए यह जो विभाग है, वह अति महत्वपूर्ण विभाग है। पिछली सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए, इन वर्गों के लिए आगे बढाने के लिए बजट दिया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वर्ष माननीय मंत्री जी के द्वारा बजट थोड़ा सा कम किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो प्राथमिक शालाएं होती हैं, जहां हमारे छोटे-छोटे बच्चें पढ़ते हैं। ठीक है, पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक तो पढ़ने चले जाते हैं, इस बार आपने बहुत अच्छा किया कि बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया है। पांचवी कक्षा की पढाई में जो बच्चें पास होते या पास नहीं होते हैं..।

श्री दीपक बैज :- एक तो आपने कहा कि बढ़िया काम किया, बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया। पिछली सरकार ने तो किया नहीं, 3 हजार स्कूल बंद कर दिए।

श्री भीमा मण्डावी :- इसलिए हम लोग इधर हैं। आप उसको और सुधारे नहीं तो आप इधर आने वाले हैं क्या?

सभापति महोदय :- दीपक जी, आपका नाम बोलने वाली सूची में है।

श्री भीमा मण्डावी :- बच्चें बोर्ड परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते है। जैसे मान लीजिये कि पांचवी कक्षा में 100 बच्चें पास होते हैं तो मिडिल स्कूल मात्र 50 या 70 बच्चें ही स्कूल जाते हैं। क्या कारण है कि पूरे बच्चें मिडिल स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप इसकी भी जरा जांच करवा दीजियेगा। आप इसके लिए भी बजट में कुछ न कुछ उपलब्ध करा दीजयेगा। वैसे ही बच्चें मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा में पहुंचते है, यदि उसमें 50 बच्चें पास होते हैं तो उसमें से मात्र 30 बच्चें ही 9वीं कक्षा में पहुंचते हैं। क्या कारण है कि ये बच्चें हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे ही 10वीं कक्षा से 12 वीं कक्षा तक, फिर 12वीं के बाद कालेज में कम बच्चें पहुंच पाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो आगे कक्षा में पहुंचने तक गेपिंग होता है, वह कौन सा गड्ढा है , जिसमें बच्चें समा जाते हैं। आप उस गड्ढे को पाटने का प्रयास कीजियेगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बजट में कमी होने के कारण ये बच्चें गेप हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, या वे गलत रास्ते पर, विशेषकर हमारे बच्चें चले जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो गेपिंग है, इसकी भरपाई करे, इसके लिए कहीं से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बजट लाये। मुझे लगता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में खर्च करने के लिए आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बिलकुल दमदारी के साथ मांगिये। हम आपके साथ खड़े हैं।

श्री दीपक बैज :- भीमा जी, आपके साथ खड़े हैं, बोलने से उधर नेता जी सुन रहे हैं।

श्री भीमा मण्डावी :- दीपक भैय्या, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पेपर में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत दु:ख लगा। माननीय मंत्री जी ने ओ0एस0डी0 मांगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको निरस्त कर दिया। माननीय मंत्री जी के लिए दुखी की बात नहीं है, हम सभी आदिवासियों के लिए है। है या नहीं, आप बताईये ?

श्री दीपक बैज :- मण्डावी जी, क्या है कि विभाग ही वैसा है। कभी साली के चक्कर में...।

श्री भीमा मण्डावी :- हम लोगों विभाग है न, हमारे मंत्री हैं न। हमारे मंत्री मांगते हैं तो देना चाहिए। आप जरा मुख्यमंत्री जी को बोलिये न।

श्री दीपक बैज :- पहले वाले मंत्री साली के चक्कर में रहे, वह वैसा ही विभाग है। थोड़ा सा गड़बड़ है।

श्री भीमा मण्डावी :- मंत्री तो सही मांग रहे थे न ? पहले वाले तो गलत था, पह तरे आप भी मान रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दीपक जी, साली का चक्कर तो समझ में आता है, लेकिन बीवी तो अपनी है। (हंसी)

श्री भीमा मण्डावी :- उसको तो दें।

श्री दीपक बैज :- इसीलिए तो वह फायदे में रहें। वह साली वाला लफड़ा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दीपक जी, साली का चक्कर तो समझ में आता है, पर बीबी तो अपनी ही है न ।

श्री दीपक बैज :- इसीलिए तो वे फायदे में रहे न, उसमें साली वाला लफड़ा है ।

श्री भीमा मण्डावी :- सभापति महोदय, हमारे जो बच्चे छात्रावासों में रहते हैं, उनके पिता और माता बहुत उम्मीद के साथ भेजते हैं कि मेरा बच्चा छात्रावास में रहकर पढ़ाई करेगा, डाक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि छात्रावासों के लिए आपको बजट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने छात्रावासों में पर्याप्त बजट नहीं दिया है, पर्याप्त बजट नहीं देने की वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी । दूसरा, उन छात्रावासों में जो अधीक्षक हैं, वे बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं या मोबाईल रखते हैं, मोबाईल रखने के बाद हमारे हाय, हलो के चक्कर में आ जाते हैं, कृपया इस ओर ध्यान दीजिएगा ।

श्री दीपक बैज :- भीमा जी, मोबाईल भी तो आप ही लोग बांट रहे थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भीमा मण्डावी :- आपने तो अभी बंद किया न । ये हमारे आदिवासी बच्चों के लिए बजट बढ़ाने की बात है इसमें मुझे लगता है कि बजट बहुत ही कम कर दिया गया है । मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मंत्री जी, बहुत ही समझदार, पढ़े-लिखे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मण्डावी जी, दीपक जी आपको बार-बार क्यों टोक रहे हैं ?

श्री भीमा मण्डावी :- दीपक जी के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, मेरे यहां एजुकेशन हब है, बहुत सारा विकास हुआ है । इसलिए दीपक जी को डर लग रहा है कि कहीं मंत्री जी फिर से मेरी ओर ही ध्यान न दें ।

श्री दीपक बैज :- 12 साल बाद टाटा द्वारा ली गई जमीन वापस हो गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बताइए ।

श्री भीमा मण्डावी :- आप चुप रहिए न भैया, आपके बच्चे भी हमारे यहां पढ़ते हैं । सभापति महोदय, विशेषकर जो बालिकाएं हैं, इसके पूर्व बालिकाएं स्कूल नहीं जाती थीं, हमारे गांव के आदिवासी लोग बोलते थे कि बच्चियों को पढ़ा-लिखाकर क्या करेंगे, वे तो दूसरे के घर जाने वाली हैं । ये भावना था, लेकिन पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने विशेष ध्यान दिया और बालिकाओं के लिए सायकल की व्यवस्था की । आज मुझे लगता है कि उनको सायकल मिलने से हमारी बच्चियां स्कूलों में शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ने-लिखने में बहुत ज्यादा आगे निकल रही हैं । मुझे लगता है कि बालिका की शिक्षा में भी आपने बजट में कम प्रावधान किये हैं, इस ओर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, उतना ही बजट में कटौती की गई है, जितना कमीशन में जाता था, बाकी जितना सायकल खरीदी में जाता था, उतना तो है ।

श्री दीपक बैज :- आप मंत्री जी को धन्यवाद दे दो कि वे सायकल को बंद नहीं कर रहे हैं ।

श्री भीमा मण्डावी :- सभापति महोदय, ये दोनों मंत्री जी को गलत रास्ते पर ले जाएंगे, आप इनको रोकिएगा । मंत्री जी बहुत अच्छे रास्ते पर जाने वाले हैं, लेकिन आप लोग मत भटकाईएगा ।

सभापति महोदय, यही बालिकाएं आगे चलकर हमारे आदिवासी समाज को, हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में समाज सुधार का बहुत अच्छा काम करेंगी । इससे पहले महिलाओं में भ्रम था कि पढ़-लिखकर क्या करेंगी और ये दूसरे घर जाने वाली हैं, हम तो घर के अंदर ही रहने वाले हैं, खाना बनाने वाली हैं, ऐसी सोच थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने, आदरणीय डा. रमन सिंह जी ने इन बालिकाओं को घर से बाहर तक निकालकर स्कूल तक भेजने का काम किया है, मुझे लगता है कि आप इसको और जोर देकर हमारी बच्चियों को पढ़ाने का काम करेंगे और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी लेंगे । मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर एकलव्य कन्या शिक्षक परिसर था, पर पिछले साल उसको गीदम में नेशनल हाईवे में लाया गया, वह स्कूल वहां रहने से अति संवेदनशील क्षेत्र के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, वहां की बच्चियां ज्यादा प्रोत्साहित होकर एकलव्य कन्या शिक्षक परिसर स्कूल में आना शुरू की थीं, उस क्षेत्र में कटे कल्याण का जो ब्लॉक है, जो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, वहां की शिक्षा की गुणवत्ता में जो कमी नजर आती थी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस एकलव्य कन्या शिक्षक परिसर को फिर से कटे कल्याण में ले जाएं ।

श्री दीपक बैज :- ये गलत हुआ कि नहीं बताईए, आपके साथ गलत हुआ कि नहीं, बताईए ।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें, दीपक जी, बैठ जाईए ।

श्री दीपक बैज :- आपके साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, यह बताईये ?

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें ।

श्री भीमा मण्डावी :- मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप उसे कटेकल्याण ब्लॉक में फिर से ले जायें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसा-ऐसा चलता है, उसके लिए भी सुझाव चाहिये । सायकल बड़ा-बड़ा खरीदी हुआ है ।

श्री भीमा मण्डावी :- सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल समलूर, गीदम विकासखंड को, हायर सेकण्डरी करें, शासकीय हाई स्कूल दोरनापाल को हायर सेकेण्डरी में करने का कष्ट करें । आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री अमरजीत भगत ।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, भीमा मण्डावी जी उप नेता प्रतिपक्ष हैं, बस्तर का पूरा बात भी नहीं रख पा रहे हैं ।

श्री भीमा मण्डावी :- आप जिस दिन बोलने रखेंगे, उस दिन पूरा रखूंगा । आप बीच में मत टोकिये ।

सभापति महोदय :- बस्तर का प्रतिनिधित्व आप भी करते हैं । आपका नाम भी है, जो बच गया है, आप रख देना, उसमें क्या है ।

श्री केशव चन्द्रा :- अमरजीत भईया । 15 साल का आप खाता बही मत निकालना । आप अपनी सरकार का विजन बताना ।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग तो हरियाणा का सांड लगते हो, थोड़ा सा रूको ।

श्री दीपक बैज :- हम लोग वर्ष 2003 तक का इधर नहीं छोड़ रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- 2003 और 15 साल सुनते-सुनते कान पक गया है । सोच रहे हैं कि आप लोग कुछ आगे की बात करें ।

श्री भीमा मण्डावी :- अमरजीत जी बोल रहे थे कि इस बार दारू वाला मंत्री नहीं आया है, इस बार मेरा ही है बोल रहे थे । आपके बारे में बुराई करते हैं, देख लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- शाम को मिल लेना ।

श्री अमरजीत भगत सीतापुर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री जी के विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा करने के लिए मांग संखया 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 68, 15, 83, 27, 17, के संबंध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, वास्तव में अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के माननीय मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, के ऊपर जो जवाबदारी है, वह बहुत महती जवाबदारी है और मैं डॉ. प्रेमसाय सिंह को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ । इस प्रदेश के लगभग 40 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके दिशा और दशा सुधारने के लिए, इनको जिम्मेदारी मिला है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डहरिया जी, ये और उनको कम कर दिये । 44 को 40 प्रतिशत कर दिये ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- 40 प्रतिशत बोल रहे हैं बताओ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- मंत्री बनायेंगे तो एक्जेक्ट देगा ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- चन्द्राकर जी नहीं है, फिर आपका लय कैसे बनेगा ?

श्री अमरजीत भगत :- लगभग 44 प्रतिशत लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संख्या और भी ज्यादा है, उसमें अल्पसंख्यक नहीं जुड़ा है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह जी, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, सड़क, पुल-पुलिया, इन क्षेत्रों के लिए, काम करने का जो मौका मिला है,
उसके लिए मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, आदिम जाति कल्याण मंत्री जी इन्होंने बजट में जो प्रावधान किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ । माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों के विकास करने के लिए, आजादी के बाद से इतने काम हुये, जहां आवागमन की सुविधा नहीं थी, जहां पर लोगों के लिए जब बीमार पड़ते थे, अस्पताल जाने के लिए सड़कें नहीं थी, जहां पर आवागमन के रास्ते बंद थे, उन क्षेत्रों के लिए काम करने का मौका मिला है । सभापति महोदय, इस प्रदेश में वह काम पिछली सरकार ने करके दिखाया, जिसकी हम भविष्य में कल्पना भी नहीं किये थे । माननीय सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ तो आदिवासी जो जंगल, पहाड़ में रहते हैं वहां स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ, 60-70 सालों में जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उसको ध्वस्त करने में पिछली

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन आदिवासी अंचलों के बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? जिनके लिए स्कूल खोला गया था, जिनके लिए आश्रम खोला गया था, जिसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी उस आदिवासी विभाग का एक अलग सेटअप था। आदिवासियों का भला करने के बजाय पिछली सरकार ने उनका जितना नुकसान करते बना वह किया। प्रदेश की विधानसभा में यूं ही ऐसा नक्शा नहीं बना है। आज अगर इनकी संख्या सिमटकर सीमित रह गई है तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है।

श्री दीपक बैज :- अमरजीत भैय्या, उसके बाद भी पेट नहीं भरा और जमीन छीनना चालू कर दिये थे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, कार्यकाल की अंतिम सत्रावधि में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अहंकार भरे शब्दों में कहा था कि इस बार जब चुनाव होगा तो कांग्रेस सिमटकर यहां तक रह जायेगी। लेकिन ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। वनांचल, आदिवासी, ग्रामीण क्षेत्र के 3000 स्कूल बंद कर दिये। आदिवासी विभाग का सेटअप अलग था, शिक्षा विभाग का सेटअप अलग था। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई थी कि ग्रामीण अंचल के स्कूल चल सकें और वहां जो शिक्षक पदस्थ होंगे वह उन क्षेत्रों में रहेंगे। जब से पिछली सरकार ने दोनों को संविलियन किया वहां पर ज्वाईनिंग हुई कि नहीं लेकिन ट्रांसफर के लिए जुगत लगाना शुरू। आदिवासी अंचल के तीन हजार स्कूल बंद हो गये। हम लोग चिल्लाते रह गये, पिछली सरकार ने नहीं सुना।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसी का तो [XX] लगा भैय्या।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, आपने शिक्षाकर्मियों का नियमितीकरण जरूर किया, उनकी कुछ मांग को जरूर सुना उसे हम नकार नहीं रहे हैं लेकिन आपने उन शिक्षाकर्मियों की क्या हालत कर दी थी? ऐसा लग रहा था कि यह हमारे देश और प्रदेश के नहीं हैं, कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं। उन्हें आपने दौड़ा-दौड़ाकर मारा। बच्चों को गोदी में लेकर आंदोलन करते रहे, दूध पीते बच्चों को लेकर जेल गये, आपने उन महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जिनके गोद में बच्चे थे, उन शिक्षाकर्मियों को नहीं छोड़ा जिनके दम पर आपने पिछली बार सरकार बनाई थी। कई शिक्षाकर्मी आंदोलन करते दम तोड़ दिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, यह तो [XX] नहीं, महा[XX] की श्रेणी में आयेगा।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, अगर आप किसी को परेशान करेंगे, किसी को दबायेंगे तो उसे वह भूलता नहीं है। उन लोगों ने उसी का बदला लिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :-शिक्षाकर्मियों के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, जो भी संविलियन किया पिछली सरकार ने किया। आपने घोषणा दो साल वालों के लिए किया है कर दीजिए, उनकी वेतन विसंगति को दूर कर दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, तनख्वाह तो हम दे रहे हैं। चन्द्रा जी, हमने किसी के ऊपर लाठी नहीं बरसाया है। हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, माननीय चन्द्राकर जी इसीलिए उधर चले गये हैं, चन्द्रा साहब को बोलकर गये हैं कि फार्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत बोल दिया करना।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और डॉ. प्रेमसाय जी इस विभाग के मंत्री को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने उन बच्चों की शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की, उनको सुविधा मुहैया कराया। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है। आदिवासी वर्ग कैसे भूल सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलिया, आदिवासी उपयोजना में जो भारत सरकार से आबंटन आता था उसको बंद कर दिया गया। उन क्षेत्रों का विकास कौन करेगा, जहां मलेरिया से, डायरिया से, उपचार के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। उन क्षेत्रों के विकास के लिए जो भारत सरकार से पैसा आता था उसको बंद कर दिया गया। आप उनके लिए आवाज उठायेंगे, उनके लिए घड़ियाली आंसू बहायेंगे उससे कुछ होना नहीं है। मैं भारत सरकार से, उनको सदबुद्धि दे और आदिवासी उपयोजना में, आदिवासी क्षेत्रों में जो आबंटन मिलता था उसको जारी करें। वन भूमि का पट्टा आदिवासी क्षेत्र में बांटने की जवाबदारी, उनके जो नोडल विभाग हैं, जो आदिम जाति कल्याण विभाग है। इस प्रदेश में जहां बहुतायत में वन क्षेत्र में आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं, किसान वहां पर खेत, खलिहान, घर बना करके निवासरत हैं, उनके लिए केन्द्रीय वन अधिनियम 2006 के तहत 13 दिसंबर 2005 तक जो लोग भी काबिज थे उनको अधिकार पत्र दिया जाना है। आवेदन बुलाया गया, आवेदन भरने के बाद बड़े पैमाने पर आवेदन निरस्त किया गया। जिनको भूमि अधिकार पत्र मिलना था, उनको नहीं दिया गया। कभी वन विभाग का चक्कर, कभी राजस्व विभाग का चक्कर, कभी आदिम जाति कल्याण विभाग का चक्कर, कभी सब डिवीजन का चक्कर, कभी कलेक्ट्रेट का चक्कर पिछली सरकार ने लोगों को परेशान किया। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल को और डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने पूरे प्रदेश के कलेक्टरों का बुलाया और बैठक में निर्देश दिया कि पिछली सरकार ने जितने भी आवेदन निरस्त किये हैं, उसकी आप समीक्षा करो और जो भी उसके लिए अर्हता रखते हैं, उन सबको वन अधिकार पत्र देने की कार्यवाही करो। ये होती है, जनता की सेवा, ये होती है जनता के प्रति प्रेम, ये होती है जनता के प्रति समर्पण। केवल फोटो कटाऊट और होर्डिंग लगा देने से नहीं होता है। पिछली सरकार में और क्या हुआ? आदिवासियों की जमीनों को छिनने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का प्रयास हुआ, आदिवासियों की जमीन को छिन करके उद्योगपतियों को देने को, उदघृत करने का खेल चल रहा था। हम लोग इस सदन में सरकार को रोकने के लिए बहुत प्रयास किये, सरकार ने एक नहीं मानी। संख्या बल के आधार पर यहां पर प्रस्ताव पारित किया गया कि आदिवासियों की जमीन बिना कलेक्टर के परमिसन के नहीं लिया जा सकता है लेकिन इस सरकार ने किन्तु परंतु लगा करके उनके जमीनों को उद्योगपतियों को देने के लिए रास्ता बनाने का काम किया है। वो स्थगित हुआ, रूका, कब रूका जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जिस क्षेत्र में जाते थे उनका रास्ता रूकने लगा, उनका घेराव होने लगा, निकलने के लिए जब रास्ता नहीं मिलने लगा तब जा करके वही किये जो पहले हम जिस काम के लिए रोक रहे थे । माननीय सभापति महोदय, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में आग लग चुकी थी और पिछली सरकार की असलियत को लोग पहचान लिये थे कि इनके हितैषी कौन हैं और इनका भला चाहने वाले कौन हैं? इसलिए ऐसा नक्शा दिखाये।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास सहकारिता विभाग की भी जिम्मेदारी है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक के माध्यम से लोगों की के.सी.सी. बनाकर के उनको खाद, बीज उपलब्ध कराने का काम आपका विभाग कर रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री जी आपका विभाग ने किसानों का लगभग 61 हजार करोड़ रूपया कर्ज माफी किया है।

सभापति महोदय :- वह सुधार लें, वह 61 हजार करोड़ रूपया नहीं है, वह 6100 हजार करोड़ रूपया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, 6100 हजार करोड़ रूपया कर्ज माफी किया है। मैंने 61 हजार करोड़ रूपया बोल दिया था। चलिए मैं सुधार लेता हूँ और कमर्शियल बैंक मिलाकर के लगभग 10 हजार करोड़ की कर्ज माफी की है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ हमारे साथी उस पार से बोल रहे थे कि किसानों को एन.ओ.सी. नहीं मिल रही है। अभी कर्ज माफी का काम पूरा ही नहीं हुआ है। अभी तो सहकारी बैंकों का हुआ है कमर्शियल बैंकों का काम बचा हुआ है। जब पूरा होगा तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश के किसान और खुशहाल होंगे। उनको मिलने वाली सुविधाओं में और विस्तार होगा। इस प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके धान की कीमत 2500 रूपये क्विंटल भुगतान करने का जो निर्णय लिया गया, वह भी स्वागत योग्य है और इससे यहां के किसान और समृद्ध होंगे जो आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए पिछली सरकार के समय मजबूर थे, उससे उनको निजात मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन का साधन, सड़क, पुल पुलिया भवन सब के लिए आदिवासी विभाग से पैसा आता है उन सभी क्षेत्रों को और विकसित करने की आवश्यकता है और ये सरकार ने उसके लिए जो बजट में मांग की है और पारित करने की कृपा करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या, 82, 33, 41,42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27 एवं 17 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सहकारिता विभाग के मंत्री माननीय डॉ. प्रेमसाय जी जिन्होंने सहकारिता विभाग के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाली दी है इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय कृषि मंत्री जी एवं सभी मंत्रि मण्डल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो पिछली सरकार में हमारे छत्तीगसढ़ के लोग मांग करते रहे, हम लोग सदन में हल्ला बोलते रहे, किसानों की आत्महत्या होती रही, हम लोग समर्थन मूल्य वृद्धि के बारे में चिल्लाते रहे कि 2100 रूपये और 300 रूपये दिया जाये। लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस बार की सरकार, जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, अनुपूरक बजट में खाली किसानों के धान के समर्थन मूल्य और कर्जमाफी के लिए चार दिन तक चर्चा हुई है, चार दिन तक लगातार खाली किसानों के विषय में, किसानों के बारे में सोचने, समझने की चर्चा हुई है। आज भी हमारे विपक्ष के साथी लोग किसानों के नाम की माला जप रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने क्या चमत्कार कर दिया, किसानों को इतना भला कर दिया, आज हमारे विपक्ष के साथी खुद परेशान हैं। सहकारिता विभाग में किसानों की ऋण माफी और समर्थन मूल्य के लिए 10 हजार करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं हमारी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासियों के लिए सोचती है। हमारे देश में आदिवासी वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के बडे-बड़े शहीद लोग हैं, शहीद वीरनारायण सिंह जी, हमारे धर्मगुरू घासीदास जी, सबने मानवता का पाठ पढ़ाया है। यहां की संस्कृति, धर्म, कला, माटी, धरती, जल, जंगल सब यहां के एक इतिहास, संस्कार की तरह हमारा छत्तीसगढ बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की धरती पर वन संपदा, खनिज संपदा है और छत्तीसगढ़ को हम लोग धान का कटोरा कहते हैं, सोनखान से सोना निकालता है और जहां की नदियों से सोना बहता है, ऐसी धरती के हम छत्तीसगढ़ के लोग निवासी हैं। बस्तर में बैलाडीला में पत्थर से लोहा बनता है, जिसका शेयर आज भी हम लोग जापान को देते हैं, ऐसी धरती के हम लोग निवासी हैं। हम लोग धनी हैं। उसके बाद भी हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि बजट में प्रावधान नहीं है, कम पैसा है। छत्तीसगढ़ के लोग धनाढ्य लोग हैं, कोई कमी नहीं है, फिर भी यहां के लोगों को गरीब बना रहे हैं। यहां के अधिकार को छीना जा रहा है। आदिवासी उपयोजना में हमारी परियोजना की राशि है, वहां क्या कर रहे थे ? बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की जो परियोजनायें होती थीं, उसमें क्या रह रहे थे ? हमारे लोगों को खाली उपाध्यक्ष और सदस्य बना दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य वर्ग के हैं, वह वहां के अध्यक्ष बने बैठे थे। हम लोग कुछ मांगने जाते थे तो मिलता भी नहीं था। यह कहां का अधिकार है ? आज हमारी सरकार ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 15989 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 5485 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हम जल, जंगल, जमीन के रहने वाले लोग हैं।

सभापति महोदय :- लालजीत जी, संक्षेप में करते हुए क्षेत्र का कोई विषय हो तो रख लें।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति जी, जल्दी-जल्दी निपटा रहा हूं, थोड़ा धीरज तो धरिये।

सभापति महोदय :- अभी तो आप विषय पर आयें नहीं न।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, वैसे ठीक बोल रहे हैं। अभी फ्लो पकड़ लिये हैं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप लोग जल, जंगल, जमीन, वन अधिकार पट्टा के कानून को छीनते रहे, हमारे आरक्षण को छीनते रहे, हमारी जमीन को बेचते रहे, लेकिन जो यहां विरोध हुआ, आप हमारे अधिकार को छीनते रहे, पांचवीं अनुसूची को समाप्त करने की कोशिश की, यह उसी का नतीजा है कि हमको पूरा समर्थन मिला है। आज ही नहीं, आप लोग 70 साल की बात करते हैं, तब से हमारी कांग्रेस की सरकार ने देश और प्रदेश को बनाया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बी.एड. कालेज, स्कूल, आई.टी.आई., क्रीड़ा परिसर, परियोजना है, वह आज की नहीं है। आज जो नदी नाले आदिवासी उपयोजना के तहत विकसित हुए हैं, बडे-बड़े पुल-पुलिया, स्कूल, आश्रम बने हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, आपके नाती लोग भी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस के बनाये हुए स्कूल में आप लोग शिक्षा लेकर आये हैं, फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या किये ? आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने सारी चीजें बनायी हैं । आप लोगों ने केवल उसके नाम को बदलने का काम किया है । श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम को बदल दिये, श्री राजीव गांधी जी के नाम को बदल दिये, महात्मा गांधी जी के नाम को बदल दिये । जो मनरेगा की योजना है, हमारी सारी योजनाएं संचालित हैं । कई स्कूल बने, छात्रावास बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने । आप लोग डॉक्टर की उपाधि लिखते हैं, आप लोग कहां से डॉक्टर बने ?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, आज बी.आर.जी.एफ की योजना है वहां पर आप लोगों ने समाप्त कर दिया । वहां केंद्र की राशि आती थी, उससे गांव के पुल-पुलिया, स्कूल-स्वास्थ्य केंद्र सब बनते थे । हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने हमारे हर जिले में हाईस्कूल खोला । कांग्रेस की सरकार ने डीएवी खोला, नवोदय विद्यालय खोला, एकलव्य खोला लेकिन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आज हम लोगों को आप लोग केवल बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं । आज हमारी शिक्षा को जो बढ़ाया गया है, आज आदिवासी लोग जो इतने सक्षम हुए हैं वह हमारी सरकार की देन है ।

सभापति महोदय :- चलिये आप क्षेत्र की कोई बात रखेंगे, नहीं तो समाप्त करें। श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति जी, थोड़ा सा रूकिए तो सही, बोलने तो दीजिये । [XX][5]

सभापति महोदय :- देखिये, यह भाषा उचित नहीं है । इसको विलोपित करें ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, आदिवासी विषय पर जितने आदिवासी विधायक जीतकर आये हैं उन्हें थोड़ा तो बोलने दीजिये ।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 9 मिनट हो गये हैं और अभी तक आपने अनुदान मांग पर एक भी बात नहीं रखी ।

श्री संतकुमार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, उनके कहने का मतलब यह है कि यहां भी आदिवासी विधायकों के हकों का हनन हो रहा है ।

समय :
5:37 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग हमारे नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी का उपहास उड़ाते हैं । हमारी जो खेती-बाड़ी है, नदी-नाला है, जंगल के विषय में हमारी सरकार ने सोचा है, यहां के छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के बारे में सोचा है । आज यहां के नदी, जंगल को संरक्षण देने के लिये, चूंकि आप लोग गौमाता की पूजा करते हैं लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कितनी गाय मर गयीं हैं? आप लोगों ने कितना चारा घोटाला किया है ? लेकिन हम लोग गौमाता की रक्षा की बात कर रहे हैं, उसके दूध का घी बनाने की बात कर रहे हैं हमारी इन योजनाओं के तहत् बजट का भी प्रावधान किया गया है । स्कूल शिक्षा विभाग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हमारे सकूलों में शिक्षकों की कमी है, उसमें 54 हजार शिक्षकों को भर्ती करने की जो घोषणा की गयी है, यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिये स्वागत योग्य है । माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मांग रखना चाहूंगा । मेरे यहां ऐसे दो पहुंचविहीन स्कूल हैं जिनको हाईस्कूल में उन्नयन कराना है ।

[XX][5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आमापाली और एडूकला और एक माध्यमिक शाला है जिसकी प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन करने के लिये काफी समय से मांग करते आ रहे हैं । हॉयर सेकेण्डरी उन्नयन के लिये मेरे यहां जो पहुंचविहीन गांव है, जंगल है, वहां के लिये मैं बात रखना चाहूंगा कि जमरगा, सिथरा, चाल्हा, वर्तापाली और बहिरकेला ये पांच हैं, इसको मैं माननीय मंत्री जी को अवगत करा दूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, मैं आस्था, निष्ठा और प्रयास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं । सर्वसम्मति से इस बजट को पास किया जाये । धन्यवाद, जयहिंद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदा बाजार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग एवं सहकारिता पर मांग संख्या-27, मांग संख्या-17 के अंतर्गत यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट में बहुत सी बातों का उल्लेख है किंतु यह क्षेत्र के विकास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ विभिन्न मांगों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, बहुत सी स्कूलों का उन्नयन कर दिया गया है लेकिन स्कूल में न तो बैठने की सुविधा है, न शिक्षक की व्यवस्था है । उन्नयन किए गए स्कूलों की सुविधाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि शासकीय हाईस्कूल सेमराडीह उन्नयन के पश्चात न तो भवन स्वीकृत किया गया है और न ही शिक्षकों की व्यवस्था है । प्राथमिक शाला के शिक्षक द्वारा ही हाईस्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिले के डीएमएफ की राशि उसी क्षेत्र के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय किया जाएगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बलौदाबाजार जिले का डीएमएफ की राशि, मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च करें तो उस डीएमएफ की राशि से कहीं बाउंड्रीवाल की जरूरत है, कहीं भवन की जरूरत है । इसे इसी राशि से पूरा किया जाए । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी स्कूलों में जैसे भिलौनी, कोटा, बेलारी, लटवा, बहुत सारी स्कूलों में अभी भी शिक्षक की कमी है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वहां शिक्षकों की व्यवस्था कराएं । बहुत से स्कूलों में आज भी बाउंड्रीवाल नहीं है, बाउंड्रीवाल नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व उस स्कूल के अंदर घुसकर तरह तरह का उपद्रव करते हैं । इसलिए हमारे छात्र, छात्राओं के भविष्य के लिए बाउंड्रीवाल की व्यवस्था कराएं । ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिन्हें हाईस्कूल से हायर सेकेंड्री में उन्नयन के बाद भी बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं हुई है । इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बजट प्रावधान में इसे जोडें और यदि बजट प्रावधान में नहीं है, तो हमारे जिले में डीएमएफ की राशि है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि डीएमएफ का उपयोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में करेंगे । मैं यही निवेदन करना चाहूंगा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि उस फंड का उपयोग प्लांट से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाए । धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

श्री चक्रधर सिंह सिदार (लैलूंगा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग की मांग का समर्थन करता हूं एवं विभाग द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के संबंध में अपना मंतव्य रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, राज्य के 16 विद्यालयों में आधुनिक कम्प्यूटर केन्द्र का पूर्व से संचालन किया जा रहा था, 300 विद्यालयों में कम्प्यूटर आईटीसी योजना अंतर्गत संचालन किया जा रहा था । प्रदेश में 4330 विद्यालय में आईटीसी योजना के साथ साथ स्मार्ट क्लास रूम का संचालन समय की मांग के अनुरूप है । माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस डिजिटल युग में बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होना अनिवार्य है । अत: योजनाओं से इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि शिक्षकों का भी प्रशिक्षण हो । विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर एक महती आवश्यकता है । शासन द्वारा इस संबंध में 64 करोड़, 26 लाख का प्रावधान किया गया है । प्राथमिक शालाओं में टाटपट्टी हेतु राशि 4 करोड़, 90 लाख, विज्ञान उपकरणों हेतु राशि 15 करोड़ का प्रावधान सराहनीय है । मेरा अनुरोध है कि विद्यालय को प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर की गुणवत्ता को प्राथमिकता प्रदान की जाए । अध्यक्ष महोदय, राज्य में उपग्रह के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । यह कार्यक्रम एडुसेट के नाम से संचालित है । इस हेतु 324 टर्मिनल्स लगाए गए हैं, इस हेतु शासन द्वारा 97 लाख का प्रावधान किया गया है । एडुसेट के माध्यम से पीएमटी, पीईटी कोचिंग, नवाचार एवं अन्य निर्देश तत्काल छात्र एवं प्रशासकों को प्राप्त हो सके । जिससे कार्य में गतिशीलता आयेगी। शासन से अपेक्षा है कि इस नेटवर्क को विकासखण्ड तक विस्तारित किया जाए। अनेक विद्यालयों को इस माध्यम से जोड़ा जाए। जिससे प्रदेश में सीधे संवाद होने की स्थिति निर्मित होगी । इस नये परिवर्तन से न केवल ज्ञान में वृद्धि होगी वरन् एक जागरूकता का निर्माण होगा। इससे शासन के विभिन्न प्रयासों को नीचे स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त होगी। मैं हमारी सरकार की......।

अध्यक्ष महोदय :- अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए। अब समय बहुत कम बचा है। मैं बंद करूंगा।

श्री चक्रधर सिंह सिदार :- मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षक की व्यवस्था हो और हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के लिए भगोरा, गहनाजरिया का उन्नयन हो। नवीन छात्रावास खोला जाए और मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे शाला भवन मरम्मत योग्य हैं। कुछ शाला भवन तो एकदम जर्जर स्थिति में हैं। उसको तोड़कर नया भवन बनाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा। अपने क्षेत्र से संबंधित बात कीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग के मांग प्रस्ताव के संबंध में भाग संख्या 27 के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं एवं शासन को धन्यवाद देती हूं। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयास किये हैं। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में कुल 8.26 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि शिक्षा के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। साथ ही राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस प्रदेश के छात्र-छात्राएं अपनी सहभागिता से प्रदेश को गौरवान्वित कर सकेंगे एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा 25 पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। आपके द्वारा बजट में ऐसा बोला गया है। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती हूं। मेरे क्षेत्र में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुथरेल एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला माठ को हाई स्कूल एवं हाई स्कूल जरोदा एवं बरोदा को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कष्ट करेंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि अभी जो स्कूल का उन्नयन होगा उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम टेकारी, बेंदरी, बहसर एवं मूरा जो कि अभी प्राथमिक शाला है, इनको माध्यमिक शाला का उन्नयन करने का कष्ट करेंगे। अभी विकासखण्ड बतौली, दुलदुला, मनोरा में आई.टी.आई. खोले जाएंगे। उसमें मैं आपसे आग्रह करती हूं कि एक आई.टी.आई. मेरे विधान सभा क्षेत्र खरोरा में भी खोलने का कष्ट करेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- संगीता सिन्हा। 3 मिनट।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान मांगों का मैं समर्थन करती हूं और मैं मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा पर चर्चा करना चाहती हूं। हमारी सरकार ने नये स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि का प्रावधान बजट में किया है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और निवेदन करती हूं कि मेरे विधान सभा के शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल गुरूर, हायर सेकेण्डरी स्कूल पीपरछेड़ी, हायर सेकेण्डरी स्कूल नेपानी की शाला अत्यंत जर्जर है। इन तीनों स्कूलों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाये, मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा निवेदन कर रही हूँ। साथ ही मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में गुरूर विकासखण्ड सबसे बड़ा विकासखण्ड है। हमारा गुरूर विकासखण्ड कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मोहारा में हायर सेकेण्डरी स्कूल कृषि संकाय प्रारंभ किए जाने की कृपा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं शिक्षकों के बारे में एक बात रखना चाहती हूँ। विभाग के शिक्षकों के वेतन में अंशदायी पेंशन योजना सी0पी0एस0 के तहत राशि काटकर नेशनल सिक्योरिटी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डिपाजिट लिमिटेड, (एन0एस0डी0एल0) के खाते में जमा होती है। जब किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाती है, तो वह राशि परिजनों को प्रदान की जाती है। यह राशि लगभग 30 दिनों में प्रदान की जानी चाहिए। किन्तु वर्तमान स्थिति में यह राशि एक से डेढ़ साल में प्रदान की जाती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। तो मैं चाहती हूँ कि (एन0एस0डी0एल0) की राशि का भुगतान अतिशीघ्र हो। इस व्यवस्था में सुधार करने का निवेदन मैं सरकार से करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री डमरूधर पुजारी। आप अपने क्षेत्र की बात 3 मिनट में रखिये।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या- 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27 एवं 17 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 180 किलोमीटर है। मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की समस्या बताना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़ है। मेरे क्षेत्र में शिक्षा विभाग का भवन नहीं है। अगर भवन है तो खपरैल वाले भवन में संचालित है। वह जीर्ण-शीर्ण है। वहां आश्रम भी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आश्रम भी खपरैल वाला है। जैसे तोरंगा, दुरवागुड़ी में आश्रम संचालित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आश्रम है। उसके लिए भी नया भवन दे देते तो बहुत अच्छा होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात सहकारिता में कहना चाहूंगा कि सहकारिता में एक मण्डी केन्द्र है। किसानों को अपना फसल लाने में बहुत तकलीफ होती है। कमसिंगी में कृषि मण्डी धान खरीदी केन्द्र खोला जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि उधर के किसान बहुत परेशान होते हैं। राजिम क्षेत्र पाटसिवनी में अपनी फसल लेकर आते हैं। वहां भी धान खरीदी केन्द्र स्वीकृत करा देते तो बहुत अच्छा होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद में उपयोजना है। उप योजना में भी पैसा आता है, हमारे सरपंच लोग भोले-भाले आदिवासी होते हैं, वह चाहे महिला हो या पुरूष हो। वहां के पुल-पुलिया और सड़क को भी ठीक-ठाक करा देते। आदिवासी उपयोजना में काफी पैसा आता है। क्योंकि हमारे जंगल क्षेत्र में रास्ता बहुत कठिन है। आने-जाने में असुविधा होती है।

अध्यक्ष महोदय :- क्षेत्र की कुछ विशेष मांग हो तो मांग लो।

श्री डमरूधर पुजारी :- जी-जी, तो पुल-पुलिया, सड़क, जो खैपरेल वाला स्कूल है, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हायर सेकेण्डरी स्कूल हो, वहां भी नवीन स्कूल भवन दिए होते तो अच्छा होता। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र का एरिया बहुत लंबा है, घना क्षेत्र है और वहां भोले-भाले आदिवासी रहते हैं। आप उसके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए मद दे देते। क्योंकि मेरा क्षेत्र का एरिया बहुत लंबा है। जैसे छत्तीसगढ़ का नक्शा है, वैसे ही मेरे क्षेत्र का भी नक्शा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव चन्द्रा जी, पांच मिनट।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और माननीय मंत्री जी के पास शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग है । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्कूल तो बहुत सारे खुले हैं, भवन भी बन गया है, शौचालय भी बन गया है, पेयजल की भी व्यवस्था है, अहाता भी बन गया है, तमाम व्यवस्था है, लेकिन जो गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं है । आपने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि शिक्षक-छात्र अनुपात 1:21 है, वह कुछ स्कूलों में हो सकता है, लेकिन ग्रामीण अंचल के स्कूलों में इस अनुपात को नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण खासकर ग्रामीण अंचल के जो शिक्षक हैं, वे सही शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं । शासन की विभिन्न योजना है जैसे कि नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, नि:शुल्क गणवेश, सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत बच्चियों को सायकल देना, छात्र की दुर्घटना बीमा, मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम, लेकिन गणवेश समय पर नहीं मिलता । सायकल शिक्षा सत्र समाप्त होने के बाद भी उपलब्ध नहीं होता, अभी तक नहीं हुआ है तो शासन की योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आने वाले सत्र से कम से कम आप ये सुनिश्चित करें कि शाला प्रारंभ होने के समय गणवेश मिल जाए, साईकल भी सत्र के प्रारंभ में मिल जाए, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर आप विशेष ध्यान दें, इनके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो, तीन ऐसे स्कूल हैं, जो शाला विहीन हैं । सेमराडीह में प्राथमिक शाला भवन नहीं है और वहां की दुर्दशा तो ऐसी है कि वहां कोई शासकीय भवन भी नहीं है, खुले मैदान में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डीएमएफ मद से कलेक्टर महोदय ने स्वीकृति दी, लेकिन राशि जारी नहीं किया गया है । उसी प्रकार भोथिया के प्राथमिक शाला भवन, भवन विहीन है। बड़े केरकला, पिरदा ये भी प्राथमिक शाला भवन, भवन विहीन हैं तो कम से कम भवन विहीन स्कूल में आप भवन बनाएं और मंत्री जी, मेरे विधान सभा में तांदूलडीह एक ऐसा गांव है, वहां स्कूल नहीं है । कृपया करके वहां प्राथमिक शाला स्कूल खोलवा दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बसपा का राष्ट्रीय दर्जा, क्षेत्रीय दर्जा सब छीन गया है । वह सिर्फ जैजैपुर की बसपा हो गई है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप ये चिन्ता करें कि आपकी हालत भी हमारी जैसे न हो जाए । (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईस्कूल बेलादूला, रायपुरा और भोथीडीह में हायर सेकण्डरी स्कूल को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप आगे तक बढ़ाएं । उसी प्रकार झारोंदा, लखाली, परसदा, भातमहुल और घोघरी में भी हाईस्कूल स्वीकृत करने की कृपा करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता किसानों के रीढ़ की हड्डी है और सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों की हर आवश्यकता की पूर्ति होती है । हम वहां से खाद, बीज लेते हैं, नगद ऋण लेते हैं, दवाई लेते हैं और अपने ऊपजाए हुए अन्न को भी वहीं बेचते हैं और ये सहकारी समिति शासन के माध्यम से नहीं चलती, बल्कि वहां के सदस्य जो किसान हैं, उनके हिस्से की राशि से यह सहकारी समिति संचालित होती है, लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में इनका जो नियंत्रण हैं, वह बैंकों के माध्यम से होने के कारण इसका दुरूपयोग हो रहा है । सहकारी समिति खाद लाती है, लेकिन उसका इतना ज्यादा किराया लगता है कि उसको जो कमीशन मिलता है, उससे वह पूर्ति नहीं हो पाती, बल्कि सहकारी समिति नुकसान में जा रही है । माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि कोई व्यापारी खाद लेते हैं तो उनको एफओआर देते हैं, लेकिन समिति खाद क्रय करती है तो आपके किराए की राशि इतनी ज्यादा है कि समिति को जो कमीशन मिलता है, वह भी कम होता है । एक लाख का कमीशन मिलता है तो दो लाख आपका किराया है, इसके कारण समितियों का भट्ठा बैठ रहा है, समिति नुकसान में जा रही है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार धान की जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, समिति जो धान बेचती है, क्रय करती है, उसकी जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, वहां के कई संस्था प्रबंधकों ने घोटाला किया, उस प्रोत्साहन राशि में आप काट रहे हैं, उनके ऊपर आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज वे अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं । आपके बैंक के माध्यम से कई बैंकों का निर्माण कराया गया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बम्हनीडीह, छपोरा इनके अलावा और 10-12 बैंक हैं, आप टेण्डर निकालकर ठेकेदार को दिये, वह बैंक का निर्माण कर दिये, सौंप भी दिये, आज बैंक संचालित है, लेकिन आज भी उन ठेकेदारों को जो है, उस बैंक के निर्माण करने का जो है, राशि आज भी अप्राप्त है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किन कारणों से आज भी उनको राशि नहीं मिली है ? कृपया उनको दें । माननीय मंत्री जी, जिला जांजगीर-चांपा में, फर्जी स्कॉलरशिप का एक प्रकरण आया । जिस सहायक आयुक्त ने उसमें अपनी संलिप्तता दिखाई थी या संलिप्त थे, आज भी वही सहायक आयुक्त जांजगीर में पदस्थ हैं । कृपया ध्यान दें कि ऐसे लोगों के पदस्थापना से निश्चित रूप से इस तरह से फर्जी कामों को है, प्रोत्साहन मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें संविधान की पांचवी अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण करना प्रमुख उद्येश्य है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको क्या लगता है कि वह संरक्षण कर लेंगे । इसमें मांग कर रहे हो । अभी कर्जा माफी के छोड़ दूसरा बात मत करो ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अध्यक्ष महोदय, सरकार जो है, आदिवासियों के प्रति गंभीर नहीं है । आपके समाज के इतने विधायक, लेकिन मंत्री कितने, कम से कम यह उम्मीद करें कि आप उस स्वर्ग से आते हैं तो प्रदेश में आप उसकी सुरक्षा करें ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती ममता चन्द्राकर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी मांग बिल्कुल सही है । अभी सही लाईन में आये हो अध्यक्ष महोदय ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पंडरिया) :- अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी के सभी मांगों का समर्थन करती हूँ और मंत्री जी को और शासन को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में विधान सभा में जो स्कूल की समस्यायें हैं, वह काफी जर्जर स्थिति में है । बहुत जगह जो भवन है, वहां एक स्कूल दो पालियों में लगती है । पहले उसी में प्रायमरी स्कूल, फिर उसी में मिडिल स्कूल, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि इस पर भी विशेष ध्यान दें।
मुख्यत: मेरे विधान सभा के गांव है, जो प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, भरेवा, बेलमुडा, नेऊरगांव, माटपुर, सौगनाडीह, चचेरपुर, चचेड़ी । यहां पर स्कूल बिल्कुल नहीं के बराबर है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि ....।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तो मंत्री जी से यह पूछो, आदरणीय भाभी जी की रक्षा वह क्यों नहीं कर पाये ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, इसमें आप मत जाईये ।

श्री ममता चन्द्राकर :- यह स्कूल भवन की हालत ऐसी है कि इस स्थिति में कभी भी गिर सकती है । मैं विशेष रूप से आग्रह कर रही हूँ । शिक्षकों के बारे में कहना चाहूंगी कि पूरे क्षेत्र में लगभग ऐसी है कि ....।

श्री दीपक बैज :- शिवरतन भईया, इस विभाग में ऐसा है कि शुरू से गड़बड़ होते आया है ना ।

श्री ममता चन्द्राकर :- शिक्षकों के बारे में हर जगह, सौ की संख्या में बच्चे दर्ज है, वहां केवल एक टीचर है, आपसे शिक्षक के कमी के बारे में भी आग्रह कर रही हूँ । मांग संख्या 17 जिसमें सहकारिता भी है, उससे भी आपको अवगत कराना चाहूंगी कि पंडरिया विधान सभा में शक्कर कारखाना, वहां शक्कर कारखाना है, वहां की हालत ऐसी है कि अभी दो दिन बारिश हुई, बारिश में हालत यह हो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया है कि गाड़ी कारखाने के दरवाजे से लेकर पूरे पाण्डातराई तक ट्रेक्टरों की लाईन लग गई थी। वहां पर न तो रखने की उचित व्यवस्था है, न तो जहां शक्कर बनाकर रखते हैं, वहां का भी गोदाम है, जहां शटर भी नहीं है और बदहाल स्थिति में है । एक अतिरिक्त भवन का भी मांग करूंगी । मेरा निवेदन है कि इसपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गनने का उत्पादन बहुत अधिक है । मंत्री महोदय को इससे अवगत करा रही हूॅ । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- अब नेता प्रतिपक्ष जी के स्थान पर माननीय शर्मा जी अधिकतम 15 मिनट बोलेंगे। ये अंतिम वक्ता हैं, माननीय मंत्री जी आप तैयार हो जाएं।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- महाराज, ठीक-ठाक बोलना, इधर-उधर मत जाना।

श्री सेवकराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, दो-दो विभाग में हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम लोग तैयारी करके आते हैं, हमको दो मिनट दिया जाए।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों से संबंधित विभाग है, हम लोगों को भी मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग वरिष्ठ हैं, कई सालों से बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सत्तापक्ष के जितने वक्ता बोलने के लिए खड़े हुए, उनके भाषण का सार सिर्फ ये था कि 15 वर्षों तक डॉ. रमन सिंह की सरकार ने आदिवासी समाज की उपेक्षा की। मैं आपके माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि वास्तव में अनुसूचित जाति, जनजाति के हित में अगर किसी सरकार ने काम की शुरूआत की तो वह सरकार देश के यशस्वी नेता आदरणीय अटल बिहारी की सरकार थी और अटल बिहारी जी की सरकार ने पहली बार केन्द्र में आदिम जाति कल्याण विभाग का निर्माण किया और उसके बाद ये विभाग प्रदेशों में काम करने लगा। अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास की बात बार-बार आई। परम पूज्य बाबा गुरूघासीदास जी की जन्मस्थली के विकास की बात आई, भंडारपुरी के विकास की बात आई। आपने गिरौधपुरी के विकास के लिए सिर्फ 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने 57 करोड़ रूपये की लागत से जैतखंभ का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया। वहां माननीय राष्ट्रपति जी गये और राष्ट्रपति जी ने वहां जाने वाले श्रद्धालुओं के रूकने के लिए एक सामुदायिक भवन के कार्य का भूमिपूजन किया। 15 साल के अंदर लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपये से ऊपर की स्वीकृति गिरौदपुरी के विकास के लिए डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के द्वारा की गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- मैं उसी दो करोड़ के बारे में बोल रहा था कि राष्ट्रपति जी भी फीता काटकर आये हैं, एक साल हो गये, दो करोड़ से एक काम नहीं हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि गिरौधपुरी धाम में जो भी सुविधाएं हुईं वह सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुई हैं। डॉ. रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले स्थिति ये थी कि कोई राजनेता, कोई विधायक, कोई सांसद किसी अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य गांव में जाता था तो लोग एक एप्लीकेशन लिये खड़े रहते थे कि हमारे गांव में एक मंगल भवन बन जाए। डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने एक नीतिगत निर्णय किया कि जो अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव हैं, जहां उनकी 75 प्रतिशत की आबादी है वहां हम मंगल भवन बनायेंगे। वह टार्गेट पूरा हुआ तो यह किया कि जहां 50 प्रतिशत की आबादी है वहां मंगल भवन बनायेंगे और बाद में यदि कहीं 25 प्रतिशत भी अनुसूचित जाति के लोग निवास करते थे तो वहां मंगल भवन बनाने का काम डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास की पूरी चिन्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप खाली 15 साल का अनुसूचित जाति, जनजाति के जो आश्रम, छात्रावास हैं उनकी संख्या देख लें। उनकी संख्या में जो वृद्धि हुई है वह आठ गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। आपने 50 साल में जितने छात्रावास बनाये थे, छात्रावास में छात्रों की जितनी संख्या थी उससे आठ से दस गुना ज्यादा संख्या के छात्रावासों का निर्माण डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने किया।

श्री दीपक बैज :- शिवरतन भैय्या, उन छात्रावासों की आप लोग क्या हालत बना दिये? झलियामारी का क्या हुआ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय आया कि आदिवासी के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, आदिवासी के झूठे प्रमाण पत्र लेकर लोग सर्विस कर रहे हैं। आदिवासियों के नाम पर प्रमाण पत्र लिये गये और डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने ऐसे प्रमाण पत्रों की जांच करके 20 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नौकरी से टर्मिनेट करने का काम आदिवासियों के हित में किया है। हमेशा विकास का विरोध करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है।

श्री कवासी लखमा :- आदिवासी का विकास किया इसलिए तो 15 सीट आयी है। बस्तर से कितना जीते बताओ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में अगर किसी पार्टी ने रोड़ा अटकाया तो वह पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। लोकसभा में हमने बहुमत से पास किया और राज्यसभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में उसमें रोड़ा अटकाकर आपने रोका। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के खिलाफ आपकी नीति को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ शिक्षा की दृष्टि से पिछले 15 वर्ष में बहुत काम होने के पश्चात भी अभी भी पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के जो आंकड़े आये हैं उसमे छत्तीसगढ़ में जो साक्षरता का प्रतिशत है वह लगभग 70.83 प्रतिशत है और साक्षरता के 70.83 प्रतिशत में पुरूषों की साक्षरता 80 प्रतिशत है और महिलाओं की साक्षरता 60 प्रतिशत है। अब साक्षर किसको कहते हैं यह हम सब जानते हैं । सरकार ने एक साक्षरता अभियान चलाया था, जो हस्ताक्षर करना सीख गया, वो साक्षर हो गया। अब जब साक्षरता का प्रतिशत 70 प्रतिशत है तो हमारे यहां शिक्षा का क्या प्रतिशत है इसका हम अंदाज लगा सकते हैं? वास्तव में हम सब के लिए आज सबसे बड़ी जवाबदारी ये है कि आजादी के 71 साल बाद अगर हमारा प्रदेश पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाया है। इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है कि राजनीति में भी शिक्षा होती है और शिक्षा किस प्रकार होती है उसका एक उदाहरण है। सन् 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे। उस पिरेड में जो स्कूलों का उन्नयन हुआ वो सिर्फ कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में हुआ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन क्षेत्रों में एक भी स्कूलों का उन्नयन नहीं किया गया। इस शिक्षा के साथ मजाक कैसे होता था, उस सरकार में आदरणीय श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी भी मंत्री थे। हम लोग उस मुद्दे को लेकर मैं और श्री अजय चंद्राकर जी कोर्ट में गये थे। आदेश हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में भी उन्नयन होना चाहिए, उन्नयन कैसे किया 10 रूपये के स्टांप में। स्कूल की शाला विकास समिति या गांव का सरपंच एफिडेविड दे दे कि हम स्कूल बिल्डिंग नहीं मांगेंगे, शिक्षक नहीं मांगेंगे, हम स्कूल का उन्नयन करने को तैयार हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में मजाक हुआ था, पर बीते 15 साल में डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल और मीडिल स्कूल का उन्नयन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट में घोषणा हुई है। 25 पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में, 25 हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने की। अब तक की पंरपरा थी कि जिन स्कूलों का उन्नयन होता था, उन स्कूलों का नाम प्रकाशित किया जाता था। जो वित्त विभाग की पुस्तिका जारी होती थी उस पुस्तिका में उन स्कूलों का नाम होता था। मैं पूरी पुस्तिका पलट डाला, कहीं किसी स्कूल का नाम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ....।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, श्री शिवरतन शर्मा जी इसलिए उल्लेख नहीं किया ताकि आप लोगों को भी मिलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्कूल के उन्नयन में कम से कम पक्षपात न करें। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी ने एक विषय रखा, विषय ये था कि मध्यान भोजन के बजट में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कमी हो गई, गणवेश के बजट में कमी हो गई। अब आपने बजट में कमी कर दी, बजट में कमी करने के पीछे कारण क्या है ? क्या विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई ? फिर आपने बजट में क्यों कमी की है? आपको उसके बजट का ध्यान रखना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा मजाक चल रहा है। शिक्षा विभाग में स्कूल बिल्डिंग के, स्कूल के बाऊड्रीवाल, स्कूल में सायकल स्टैंड में, स्कूल में अतिरिक्त कमरे के जो कार्य स्वीकृत हुए थे, इस सरकार ने आदेश के वो सारे काम रूकवा दिये हैं। स्कूल कैंपस में काम होना है, जहां आवश्यकता है वहां काम स्वीकृत हुए हैं। वहां राजनीति करके आपने सब काम रूकवा दिये। आपने चुनाव के पहले बड़ी घोषणा की थी। हम दो वर्षो में शिक्षाकर्मियों का संविलियन करेंगे, अब कर रहे है। अगर है तो आज जवाब देने खड़े हों, तो घोषित कीजिए किस तारीख से आप संविलियन कर रहे हैं। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में रसोईया, स्वीपर स्कूल में काम कर रहे हैं। लगातार पेमेंट बढ़ाने की मांग हो रही थी, हम पर हमेशा आरोप लगता था, हम लोग पेमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने बजट में क्या व्यवस्था की है? जरा ये बताने की कृपा करेंगे, मैं जानना चाहता हूं। सहकारी विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। इनकी बड़ी जोरदार घोषणा है कि हमने किसानों का ऋण माफ किया। कांग्रेस पाटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आये थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। बड़ा दावा करते हो, दो महीने हो गये सरकार बनाये। एक किसान को नो ड्यूस दिला सकते हो क्या बता दो आज चुनौतीपूर्वक कहता हूं? जो काम आप 10 दिन में करने वाले थे, आप उसको दो महीने में नहीं कर पाये। माननीय कृषि मंत्री जी अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे थे। वे प्रक्रिया की बात करने लगे। बजट में आ चुका है, प्रक्रिया जारी है। आप लोग प्रक्रिया को समझते हैं, जिस दिन घोषणा किये उस दिन घोषणा करने वालों को प्रक्रिया जी जानकारी नहीं थी । ये किसानों को असत्य आश्वासन देकर, आपने धोखा देने का काम किया। आज स्थिति ये बन गई है कि किसान को नो ड्यूस नहीं मिल रहा है। किसान रबी की फसल के लिए लोन लेना चाहता है, किसान को रबी की फसल के लिए लोन नहीं मिल रहा है। किसान इनकी गलत गतिविधियों के चलते भटकने को बाध्य हुआ है। मैं आज चुनौतीपूर्वक कहता हूँ ..।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन जी, अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। किसानों के मामले को जब आपको उठाना था, उनके लिए कुछ करना था, उस समय तो आपने कुछ नहीं किया। आप किसान-किसान कितना बोलिए, उससे कुछ नहीं होना है। अब तो बाजी पलट गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अमरजीत जी, ऐसा है कि राजनीति में जय पराजय लगी रहती है। लगातार 15 वर्ष विपक्ष में आप लोग भी बैठो हो, आज 5 वर्ष के लिए जनता ने जनादेश आपको दिया है और ये आपको जो जनादेश मिला है, आपके जनघोषणा पत्र में मिला है और यदि आप

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जनघोषणा पत्र को पूरा नहीं करोगे तो जिस गति से जितना आपको जनादेश मिला है उतनी गति से नीचे भी जाओगे। यहां की जनता समझदार है इस बात को ध्यान रखिए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसी के साथ समाप्त कर दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

आदिम जाति कल्याण मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी अनुदान मांगों पर माननीय अजय चन्द्राकर जी, भाई बृहस्पत सिंह जी, श्रीमती इंदू बंजारे जी, भाई देवव्रत सिंह जी, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, आदरणीय गुलाब कमरो जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. प्रीतम राम जी, माननीय भीमा मण्डावी जी, माननीय भाई अमरजीत भगत जी, माननीय लालजीत सिंह राठिया जी, माननीय प्रमोद कुमार शर्मा जी, माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी, श्रीमति अनिता योगेन्द्र शर्मा जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, माननीय डमरूधर पुजारी जी, माननीय केशव प्रसाद चंद्रा जी, माननीय श्रीमती ममता चन्द्राकर जी और माननीय शिवरतन शर्मा जी ने भाग लिया। मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। इसको हमारे अधिकारी दीर्घा में भी नोट किये है और मैं भी इसमें नोट किया हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान संसदीय कार्य के ज्ञाता अजय भाई चंद्राकर जी ने बहुत अच्छी बातों को रखा और शायद आज ये जितनी बातें रखीं, उन्होंने अपने शासनकाल में इन बातों पर ध्यान देकर, कर लिया होता तो शायद बहुत से विभागों में बहुत सुधार हुआ होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए ? उसमें बहुत अच्छा सुझाव दिये हैं। लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी को जो जीत का श्रेय मिला है यहां की महान जनता ने हम लोगों को सत्ता सौंपी है और हमने जो कहा, वह किया। हमने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे और हम लोगों ने सहकारी बैंकों के माध्यम से 14 लाख, 13 हजार किसानों का 5 हजार, 538 कर्ज माफी किया और पूरे 18 लाख किसानों का 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पकालीन ऋण जो 30.11.2018 तक बकाया थे, चाहे वह कितना भी बकाया हो, 30.11.2018 तक चाहे वह 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का हो, उसमें कोई सीमा नहीं थी। 30.11.2018 तक जो भी ऋण थे, वह हमने उसको पूरा माफ किया और वे नया कर्ज लेने के लिए पात्र हो गये हैं। इसका जो बैंक में जो समायोजन होगा, उसके लिए हमने 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय मंत्री जी, अल्कालीन की चर्चा हो गई है, अपने जवाब में मध्यमकालीन और दीर्घकालीन की घोषणा कर रहे हैं न? हम लोग तो यही अपेक्षा किये हैं कि आज आप घोषणा करेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कहा कि अल्पकालीन ऋण में हमारी कोई सीमा नहीं थी, उसमें दिनांक 30.11.2018 तक जो भी कर्ज था, चाहे वह 2015 का हो या 2017 का हो, वह सबका हमने माफ किया है। सहकारी समितियों में जो शून्य प्रतिशत ब्याज मिलता है, उसके लिए हम लोगों ने बजट में 184 करोड़ का प्रावधान किया है। सहकारी क्षेत्र में शक्कर कारखाना है, जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने 3 शक्कर कारखाना स्थापित किया था और 15 साल में आप लोगों ने केवल 1 शक्कर कारखाना स्थापित किया। कर्ज माफी करने का, शक्कर कारखाने को बढ़ाने का तो आपको मौका था, लेकिन आपने मौका गंवा दिया। हमको मौका है, हम लोग आगे भी जो काम आप नहीं कर पाये हैं, उस काम को आगे बढ़ायेंगे। जो हमारे शक्कर के कारखाने हैं, उसमें शक्कर नहीं बिक पा रही है। भारत सरकार की गलत नीति के कारण केवल जो उत्पादन होता है, उसका 10 प्रतिशत ही बेचने का भारत सरकार की गाईडलाईन में आया है। आप सबके सहयोग से हम लोग भारत सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि शक्कर को बेचने की जो सीमा है, उसको बढ़ायें नहीं तो हमारे शक्कर के कारखाने नहीं चलेंगे। क्योंकि हमारा जितना उत्पादन होता है वह डंप पड़ा रहेगा और जब शक्कर नहीं बिकेगी तो हमारी शक्कर कारखानों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं हो पायेगी, उसके लिए हमको अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बार-बार सरकार के पास आना पड़ेगा। शक्कर कारखाने को चलाने के लिए और बहुत से प्रयास होने चाहिए, हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि उसका कलेण्डर बने। किसान के पास जितना गन्ने का उत्पादन होता है, वह कलेण्डर के हिसाब से शक्कर कारखाने में आयें ताकि वहां पर अधिक जाम नहीं लगे और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी कृषि और ग्रामीण ग्रामीण विकास बैंक (एल.डी.बी.) को हम लोगो ने एक किया और जो भी उसकी लायबिलिटी थी उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसके लिए अभी इस बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जितनी हमारी साख समितियां हैं, चाहे लेम्पस हों, पैक्स हों, उन सभी को कम्पयूटरीकृत किया जा रहा है। जिससे कि किसानों को वहां पर कितना धान बिका, उनको कितना मिलना चाहिए, यह सब की जानकारी उनको मिल सके, इसके लिए 7 प्रतिशत भारत सरकार की, 35 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा रहता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो उत्तर दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। पैक्स के बारे में अभी उसमें प्रश्न लगे हैं। फिर यह मत कहियेगा। आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड हो रहा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जब प्रश्नकाल आयेगा तो उसका उत्तर भी देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- असत्य कथन मत करियेगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप अभी से उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं ? जब आप प्रश्नकाल में प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर भी देंगे, लेकिन अभी तो हम इसका जवाब दे रहे हैं, जो आपने कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी समितियों को हम लोग कम्प्यूटरीकृत करेंगे। इससे किसानों के सभी ऋण, अमानक खातों के ब्याज की गणना का हिसाब-किताब पूरा होगा। उसके लिए हम बजट में 4 करोड़ की व्यवस्था किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंशपूंजी जो हम बैंक को देते हैं जिससे की बैंक का संचालन, सहकारी समितियों का संचालन ठीक से हो सके, उसके लिए भी हमने उसमें व्यवस्था किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से सम्मानित साथियों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से सुझाव दिये हैं। नेल्सन मंडेला जी का यह कहना था कि शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है इसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन विद्यार्थियों को उनकी पहुंच के भीतर जो स्कूल होने चाहिए, यह माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े इस हेतु 1 किलोमीटर में प्राईमरी स्कूल, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर में हाईस्कूल और 7 किलोमीटर में हॉयरसेकेण्डरी स्कूल करने का प्रावधान किया गया था । उसको यहां भी किया हुआ है। पूरे प्रदेश में लगभग 56727 शाला है जिसमें 56 लाख 79 हजार 93 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । इस साल के बजट में हम लोगों ने 40 प्राथमिक शाला भवन, 25 पूर्व माध्यमिक शाला भवन और 10 सौ हाईस्कूल और 50 हॉयर सेकेण्डरी स्कूल का कार्य प्रावधान में रखा गया है । जिन माननीय सदस्य ने कहा कि बजट में छपा नहीं है, जितने भी हाईस्कूल और हॉयर सेकेण्डरी स्कूल यहां खोलेंगे, उसका बजट में प्रिंट किया गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नामवार सिंह जी प्रसिद्ध साहित्यकार का आज निधन हो गया है । मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । उनकी आत्मा को शांति मिले ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, मैंने मेरे विधानसभा में एक तांदुलडीह गांव का मैंने जिक्र किया था, वहां प्राथमिक शाला भवन नहीं है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर इसी बजट में रास्ता होगा ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा । अगर प्रावधान वगैरह हो सकता है तो करूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में समस्त प्रबंधन अंतर्गत 2 लाख 72 हजार 222 शिक्षक कार्यरत हैं जिसमें 37 हजार 302 पंचायत वर्ग के शिक्षक हैं । शिक्षकों की भर्ती,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पदौन्नति, राज्य में जहां-जहां शिक्षक अनुपात के हिसाब से हम लोग करेंगे । जैसा अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि एक अनुपात 21 है और उसको हम युक्तियुक्तकरण करके जो शिक्षकविहीन शाला हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, केवल 2 विषय हैं । बाकी तो सब लिखा-पढ़ा है । पहला यह है कि बारहवीं तक जो आप शिक्षा का अधिकार देने वाले हैं उसको कब तक देंगे एक ? दूसरा जो 60 हजार शिक्षाकर्मी बाकी हैं उसकी मांग कब तक पूरा करेंगे ? इसकी घोषणा आप करिये । बाकी किस्सा-कहानी मत सुनाईये, हम लोग उसको पढ़ लिये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हमारे श्री दीपक जी, श्री संतराम जी, श्री अमरजीत जी एक ही बात करते रहे कि 3000 स्कूल बंद हो गये, वे स्कूल कब शुरू करेंगे आप यह भी घोषणा कर दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक और आऊटसोर्सिंग कहां-कहां है ? 15 साल में कितना था ? उसको जरूर बतायेंगे ।

श्री दीपक बैज :- आप लोग तो 15 साल वही काम किये । अभी तो केवल 2 महीने हुए हैं थोड़ा सा सब्र कर लीजिये । अभी तो हमको और 15 साल रहना है, अभी तो केवल 2 महीने ही हुए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री दीपक जी, आप ही मांग करते रहे । मैं आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूं कि आप कब शुरू करेंगे ?

श्री दीपक बैज :- बिल्कुल उस समय मांग कर रहे थे । अभी तो केवल 2 महीने ही हुए हैं, अभी तो 15 साल और रहना है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- क्या है श्री दीपक जी पहले उनके पास शासन था, उन्होंने गलत किया । अब सरकार आपके पास है, उसको सुधार लीजिये न । लोगों के पास एक अच्छा निर्देश जायेगा ।

श्री दीपक बैज :- बिल्कुल सुधरेगा ।

श्री संतराम नेताम :- अभी 2 महीने ही हुए हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- ये गणेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाथी छाप जय हो । (हंसी)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आपका गनपत दांत टूटने वाला है, उस पर क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- अब आप रोज अपने बाजू वाले को नमस्ते किया करो ।

श्री कवासी लखमा :- हम रोज करते हैं भई । ये हमारे दोस्त हैं । आपके जैसे थोड़ी हैं । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- बिना चिट्ठी के काम हो जाता है ।

श्री कवासी लखमा :- बिना चिट्ठी के चलेगा । महाराज को चिट्ठी भेजनी पड़ेगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- शाम होती है इसके बाद आपको लखमा जी क्यों याद आते हैं ? (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आपको वही काम देंगे, 5 साल कोई दूसरा काम नहीं देगा यह बता देता हूं ।

श्री दीपक बैज :- श्री अजय भैया, वह किसकी सीट थी, आप पहले उसको तो देख लीजिये । (हंसी)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो जन-घोषणा पत्र बनाया है उसका हम लोग क्रियान्वयन करेंगे । भले ही आप लोग संविलियन करने के लिये बार-बार उसका आश्वासन देते रहे । आप लोगों ने क्या कहा था कि कुर्सी में बैठते ही एक घंटे के अंदर करेंगे उसके लिये आप लोगों को 15 साल लग गये । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग सब मिलकर बृजमोहन भइया को इतना परेशान किये हो कि वे मंत्री रहते हुए भी आप लोगों से प्रताड़ित थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जल्दी सामने आओ ।

श्री दीपक बैज :- अभी भी चैन से जीने नहीं दे रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, आप लोगों को शिक्षा कर्मियों के संविलियन में 15 साल लग गए और आप चाहते हैं कि हम लोगों ने जो घोषणा की है वह तुरंत हो जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, सर, सर सर । क्या है कि शिक्षा कर्मी योजना इस भारत में किसने लाया । आपके (xx)[6] को धोए हम । माननीय दिग्विजय सिंह जी से आप जाकर पूछिए कि इसको क्यों लाए, आपके (xx) को हमने धो दिया और जो बाकी है उसको धो ।

श्री अमरजीत भगत :- धोने के बाद उसको पिये क्यों नहीं (हंसी)।

डॉ. प्रेमसाय सिंह :- और आपने (xx) क्या किया ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण । मेरे ख्याल से (xx) असंसदीय शब्द है और आप लोगों ने चार-पांच बार प्रयोग किया है, विलोपित कर देंगे ।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, अजय भइया बोल रहे हैं कि शिक्षाकर्मी (xx) हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सुबह भी बोले हैं, उसको भी विलोपित करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- सब विलोपित होगा । सुबह का (xx) भी धोउंगा, अभी का (xx) भी धोउंगा (हंसी) ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने की बात हमने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---

6 (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

कही है । उसमें अध्यक्ष महोदय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांच साल ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पांच साल में करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं रिकॉर्ड निकलवाकर भेजूंगा शिक्षा कर्मियों को ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- 15 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं । लेकिन आप लोगों ने क्या किया था । 5 दिसम्बर 2017 को आप लोगों ने क्या किया था ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक शिक्षा कर्मी को हम लोग विधायक बनाकर भी लाए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं शिक्षाकर्मी अध्यक्ष को भी बता रहा हूं सुन लो, आपकी सरकार क्या कर रही है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोगों ने प्रताड़ित किया रात को 12 बजे जबरदस्ती जेल से लाकर दस्तखत करवाया ।

श्री दीपक बैज :- शिवरतन जी, हमने एक शिक्षा कर्मी को विधायक बनाया है लेकिन आप लोग कलेक्टर को विधायक नहीं बना पाए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 4 दिसम्बर 2017 को शिक्षा कर्मियों को घसीट घसीट कर मारा, उन लोगों को जेल भेजा । हमारे यहां एक शिक्षा कर्मी सम्माननीय विधायक हैं (मेजो की थपथपाहट) वे इस बात के गवाह हैं । चाहे महिला हो, सबको घसीट घसीट कर माना और उस दौरान आप लोगों ने कितने लोगों को बर्खास्त किया था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शिक्षाकर्मियों के संबंध में आपने जो घोषणा की है अगर वे उससे सहमत हैं तो बोल दें सदन में ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने 250 लोगों को बर्खास्त किया था ।

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर चिंता कर रहे हैं । आप लोग तो 15 सालों में संविलियन नहीं कर पाए । राजपत्र प्रकाशित नहीं हुआ । अभी भी राजपत्र प्रकाशित नहीं हुआ, अधिकारीगण बैठे हैं, बता दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी उपलब्धि बहुत है, ऐसे ही उपलब्धि बताते रहिए आप, बाकी तो बजट में दिख गया है क्या कर लिए हो ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बता रहे हैं न अभी ।

श्री दीपक बैज :- इन्होंने बस्तर में एक साल पहले 211 शिक्षा कर्मियों का प्रमोशन किया, उसके बाद फिर इन्होंने डिमोशन भी कर दिया । वे बेचारे तरस रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप ही का समय खा रहे हैं ये लोग।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नक्सल प्रभावित लोगों के बच्चों को पोटा केबिन में रखा जाता है । जो स्कूल ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे नक्सल प्रभावित 28322 बच्चे पोटा केबिन में पढ़ रहे हैं । शहरी क्षेत्र दुर्ग, रायपुर, सुकमा में आवासीय हॉस्टल संचालित किया जा रहा है । आदिवासी क्षेत्रों में पलायन प्रभावित क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 50 डॉरमेट्री विद्यालय का संचालन किया जा रहा है । शासन का प्रयास है कि शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्य ग्रामवासियों को भी सौंपा जाए । जैसा कि सब लोग बात बोल रहे थे कि शाला विकास प्रबंधन समिति हो, जिसमें लोग भाग ले सकें और स्कूल का प्रबंधन अच्छा हो सके, हम इसका प्रयास कर रहे हैं । नारायणपुर में आदिवासी बच्चों को शाला समय के अतिरिक्त विशेष कोचिंग उनको दिया जाए, इस बात का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। नवीन पाठ्य पुस्तक की संरचना में जो कक्षा 9वीं और 10वीं के सभी विषयों के लिए मल्टी मीडिया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। पूरे किताब का ऑडियो-विडियो...। आप सुन लीजिए (श्री अजय चन्द्राकर की ओर इशारा करते हुए) इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किताब निर्माण की बात कर रहे हो न। बताएंगे तो। बताएंगे। एस.सी.आर.टी. में कितने विशेषज्ञ हैं और कितने लोग प्रतिनियुक्ति में हैं जो किताब बनाते हैं। कितने लोग विशेषज्ञ हैं और कितने विशेषज्ञ रखा है उसमें आपने?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल नहीं है।
इस योजना के तहत पूरे किताब को ऑडियो-विडियो में कन्वर्ट किया जाएगा और उससे संबंधित को जानकारी दे सकते हैं और हिन्दी माध्यम में कक्षा 1 से 10 तक पाठ्य पुस्तक में एक क्यू आर कोड है उसमें और आप उस कोड को मोबाइल में खींचोगे और देखोगे तो उसमें पूरा उत्तर उसमें आ जायेगा। बहुभाषा शिक्षण में हमारे सभी चाहे वे हल्बी हों, भरथरी हो, गोंडी हो, कुडुक हो, सरगुजिया हल्बी इन सभी भाषाओं का हम लोग उसमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 11वी. और 12वी. में जो एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम है, उसको हम लोग एस.सी.आर.टी. के वेबसाइट में करके यहां भी उसी पाठ्यक्रम को चालू करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये किताबें पहले से चली रही हैं। 12वीं में सिर्फ सोशल साइंस की किताब भर नहीं चल रही है, वह भी इस साल शायद लागू हो जायेगी। वह पहले से चल रही है। यह कोई नई उपलब्धि नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी नेता प्रतिपक्ष हैं क्या ?

श्री दीपक बैज :- इनको पहले वाला बोल रहे हैं तो भी तकलीफ हो रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- हर विषय पर है मतलब जो है और जो नहीं है, हर पर प्रश्न कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्राथमिक शालाओं में पहली, दूसरी और तीसरी हिन्दी भाषा में अध्यापन के लिए 75 पुस्तिकाएं तैयार की जा रही हैं जो सभी प्राथमिक विद्यालय के जहां पुस्तकालय हैं, मुस्कान पुस्तकालय है, उसमें रखा जायेगा और वहां पर वे लोग पढ़ेंगे। जो गणित, भौतिकी और विज्ञान में कमजोर बच्चे रहते हैं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम आज होगा, उसे शुरू करेंगे और उसके लिए एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तक के संदर्भ में 12 हजार शिक्षकों को उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे लोग अच्छे ढंग से उसे पढ़ा सकें। सामान्य बच्चों की तरह जो दिव्यांग बच्चे हैं करीब 45 हजार दो सौ बावन उनको चिन्हित करके उनकी शिक्षा के लिए उनके उपकरण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य परीक्षण और रीडर एलाउंस की व्यवस्था की है। ताकि उनको भी मुख्यधारा से जोड़कर उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे कर सकें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। उनके लिए गृह आधारित शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जो कक्षा 6 से 8 स्तर के हैं उनको एंड्राइड मोबाइल की सुविधा दी जा रही है और 9वीं और 12वीं के बच्चों को लेपटॉप जिससे कि उनको ऑडियो और वीडियो में परिवर्तन करके उनकी पढ़ाई हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन और शिक्षक प्रशिक्षण, इन सबको मिलाकर एक समग्र शिक्षा बनाया गया है, जिसमें शत-प्रतिशत कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चे पढ़ सकें। इस बात की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए 1 हजार 451 करोड़ का प्रावधान किया किया गया है। वोकेशनल एज्यूकेशन व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है जो पूरे प्रदेश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा लोगों को मिल सके और वहां से निकलने के बाद उनको रोजगार मिल सके। उसके लिए 76,488 विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वह चाहे आटोमोबाइल का ट्रेड हो, चाहे हेल्थ केयर का ट्रेड हो, ब्यूटीवेलनेस का ट्रेड हो, कम्प्यूटर का ट्रेड हो, ये सारे ट्रेड स्कूल में चल रहे हैं। हम लोगों ने उनके लिए पहली बार कहा कि वे जैसे ही वहां से पढ़कर निकलते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग व्यवस्था हो, इन्टर्नशिप टाईप की व्यवस्था हो। ताकि वहां जाकर और सीख सके। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है

माननीय अध्यक्ष महोदय, कैरियर कांउसलिंग योजना अन्तर्गत, विद्यार्थी किस क्षेत्र में जाना चाहता है, मतलब उसकी रूचि किस विषय में है, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट करके उसकी रूचि के अनुसार वह बच्चा जो विषय पढ़ना चाहता है, उसके लिए विभाग प्रयास करेगा। है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पोस्ट-मेट्रिक, प्री-मेट्रिक में छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनकी संख्या करीब 24 लाख है। उसके लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। कन्या साक्षरता योजना, जिसकी संख्या 01 लाख 20 हजार है। अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति अन्तर्गत, जिसकी संख्या 12 हजार है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर मोबाइल चलाना मना है। अजय चन्द्राकर जी, कुछ-कुछ आपत्तिजनक देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको दण्डित करिये।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक के छात्र-छात्राओं को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा के साथ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य में 369 मदरसों में 19,510 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उनके लिए गणवेश, पाठ्यपुस्तक सामग्री प्रदान की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत बोर्ड, संस्कृत भाषा को और अधिक सक्षम बनाया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 60 दिन में सबसे ज्यादा उपलब्धि कहीं है तो स्कूल शिक्षा विभाग में है।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत भाषा को भी आगे बढ़ाना है। आप तो कुछ किए नहीं, केवल नाम परिवर्तन कर दिए। तो संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसमें करीबन 10 हजार छात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी हाईस्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे। जो पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है, उसके अन्तर्गत हम स्टेट-सेन्ट्रल लायब्रेरी संचालित करेंगे। उसको धीरे-धीरे सार्वजनिक करके सबके लिए खोल दिया जायेगा। हमारा विभाग यह काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंबिकापुर में जो सैनिक स्कूल है, वहां से 25 कैडेट नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन सैनिक स्कूल के बाहर किसी विद्यालय का छात्र या छात्रा नेशनल डिफेंस अकादमी में जाता है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी योजना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षकों का प्रशिक्षित होने की बहुत ही आवश्यक है। एन0सी0ई0आर0टी0, शिक्षा महाविद्यालय एवं डाइट के माध्यम से इनके प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, भाषा प्रशिक्षण, नवाचार, ये सब कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल-कूद को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार में क्रमश: 5 हजार, 3 हजार और 2 हजार है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक प्राप्त करेंगे, उनके लिए भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। आगामी सत्र से सभी स्थानीय खेलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। **"खेलो इण्डिया"** में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के चयन एवं निखारने सहयोग दे सकेंगे। इसमें जो स्थानीय खेल है, कबड्डी, खो-खो, रस्सी कूद, पीट्ठूल, इन सबका इसमें समावेश किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल के प्रति रूचि बढ़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों का शिक्षा के प्रति लगन और छात्रों के प्रति अपनत्व की भावना हो। उसमें जो श्रेष्ठ काम करने वाले हैं, उनकी पहचान करके उनको शिक्षा पुरस्कार प्रदान करने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की योजना है। इसमें प्रत्येक जिले में दो-दो, प्रत्येक विकासखण्ड में तीन-तीन और प्रत्येक जिले में ज्ञानदीप पुरस्कार के लिए तीन-तीन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा और संभाग में भी पुरस्कार देने की हमारी योजना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश में प्रथम बार विकास खण्ड स्तर पर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, उन में से एक-एक प्रधान-पाठक को हम पुरस्कार देने की व्यवस्था करेंगे और जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से एक-एक प्राचार्य को पुरस्कार देने का कार्य करेंगे । अभी बहुत लोगों ने कहा कि मध्याह्न भोजन के कारण बहुत से छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ी है और उसमें पका हुआ गरम भोजन मिले, उसके लिए जो रसोइयां हैं, अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से लोग रसोइयां का काम कर रहे हैं तो उनका मानदेय पहले 12 सौ रूपए था, परन्तु अब उनको 15 सौ रूपए प्रति रसोइयां मानदेय दिया जायेगा और उस योजना में 88 हजार रसोइयां को लाभ होगा, इसके लिए बजट में 591 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों के लिए लर्निंग आउट कम की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी क्लास में उसको कितनी जानकारी होनी चाहिए, किस लेवल तक उसको जानकारी हो, हम लोगों ने यह नयी योजना शुरू की है, जिसमें वह कितना पढ़ सकता है या उसका स्तर कितना है, ताकि वह आगे जाता है तो अच्छा है, अगर उसमें कम पढ़ाई होती है तो शिक्षक की भी जिम्मेदारी रहेगी। शिक्षक को भी इस बात की संतुष्टि रहे कि अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ा रहा हूं ? इस बात की भी चिन्ता रहेगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और जिस अधिकारी ने आपका भाषण तैयार किया है, वह बहुत अच्छा तैयार किया है और आप उसको टेबल में रख दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- किसी ने तैयार नहीं किया है, मैंने अपना भाषण तैयार किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तैयार किया होता तो एक्सटेम्पोर बोलते, देख-देखकर थोड़ी पढ़ते । इसलिए उसको टेबल पर रख दीजिए । हम लोगों ने उसको सर्वसम्मत से मान लिया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भैया, तोर जइसे ज्ञान सबके नहीं हे न, तोर ज्ञान बहुत बड़े हे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपके जैसा ज्ञानी और अभिमानी भी कोई नहीं हो सकता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप थोड़ा सा ज्ञान अमरजीत जी से प्राप्त कर लो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिकाओं के जीवन कौशल कार्यक्रम में मार्शल आर्ट सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है, सभी स्कूलों में खासकर बच्चियों के लिए आवश्यक है । जो संकुल शाला थे, जो संकुल व्यवस्था थी, उसमें संकुल प्रभारी पहले किसी भी जूनियर को बना दिया जाता था और सीनियर टीचर उसकी बात को नहीं मानते थे, इसमें बदलाव करके हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि अकादमिक शालाओं में प्रशासनिक कसावट विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करके शाला संकुल योजनाओं का क्रियान्यन किया जाएगा और उसके अंतर्गत उस एरिया के जो भी हाईस्कूल हो या हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्यों को या जो भी सीनियर हो, उसको संकुल का प्रभारी बनाया जाएगा, जिससे कि उसकी दक्षता उसमें आये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरगुजा संभाग की समस्त हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल में विद्यार्थियों को अंग्रेजी सम्प्रेषण कौशल विकसित करने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी में प्रशिक्षित किया जायेगा, जिससे कि वहां के बच्चे अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल सके । प्रदेश के 153 प्राथमिक और 152 पूर्व माध्यमिक शालाओं में सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित करने का हम लोगों ने नया पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिससे कि हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो सके । विद्यालय से बाहर रह रहे समस्त बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिमजाति कल्याण विभाग में...।

अध्यक्ष महोदय :- आप और कितना समय लेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक विभाग और है, आदिम जाति कल्याण विभाग । इस प्रदेश की ख्याति यहां पर रहने वाले आदिम जाति, वनांचलों में रहने वाले आदवासी बाहुल्य क्षेत्र का पूरा प्रदेश है । इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की बाहुल्यता है । इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र इसका लगभग 65 प्रतिशत है, जो आदिवासी क्षेत्र में आता है । इनके संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी समाज के अंतिम छोर तक रह रहे हैं, उसको मुख्यधारा पर लगाने के लिए, उनकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुये, उनकी आर्थिक विकास की प्राथमिकता हमारी है । मुझे इस बात का गर्व है, हमारी सरकार इन वर्गों के समग्र विकास के लिए कृत संकल्प है । आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित विकास विभाग, इनके कल्याणकारी योजनाओं को सही रूप में संचालित करने का हम प्रयास करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के लिए इस वर्ष की कुल बजट में वर्ष 2019-2020 में राजस्व पूंजी गत 2273 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल से 4 प्रतिशत अधिक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र में जो पिछले साल का बजट है, वह 19,721 करोड़ का है, जो पिछले साल की बजट से 7 प्रतिशत अधिक है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हमने पायदान जब शब्द आया था तो आपके सामने बिनाका का उल्लेख किया था । वैसे किसी समय धीमी गति के समाचार भी प्रिंटर के लिए रेडियो में आते थे । विधान सभा में आपको बहुत दिन बाद धीमी गति का समाचार सुनने को मिल रहा है, आपकी कृपा से ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी भी आते हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने जो प्रश्न उठाये हैं, उसको सुनो तो कम से कम ? माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग का जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विभागों में योजना संचालित है, इन योजनाओं के माध्यम से उसकी अधोसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, कूपोषण, इन सब का छुटकारा करने के लिए, पुल-पुलियों के लिए 692 करोड़, अनुसूचित जनजाति उपयोजना में, 632 करोड़, स्वच्छ पेयजल हेतु 18 करोड़, सिंचाई सुविधाओं के लिए 130 करोड़, कौशल विकास के लिए 121 करोड़, कृषि कल्याण के लिए 11 करोड़, महिला बाल विकास के लिए 28.79 करोड़, स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए 5.65 करोड़, प्राथमिक शिक्षा के लिए, 110.44 करोड़ । माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग का यह प्रयास है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास के लिए, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्य आवश्यक विकास की प्राथमिकता के लिए, समाज के मुख्यधारा में, समाहित करने का हम लोग प्रयास किया जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, शिष्यवृत्ति आपने बढाया नहीं ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- तीन साल से पोस्ट मैट्रिक ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- लिखने में बड़ी सुविधा हो रही है । प्रतिवेदन शाखा के लोग परेशान हैं, क्या करे करके । व्यवधान

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- 1000 किया है ..।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- तीन साल से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिली है । बच्चे लोग छात्रावास बंद करके घर चले गये थे । आपके राज में हुआ है । हम लोग तो कम से कम बढ़ाये हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें शिष्यवृत्ति की वृद्धि की गई है । जो आप लोगों ने नहीं बढ़ाये होंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए 2257 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- डॉ. साहब गिरौधपुरी का जो स्वरूप देख रहे हैं वह डॉ. रमन सिंह की देन है। आपने केवल 5 करोड़ रूपये दिये। आज जो जैतखंभ प्रतीक बना हुआ है वह डॉ. रमन सिंह की देन है। आप भी कुछ ऐसा बहुत अच्छा करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरौधपुरी और भंडारपुरी में आप लोगों ने कुछ किया था? 15 साल में आपने पता नहीं कितना करोड़ रूपये बढ़ाया। गिरौधपुरी और भंडारपुरी दोनों स्थलों में अधोसंरचना विकास के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आपने कितना बढ़ाया था? दामाखेड़ा में भी समन्वित विकास करने के लिए राशि की व्यवस्था की जा रही है। जैतखंभ की शुरूआत हमारी पार्टी ने किया था। आप लोग बीच में आये और वाहवाही लूट लिये कि कुतुबमीनार से बड़ा बनायेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 2003 में मैं भी था और 2003 में केवल बात भर चली है, तीन ईंट भी नहीं रखा गया है। मैं उसे 2003 से देख रहा हूं। यदि आप श्रेय लेना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अनुसूचित जाति का जो 16 प्रतिशत आरक्षण है उसकी प्रक्रिया करिये। और आप 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग को दिलाने की पहल करिये, मैं आपका सम्मान करूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहली बात तो आप लोग खाली गुरूघासीदास जी का नाम लेते हैं, उसके अनुरूप काम ही नहीं करते। नाम का उपयोग करते हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आप गुरूघासीदास जी को मानते हैं क्या?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दामाखेड़ा का भी समन्वित विकास किया जायेगा। अभी बहुत से लोगों ने कहा कि जो अपूर्ण भवन हैं उसे पूर्ण करने की बहुत से लोगों ने मांग की है। इसके लिए अपूर्ण भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की जा रही है। कन्या छात्रावास में शौचालय की व्यवस्था हो उसके लिए भी हम लोगो ने 413 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। छात्रावास में अहाता होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, डिमांड मांग में अमूमन जब किसी भी सम्माननीय मंत्री जी का भाषण होता है तो सदस्य लोग जो विषय उठाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अपना लिखकर पढ़ें, एक्सटेम्पो पढ़ें यह उनका विषय है पर हम लोगों ने जो बात उठाई उसका उत्तर उन्होंने एक भी नही दिया। पांच साल में करने का बोलते, कुछ भी बोलते, यदि वह विषय को पढ़ रहे हैं तो उसको हम पारित कर देते हैं। हम लोगों का तो कोई विषय आ नहीं रहा है। पहली बार हम ऐसा भाषण सुन रहे हैं कि उधर और इधर के भी माननीय सदस्य बात किए वह भी बात आ जाए। तीन हजार स्कूल ही खोल दें, कुछ भी बोल दें, एकाध-दो सदस्यों ने बात उठाई। किसी भी विषय में बता दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप एक घंटा बोले हो, क्या-क्या बोल रहे थे यहां के लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आप एक घंटा बोल सकते हैं तो क्या ये एक घंटा भी नहीं बोल सकते?

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायक पूत दरबार नहीं चढ़ते।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप 400 करोड़ अहाता निर्माण के लिए प्रावधान कर रहे हैं। छात्राओं की हॉस्टल में संख्या बढ़े, उस पर विचार करिये। अहाता से क्या फायदा होने वाला है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावास में सुरक्षा जरूरी है, उसके लिए अहाता जरूरी है, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। आप सब लोगों ने इस बात को उठाया है। 25 अनुसूचित जाति छात्रावासों के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। आप लोगों ने जिन बातों को उठाया है उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूं। जहां छात्रावास हैं वहां पर जो महिला गार्ड रहती है वहां पर अधीक्षिका रहती है उसके रहने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने उसके लिए 496 लाख रूपये का प्रावधान किया है। जो बातें आप लोगों ने उठाई वही बात हम कह रहे हैं। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में गुरूघासीदास जयंती के लिए आप लोग व्यवस्था करते हैं, उसके लिए 20 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। और सभी जगह हम लोग जो वीरनारायण जयंति मनाते हैं उसके लिए 50 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कुछ समझ आया या नहीं आया? अब समझ में नहीं आयेगा। पोस्ट मेट्रिक हॉस्टलों को बंद करवा दिये थे। बच्चे लोगों को तीन-तीन साल तक छात्रवृत्ति नहीं मिली।

श्री अमरजीत भगत :- ये लोग 10-10 करोड़ का तो नाश्ता पानी कर लेते थे, कहां इनको पता चलेगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल जरूरी है। अनुसूचित जाति का ही बजट है उनके कितने हॉस्टल बन रहे हैं जरा बता देना, समझा देना।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सब हॉस्टल तो हम ही लोग बनाये हैं, जिस हॉस्टल से आप पढ़ के निकले हो। वो हॉस्टल भी हम लोग ही बनाये थे। बिलासपुर के जरहाभांठा के हास्टल में पढे हो कि नहीं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, उसके बाद, उसके बाद।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब रहे हैं, उस हास्टल में। हॉस्टल में हम लोग तो रहे हैं। वहां पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो पूरा ध्यान में रखे हैं। उस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर जी, तो घूमगू घू वाले हॉस्टल में रह के पढ़े हैं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भाषण 20, 25 साल से सुन रहे हैं। एकात लाईन तो कागज से बाहर जा के बोले। ऐसा निर्देश आप जारी कर दीजिए। यदि शत-प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो टेबल कर दें तो सदन का समय बचेगा ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कुछ समझ में आयेगा तब तो। इनकी समझ में कुछ आता ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें से एकात लाईन तो आजू बाजू बोल दें जो लिखा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी समझ में कुछ आता ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप टेबल करवा दें हम लोग उसको पढ़ लेंगे।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कहां समझ में आता है। नागपुर से जो आदेश आता है वहीं समझ में आता है, बाकी तो आता ही नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग काम करने के टाईम में काम किये नहीं। काम कर दिये हैं, तो उनका पचा नहीं पा रहे हो।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री हैं। सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट में राशि है। मैं निवेदन करहू हमर चंद्राकर जी पिछड़ा वर्ग के और ये पिछडा वर्ग से संबंधित भी है। ये प्रदेश में 100 में 32 प्रतिशत आदिवासी समाज होथे, 12 प्रतिशत एस.सी होथे, सेड्यूल कास्ट और 100 में 52 प्रतिशत से ऊपर पिछड़ा वर्ग होथे। बड़े दुर्भाग्य के बात हरे कि पिछला जो सरकार रिहिस हे वे ह मन ला पिछड़ा वर्ग ला आरक्षण नहीं के बरोबर देवत रिहिस हे। जबकि मंडल कमीशन के आधार पर 52 प्रतिशत ओ.बी.सी ला 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से और अध्यक्ष जी से निवेदन करूहूं, आप भी पिछ़ड़ा वर्ग के हव, ये विषय में भी पुरौनी के मंडल कमीशन के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण, ये विषय में भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहथो।

श्री केशव चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी घोषणा कर दीजिए। 27 प्रतिशत की ही घोषणा कर दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी 27 प्रतिशत की घोषणा कर दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, सर्व सम्मति से घोषणा कर दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करथो, ये पहले ही बताय हो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी आपका समर्थन करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, करिये आप, घोषणा करिये।

श्री केशव चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन 27 प्रतिशत। आपके विधायक की मांग है, घोषणा कर दीजिये। ये आरोप नहीं है, विपक्ष की तरफ से कोई आरोप नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग सर्व सम्मति दे देते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें लिख के नहीं लाये हैं। लिख के लाये होते तो घोषणा कर देते।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कैसे घोषणा करते थे, मुझे तो मालूम है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विधायक ने मांगा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक है, बैठ के बात कर लेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, वो स्वर्ग की चिंता करते हैं, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। आप तो उसकी भी चिंता नहीं करते।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आप जितना चिंता कर रहे हैं, अगर बगल वाले की चिंता कर लिये होते न तो आप लोगों की ये स्थिति नहीं होती।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, क्या स्थिति रहती ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, सब लोग मिल करके परेशान किये हो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए चाहे तो कल जैसे आप एक्जोन कर दें, वो लिख के ले आयेंगे जो घोषणा करना चाहते हैं। जो द्वारिकाधीश श्री रामकुमार यादव जी बोल रहे हैं, उसको बाहर से लिख के ले आयेंगे और घोषणा कर देंगे। दो मिनट के एक्जोन के लिए हम लोग भी तैयार हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, वन अधिकार मान्यता इस अधिनियम का आप लोगों ने क्या मजाक बना लिया है? जिन लोगों का वन क्षेत्र में कब्जा था। 13 दिसंबर 2005 को उनको वन अधिकार पत्र मिलना था। आप लोगों ने उनको क्यों नहीं दिया? आप लोगों ने तो उनका परिभाषा ही अनादरण कर दिया। जो परंपरागत वन निवासी थे। आप लोगों ने कहा कि 75 साल का कब्जा होना चाहिए, 3 पीढ़ी का कब्जा होना चाहिए, आपने उसको पढ़ा है कि नहीं। जो परंपरागत निवासी थे, उनको उस गांव में 3 पीढ़ी से निवासरत हो, लेकिन उसका कब्जा 13 दिसंबर 2005 से पहले हो उनको पात्रता है। वन अधिकार पत्र के फार्म तो आये थे, आवेदन पत्र आये थे, लेकिन आपने आदिवासी भाईयों को नहीं दिया, उनका निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद उनको खबर भी नहीं किये, उनको सूचना भी नहीं दिये कि वे लोग ऑफिस में जा सकें। हम लोगों ने तय किया है कि जिन लोगों को नहीं मिल पाया है उन लोगों का पुन: फिर से फार्म

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भरवाया जाएगा और जो पात्र होंगे। उनको वन अधिकार पत्र दिया जायेगा और जो सामान्य वर्ग के हैं जो परम्परागत निवासी हैं, वे जिस गांव में 3 पीढ़ी से निवासरत हैं, जिनका कब्जा 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व का है तो उनको भी वन अधिकार पत्र दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रयास विद्यालय की बात की थी। आपने ही कहा था या किसने कहा था? प्रयास विद्यालय जो नक्सल प्रभावित जिलों के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो मेधावी छात्रों को हायर सेकेण्डरी की शिक्षा के लिए...।

(माननीय सदस्य डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी जी के सदन से जाने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- भाभी जी को नींद आ रही थी। वे बहिष्कार करके जा रही हैं, उसको आप ध्यान रखिए। बाकी माननीय सत्तापक्ष के सदस्य भी धीरे-धीरे जा रहे हैं। ज्यादा हो तो आप लोग खड़े हो जाईये, आप लोग मांग करिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेधावी छात्रों को हायर सेकेण्डरी स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ इंजीनियरिंग मेडिकल, विधि, सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु उनको नि:शुल्क कोचिंग दी जाती है और इसलिए इन विद्यालयों में 4 हजार, 120 सीट स्वीकृत थे और उसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्रम और छात्रावासों का संचालन ठीक से हो, उसके लिए जो भी व्यवस्था होगी...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी निवेदन है कि पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल की बिल्कुल घोषणा करियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल की घोषणा कांग्रेस के वर्तमान मंत्री अभी कर रही नहीं सकते हैं। माननीय रामपुकार जी, नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, आप इस चैलेंज को स्वीकार कर लीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजातियों के लिए 1592, अनुसूचित जातियों के लिए 431 और पिछड़े वर्ग के लिए 27, कुल 2050 छात्रावास संचालित हैं। इन सब के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं उसकी सही व्यवस्था हो जाए और उसके लिए 595 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने सीनियर सदस्य हैं और मंत्री रह चुके हैं और बैठे-बैठे बात करते हैं। इनको थोड़ा सा दण्डित करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको प्रबोधन में भेजा गया था या नहीं भेजा गया था?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट आवासीय विद्यालय संचालित हैं । इसमें एक गुरूकुल विद्यालय है, 14 कन्या शिक्षा विद्यालय, 6 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इन सब की व्यवस्था...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- भाषण लिखने वालों के लिए कोई प्रावधान है क्या?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसमें केवल प्वाईंट लिखा हुआ है।

श्री अमरजीत भगत :- मंत्री अपने विभाग की विस्तृत रिपोर्ट अंक सहित पढ़ सकते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, हमें पढ़ने में आपत्ति नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो अंक है, क्या वह भी नहीं पढ़े ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं। उन्होंने पढ़ने पर आपत्ति नहीं की है। माननीय डॉ. बांधी ने पूछा है कि भाषण लिखने वालों के लिए कितनी राशि का प्रावधान किये थे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ये तो माननीय डॉ. बांधी ही बता पायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन से मद से ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वह स्वास्थ्य मंत्री थे तो कितने लोगों को भुगतान हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुक्रमांक भी होगा और हम क्षमा मांगते हैं कि हम उस मद में संशोधन नहीं दिये, हम लोग कटौती प्रस्ताव नहीं दिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव आये थे उसको आपको भेज दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य की सुरक्षा...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कृपा करके ये बता दीजिए कि उसमें कितना पेज बाकी है हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप धड़धड़ पढ़ दीजिए। माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब पढ़ रहे थे, आप वैसे ही पढ़िए चलिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने में ही पानी मांगने लगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सिंहदेव साहब जैसा आप भी पढ़िये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको टेबल में खड़ा करवाईये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय छात्रावास, आश्रम में वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। ये पूरे सदन की चिंता रहती है। विभागीय छात्रावासों और आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु वर्ष में दो बार जो निजी चिकित्सक हैं, उनसे परीक्षण कराया जाता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर हम लोग आएंगे, आप निलंबित मत कीजिएगा। हम लोग यहां पर सोयेंगे। आपसे आग्रह है कि आप निलंबित मत कीजिएगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपमें हिम्मत हो तो आकर देखिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में गणित और विज्ञान के कमजोर विद्यार्थियों के लिए, जो हमेशा उसका अभाव बना रहता है जिसके लिए छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के लिए जो इन विषयों में कमजोर रहते हैं, उनके लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और वाणिज्य विषयों से संबंधित कमजोरी दूर करने के लिए इसमें सुविधा प्रदान की जायेगी। उसके लिए अलग से उसमें व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए बजट में 170 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, पोस्टमैट्रिक छात्रावास, जिसकी बात बांधी जी आप कर रहे थे, 11वीं और उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी व्यवस्था की गई है और उसके लिए बजट में 250.45 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल बनाने की बात कही है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हमारी योजना आगे भी रहेगी, हम उसमें योजना बनायेंगे, आप जो सुझाव दिये हैं, उसका हम पूरा-पूरा ख्याल रखेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यह उच्च शिक्षा का नहीं है। यह अनुसूचित जाति का उपयोजना का बजट है, यह हमारा बजट है जो अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास के लिए यह अधिकारतः हमें संविधान से प्राप्त हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अशासकीय संस्थाओं को अनुदान दिये जाते हैं। उसके लिए भी 12 अशासकीय संस्थाओं को 91 प्रवृत्तियों के लिये जिसमें छात्रावास, बालवाड़ी, औषधालय, उचित मूल्य की दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र, आरोग्य केन्द्र यह सब की व्यवस्था की गई है, उसके लिए 29 करोड़ 39 लाख की व्यवस्था की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, ,अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो नर्सिंग कालेज में पढ़ते हैं जिसकी संख्या हर साल 400 के करीब होती है और यह एक अच्छी योजना है और यहां से निकलने के बाद उनको सीधे नौकरी मिल जाती है। उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 157, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 239 इस प्रकार कुल मिलाकर 396 अभ्यर्थी वहां से निकले हैं। वह किसी न किसी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निजी या शासकीय सेवा में जाब कर रहे हैं। इसके लिए बजट में ने 9 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति उत्कर्ष योजना..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से अभी पाठन आधा ही हुआ है और आधा बचा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने जो जवाहर उत्कर्ष योजना का नाम बदल दिये।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अजय जी, वहां नाश्ते और चाय की व्यवस्था है, थोड़ा उधर से घूमकर आ जाओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग बाकी मंत्री जैसे नहीं हैं कि छोड़कर भाग जायें। हम लोग जिम्मेदार विपक्ष हैं, बैठकर सुनते हैं। अभी हम सुन रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- यह 15 की संख्या में भागोगे तो पकड़ा जाओगे, बाजार खाली हो जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी अजय जी ने यह पूछा है कि कितना पेज और बचा है ? खाली उनको इतना बता दें तो संतुष्टि हो जायेगी, उनका खड़ा होना बंद हो जायेगा।

श्री अमरजीत भगत :- क्या किसी को टाईम दे करके आये हैं कि हमको इतने बजे आना है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- क्या आपको कहीं जाना है ? आपकी चाय, पानी की व्यवस्था की गई है, लाबी में जाकर कर सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 6.30 बजे, 7 बजे या 7.30 बजे छुट्टी हो जायेगी ?

श्री अमरजीत भगत :- वह तो कितने बजे तक स्कूल चलेगी, वह उनके ऊपर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कितना पेज बचा है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने तीन, चार बार पूछ लिया, कितना पेज बचा है, वह बता देंगे तो हम लोग समझ जायेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमको समय दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जवाहर उत्कर्ष योजना शुरू किया था, आपने उसका नाम काट दिया, केवल उत्कर्ष योजना रख दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप फिर से रख दो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कमजोर विद्यार्थी रहते हैं, हमारी योजना रहती है कि जो अच्छे स्कूल हैं चाहे वह डी.पी.एस. स्कूल हो, राजकुमार कालेज हो, ऐसे स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनकी पूरी फीस सरकार के द्वारा दी जाती है। उसमें 6वीं से लेकर 9वीं तक नि:शुल्क प्रवेश होता है, उसके लिए भी बजट में 14 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, विज्ञान, वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा से प्रभावित जिले में विज्ञान और वाणिज्य विषय में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में नि:शुल्क अध्ययन की सुविधा है और इसके लिए 3 करोड़ 7 लाख की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी किसी ने कहा कि 25 एकलव्य विद्यालय जो 24 जिलों में संचालित थे उसकी भी व्यवस्था की । क्रीड़ा परिसर इसका भी संचालन हो रहा है । जो विशेष केंद्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रहती है और वहां आदिवासी क्षेत्र में जो निवासरत हैं अनुसूचित जाति-जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता से जो पैसा मिलता है उसमें वर्ष 2019-20 के लिये 328 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । उसमें एकीकृत आदिवासी परियोजना, मॉडा पॉकेट, लघु अंचल, कमजोर जनजाति के समूह, अभिकरण इन सबकी उसमें व्यवस्था की जाती है । बस्तर और सरगुजा संभाग में वहां निवासरत निवासियों को जो सरकारी नौकरी में उनको प्राथमिकता दी जाये जो पांचवी अनुसचि में है, वह उन्हीं लोगों को दिया जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री टी.एस.बाबा साहब ने इनको सब-कुछ सिखाया लेकिन अपनी स्पीड से पढ़ना भर नहीं सिखाया ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आपको कैसे पता ? आप तो इधर रहते थे और बात करते थे । अब श्री टी.एस.बाबा को क्यों बोल रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर और सरगुजा के साथ-साथ कोरबा जिले को भी इसमें शामिल किया गया है । यदि भर्ती होगी तो वहां पर स्थानीय व्यक्तियों को ही उसमें प्राथमिकता दी जायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास प्राधिकरण का गठन, आपने भी गठन किया था लेकिन आपने किसको अध्यक्ष बनाया था ? आपने एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बनाया था । हम लोगों ने विकास प्राधिकरण, उत्तर सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण उसके अध्यक्ष स्थानीय आदिवासी विधायक रहेंगे । आदिवासियों को उसमें प्राथमिकता दी जायेगी । (मेजों की थपथपाहट) आप लोग क्या करते रहे कि हम आदिवासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं और एक और प्राधिकरण बना रहे हैं जो मध्यक्षेत्रीय प्राधिकरण होगा, उसमें राजनांदगांव से कोरबा तक के लोग उसमें रहेंगे तो आपने तो आदिवासियों का पूरा हित खत्म कर दिया था । हम वहां बैठकर आदिवासियों के हित के लिये यह बना रहे हैं और उस क्षेत्र की जो भी विकास की संभावना हो सकती है, जो विकास हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे और उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिये, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप एस.आई.टी. के बाद अब प्राधिकरण भी बनाने लगे ।

श्री अमरजीत भगत :- इतने में तो श्री चंद्राकर जी बेहोश हो गये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप लोगों ने उसको क्यों नहीं किया ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- डॉ. साहब, इस प्राधिकरण में अनुसूचित जाति-जनजाति प्राधिकरण और सरगुजा प्राधिकरण कितना बजट एलॉटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जरा उसको बताईयेगा । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पर्याप्त बजट रहेगा । (व्यवधान) उसके लिये 111 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- श्री शिवरतन शर्मा जी, आप एसटी-एससी का मामला आता है तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, आप बैठते क्यों नहीं हैं ? थोड़ा सुना तो करो । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना बजट एलॉटमेंट किया है उसको बता दीजियेगा । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आदिवासी उसका मुखिया रहेगा । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है, ये मंत्री जी एसटी-एससी को संरक्षण देने में, उनको सुरक्षा देने में अक्षम हैं । जो व्यक्ति अपने मन से एक शब्द न बोल सके, जो अधिकारी लिखकर दे उसी को पढ़े । वह क्या आदिवासी और अनुसूचित जाति को सुरक्षा देगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अनुसूचित जाति-जनजाति... (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- वह स्वविवेक से निर्णय नहीं कर सकता और न ही सुरक्षा दे सकता है । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक हम सभी की व्यवस्था करेंगे । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- श्री शिवरतन शर्मा जी भागकर जा रहे हैं, उन्हें देखो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप लोगों ने तो हज हाऊस बनाया ही नहीं । आप लोगों ने हज हाऊस बनाने की बात की थी लेकिन आपने बनाया ही नहीं । हम लोग हज हाऊस बनायेंगे । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- देखिये, आप जल्दी समाप्त करिये । नहीं तो हम लोगों को जबरदस्ती कुछ निर्णय करना पड़ेगा वह निर्णय जो हम करना नहीं चाहते । (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी पूछ लिये, श्री बृजमोहन जी ने पूछ लिया कि कितना पेज बचा है, कितना समय लगेगा ये कुछ तो बतायें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय चंद्राकर जी की जो सोच है कि बिना देखे बजट को पढ़ें, लखमा जी का जिस दिन जवाब आयेगा उस दिन उनका सपना पूरा हो जायेगा । (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- भैया, ऐसी सोच कितने लोगों के पास है ?

श्री रामकुमार यादव :- हमारे लखमा जी पढ़े नहीं हैं, कढ़े हैं । जिंदगी को कढ़े हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- जैसे ही शाम होती है इसके बाद ये लखमा जी को खोजते हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो कमजोर जनजाति हैं, इनके युवकों को रोजगार के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था की है । इसमें 20 प्रतिशत तक का पिछड़ी जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री विशेष कमजोर जनजाति जिसमें कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़ी आदि के विकास के लिए भी, जो भूमिहीन हैं । उनके लिए पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण, सामाजिक सुरक्षा, वन अधिकार पत्र का वितरण व पोषण आहार ये सब उसमें करेंगे । अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो हमारा यूथ हॉस्टल है । वहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियां जो अखिल भारतीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वहां वे रहकर तैयारी करते हैं और आगे अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं, उनके लिए 14 करोड़, 25 लाख की व्यवस्था की गई है । सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय सेवा में परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना आरंभ की गई है । उसके लिए भी 28 लाख का प्रावधान किया गया है । प्री-मैट्रिक इंजीनियरिंग परीक्षा के पूर्व प्रशिक्षण रायपुर, भिलाई, बिलासपुर में इसके लिए व्यवस्था की गई है । हॉस्पीटलैटी और होटल मैनेजमेंट के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । अध्यक्ष महोदय, आदिवासी संस्कृति प्रशिक्षण, अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे । उसमें देवगुड़ी, आदिवासी कलाकरों को वाद्य, अनुदान, लोक कला महोत्सव, वीर नारायण सिंह स्मृति, डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, और आप जो कह रहे हैं उन सबका भी हम उसमें प्रावधान करेंगे । अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति लोक महोत्सव, अलप संख्यकों के लिए कब्रिस्तान के घेरे बंदी की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं । अत्यंवसायी वित्त विकास निगम भी बहुत सी योजनाएं संचालित करता है । यह भी हमारे विभाग के अंतर्गत है । अध्यक्ष महोदय, बहुत सी वित्त पोषित योजनाएं हैं, इन सबके लिए हमने प्रावधान किया हुआ है । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के लिए 10 करोड़, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 7 करोड़, इन सब के लिए हमने कुछ न कुछ प्रावधान किया है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 10 करोड़ में कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को लाभ मिलेगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसके लिए जिला स्तरीय बैठक होती है, वहां चयन होता है कि कौन से हितग्राही को क्या देना है । उस चयन के आधार पर ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- डॉक्टर साहब, मैं उसकी प्रक्रिया नहीं पूछ रहा हूं । 10 करोड़ में पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के कितने लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। 20, 50, 100, 200, 500 ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसकी कोई सीमा नहीं है । जो लोग उसमें आ सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । आपको बहुत बहुत धन्यवाद । मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर इसे सर्वसम्मति से पारित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66,15, 83, 27 एवं 17 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए-सात सौ छत्तीस करोड़, छप्पन लाख,अठ्यासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण के लिए- तीन हजार नौ सौ छियानबे करोड़, बहत्तर लाख, चौवन हजार रूपये,

मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए-सत्रह हजार पांच सौ छियालीस करोड़, तिरपन लाख, छियालीस रूपये,

मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए- नौ सौ अन्ठानबे करोड़, बहत्तर लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिए- पांच करोड़, चौरासी लाख सत्तर हजार रूपये

मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए- छप्पन करोड़, इक्कीस लाख, नवासी हजार रूपये

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए- छः हजार एक सौ अठ्ठारह करोड़, चालीस लाख, पचपन हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए-दो सौ छैंसठ करोड़, उनसठ लाख, बीस हजार रूपये
मांग संख्या - 68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए- एक सौ बत्तीस करोड़, सत्ताईस लाख, चौबीस हजार रूपये
मांग संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- दो सौ चौरासी करोड़, सात लाख, सैंतालीस हजार रूपये,
मांग संख्या - 83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए-तिरासी करोड़, दो लाख, पांच हजार रूपये
मांग संख्या - 27	स्कूल शिक्षा के लिए- चार हजार दो सौ सतहत्तर करोड़, पांच लाख सत्रह हजार रूपये तथा
मांग संख्या - 17	सहकारिता के लिए-नौ सौ बत्तीस करोड़, चौंतीस लाख, ग्यारह हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत-बहुत बधाई हो मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 7 बजकर 26 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 2, 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 20 फरवरी, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं